



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन



विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान।



विभागीय अधिकारियों की बैठक में चर्चा करते हुए माननीय मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया एवं राज्य मंत्री माननीय श्री रामखेलावन पटेल।



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2019—20

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्री	— डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया
राज्य मंत्री	— श्री रामखेलावन पटेल
अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त	— श्री मनोज श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव एवं अपर विकास आयुक्त	— श्री सचिन सिन्हा
उप सचिव	— श्रीमती नेहा मारव्या
मुख्य कार्यपालन अधिकारी	— श्री शशांक मिश्र
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	
संचालक, पंचायतराज संचालनालय	— श्री बी.एस. जामोद
आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्	— श्रीमती शिल्पा गुप्ता
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,	— श्री एल.एम. बेलवाल
मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन	
संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान	— श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला
राज्य कार्यक्रम अधिकारी	— श्री अमरपाल सिंह
स्वच्छ भारत मिशन	
संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन	— श्रीमती निधि निवेदिता
राज्य समन्वयक,	— श्री दिलीप कुमार
मध्यप्रदेश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद्	
संचालक, ग्रामीण रोजगार	— श्री दिलीप कुमार
प्रबंध संचालक, भोपाल हाट	— श्री दिलीप कुमार
प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	— श्री डी.के. पचौरी

खण्ड एक

पंचायत

(पृष्ठ क्रमांक 3 से 23 तक)

खण्ड दो

ग्रामीण विकास

(पृष्ठ क्रमांक 26 से 121 तक)

अनुक्रमणिका

खण्ड-1 पंचायतराज

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	स्थापना अनुभाग	3
2.	डीआरडीए अनुभाग	3
3.	पंचायत अनुभाग	5
4.	निर्माण	6
5.	बजट	9
6.	पंच-परमेश्वर	14
7.	आर.जी.एस.ए.	14
8.	सांसद आदर्श ग्राम योजना	23

खण्ड-2 ग्रामीण विकास विभाग

1.	विभागीय संरचना	26
2.	विभागीय जांच, नियुक्तियों, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण	27
3.	ग्रामीण विकास विभाग का संगठन एवं अधीनस्थ कार्यालय	28
4.	बजट	31

योजनाएं :

5.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES)	33
6.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.(MGNREGS-MP)	38
7.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	46
8.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)	50
9.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G)	58
10.	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM)	60

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
11.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास (PMKSY-WD)	66
12.	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (MDM)	69
13.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन (RURBAN)	75
14.	भोपाल हाट	80
15.	संस्थान :	
	● महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान (MGSIRD & Panchayatraj)	82
	● मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI)	91
16.	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल से अगस्त माह की प्रगति) :	106

खण्ड एक

पंचायत

स्थापना अनुभाग

1. **संरचना**—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर पृथक पंचायत राज संचालनालय का गठन दिनांक 06.12.2007 को किया जाकर दिनांक 01 अप्रैल 2008 से संचालित है।
2. **सामान्य जानकारी** —भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक—1 सन् 1994) दिनांक 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया। वर्ष 2014-15 के पंचम सामान्य निर्वाचन में प्रदेश की 51 जिला पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों एवं 22812 ग्राम पंचायतों में कुल 3.85 लाख पदाधिकारी निर्वाचित हुए।
3. **अधीनस्थ कार्यालय** —संचालनालय के अधीन जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय स्थापित एवं संचालित है।
4. **संचालनालय के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण** —प्रदेश में 07 पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी, नौगांव (छतरपुर), मुलताई (बैतूल), इंदौर, उज्जैन, जबलपुर एवं रीवा में संचालित है। इसके अतिरिक्त संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पचमढ़ी में संचालित है।
5. **दायित्व — संचालनालय के मुख्य दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है :-**
 - 1- त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का क्रियान्वयन।
 - 2- ग्रामीण अधोसंरचना का विकास।
 - 3- ग्रामों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना।
 - 4- पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु करारोपण के लिए प्रोत्साहित करना।
 - 5- पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन, उन्मुखीकरण एवं तकनीकी-आधुनिकीकरण प्रशिक्षण।
6. **वर्ष 2019-20 में संचालनालय स्तर से की गई नियुक्तियों का विवरण :-**

नियुक्ति का विवरण	पद जिस पर अनुकंपा नियुक्ति की गई	संख्या
1	2	3
अनुकंपा नियुक्ति	सहायक वर्ग- 3	28
	भृत्य	03
डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	(संविदा)	60

7. **वर्ष 2019-20 में संचालनालय स्तर से किये गये स्थानान्तरण का विवरण :-**

पद	स्वीकृत पद	स्थानान्तरण का प्रकार	
		प्रशासकीय	स्वयं के व्यय पर
1	2	3	4
खण्ड पंचायत अधिकारी	334	20	08
पंचायत समन्वय अधिकारी	2000	126	54

जिला/जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों में से सहायक वर्ग-02 के 01, शीघ्रलेखक के 01 एवं सहायक वर्ग-3 के 02 स्वयं के व्यय पर वर्ष 2019-20 में स्थानान्तरण किये गये।

योजना का नाम — डीआरडीए (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)

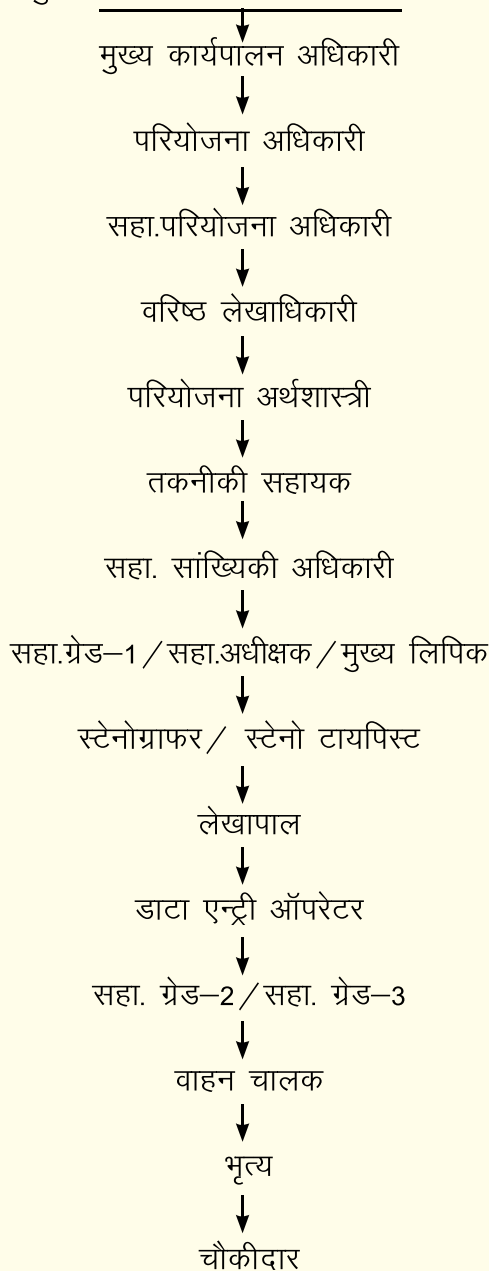
प्रस्तावना — जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1873 के तहत पंजीकृत संस्था के रूप में किया गया है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 01.04.1999 से

डी.आर.डी.ए प्रशासन प्रारम्भ करने के अनुक्रम में विभाग के आदेश क्र. 12749 दिनांक 24.09.1999 के द्वारा जिला पंचायत में डी.आर.डी.ए प्रकोष्ठ निर्मित किया गया है।

योजना का उद्देश्य— भारत शासन एवं राज्य शासन की विकास की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन करना है।

कार्य क्षेत्र — सम्पूर्ण मध्यप्रदेश (इकाई) जिला पंचायत।

मानव संसाधन संरचना — डीआरडीए अंतर्गत प्रदेश में 1848 पर स्वीकृत, 842 भरे, एवं 1006 पर रिक्त है। स्वीकृत पदों की संरचना निम्नानुसार है:—



वित्तीय उपलब्धि :- डीआरडीए योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 व्यय प्रावधानित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्रांश 1625.98 प्राप्त है तथा राज्यांश 971.02 लाख कुल राशि रुपये 2597.00 लाख प्राप्त हुई जो व्यय की गई है।

पंचायत अनुभाग :

1—योजना का नाम – पंचायतों का सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना—

भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सुदृढ़ करने एवं उन्हें जवाबदार बनाये जाने हेतु उक्त योजना वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए वर्ष 2020 में प्रदेश की निम्नलिखित पंचायतों को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र एवं निम्नांकित तालिका में दर्शाये अनुसार पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है –

जिला पंचायत :

स.क्र.	जिला	पुरस्कार	पुरस्कार राशि
1	नीमच	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	50.00 लाख
2	मंदसौर	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	50.00 लाख

जनपद पंचायत :

स.क्र.	जनपद पंचायत	जिला पंचायत	पुरस्कार	पुरस्कार राशि
1	आलोट	रतलाम	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	25.00 लाख
2	होशंगाबाद	होशंगाबाद	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	25.00 लाख

ग्राम पंचायत :

स.क्र.	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिले	पुरस्कार	पुरस्कार राशि
1	भड़भड़िया	नीमच	नीमच	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	जनसंख्या के अनुसार रुपये 5.00 लाख से 15.00 लाख रुपये
2	मरामाधो	केसली	सागर	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
3	तुमरी	केसली	सागर	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
4	पोटलोट	सांवेर	इंदौर	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
5	बाबईखुर्द	केसला	होशंगाबाद	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	

स.क्र.	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिले	पुरस्कार	पुरस्कार राशि
6	सुन्दरियाल	धरमपुरी	धार	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	जनसंख्या के अनुसार रुपये 5.00 लाख से 15.00 लाख रुपये
7	पनावर चौहान	सीधी	सीधी	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
8	पाडलिया मारु	मंदसौर	मंदसौर	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
9	केनसर	पिपलोदा	रतलाम	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
10	मुगली	आष्टा	सीहोर	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	
11	बरखेडी	पिपलोदा	रतलाम	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार	

भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सुदृढ़ करने एवं उन्हें जवाबदार बनाये जाने हेतु नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा। इस योजना के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए वर्ष 2020 में प्रदेश की निम्नलिखित पंचायतों को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र एवं निम्नांकित तालिका में दर्शाये अनुसार पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है—

ग्राम पंचायत :-

स.क्र.	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिले	पुरस्कार	पुरस्कार राशि
1	सरखेडा	देवरी	सागर	नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार	10.00 लाख

पंचायत राज संचालनालय अंतर्गत निर्माण कार्य

(अ) पंचायत भवन निर्माण :-

प्रस्तावना परिचय :- मध्य-प्रदेश की ऐसी ग्राम पंचायतें जो भवन विहीन हैं वहां विभागीय मद का मनरेगा से अभिसरण कर पंचायत भवन निर्माण की योजना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 18174 दिनांक 21.12.2015 के द्वारा भवन विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पंचायत भवन स्वीकृत करने हेतु राशि 60:40 के अनुपात में प्रावधान किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि विभागीय मद एवं 40 प्रतिशत राशि मनरेगा से अभिसरण कर पंचायत भवन निर्माण किये जाने की योजना है।

उद्देश्य :- ग्राम पंचायतों को कार्यालयीन व्यवस्था हेतु भवन उपलब्ध कराने के लिये पंचायत भवन योजना ली गई है ताकि ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का संचालन सुचारु रूप से हो सके।

विशेषताएं :- ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन, योजनाओं का क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रख-रखाव एवं कम्प्यूटरीकरण आदि की व्यवस्थाएं भवन में प्रावधानित हैं।

भौतिक उपलब्धियां/परिणाम :- प्रदेश में 1126 भवन विहीन ग्राम पंचायतों की जानकारी पंचायत दर्पण पोर्टल से प्राप्त कर वर्ष 2017-18 से अब तक 1126 पंचायत भवनों की स्वीकृति जारी की गई है।

वित्तीय उपलब्धियां/परिणाम :- स्वीकृत किये गये 1126 भवन विहीन पंचायत भवनों पर राशि रूपये 16304.48 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी की गई है।

(ब) सामुदायिक भवन निर्माण :-

प्रस्तावना/परिचय :- प्रदेश के सामुदायिक भवन विहीन समस्त ग्रामों में विभागीय योजना मद से सामुदायिक भवन निर्माण की योजना संचालित है।

उद्देश्य :- प्रदेश के ग्रामों में आम जन के मांगलिक कार्यक्रमों एवं सार्वजनिक कार्यों हेतु सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराये जाने हेतु सामुदायिक भवन निर्माण कराये जा रहे हैं।

भौतिक उपलब्धियां/परिणाम :- पंचायत राज संचालनालय स्तर से प्रदेश में वर्ष 2016-17 से मार्च 2020 अब तक 3166 सामुदायिक भवन विहीन ग्रामों में सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है।

वित्तीय उपलब्धियां/परिणाम :- 3166 सामुदायिक भवनों हेतु पंचायत राज संचालनालय द्वारा राशि रूपये 45225.85 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

(स) अन्य निर्माण कार्य :-

दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में स्वीकृत किये गये अन्य निर्माण कार्यों का विवरण :-

क्रमांक	निर्माण कार्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	जारी की गई प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रूपये लाख में)
1	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर	49	5962.58
2	सामुदायिक भवन	56	937.50
2	प्रशिक्षण-सह संग्रहण केन्द्र – आजीविका भवन	12	273.00
3	स्टेडियम निर्माण	4	226.496
4	यात्री प्रतीक्षालय	42	105.00
5	शांतिधाम निर्माण	2	44.00
6	कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल निर्माण	1	12.14
योग		166	7560.716

भाग— दो

—: बजट विण्डो :—

म0प्र0शासन, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजनेत्तर अंतर समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपरोक्त मांग संख्या के स्थान पर मांग संख्या-62 एवं 53 के अंतर्गत बजटीय प्रावधान अनुसार राशि विभाग को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

वर्ष 2019-2020

बजट

पंचायत सेक्टर

(राशि रुपये लाख में)

मांग संख्या	प्रावधान	जारी आवंटन (31 मार्च, 2020 की स्थिति में)
मांग संख्या-62	21157.56	18334.82
मांग संख्या-53	761657.81	529228.60
योग	782815.37	547563.42

वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचायत विभाग में संचालित योजनाओं का योजनावार विवरण:—

स. क्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान	31.03.2020 की स्थिति में जारी आवंटन जारी (राशि लाख में)
1	2467-पंचायत संचालनालय	655.71	470.08
2	2468-पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण	113.06	69.38
3	2474-पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	20338.78	17755.35
4	4300-संजय गांधी युवा संस्थान पचमढ़ी को अनुदान	50.01	40.01
5	0647-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	16837.00	16837.00
6	1213-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	0.01	0.00
7	1221-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	444911.00	365594.99
8	2024-एम0पी0स्टेट टेक ई-पंचायत सोसायटी (एम0पी0स्टेप्स)	0.01	0.00

9	4610—अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	69099.75	29372.45
10	5166—राष्ट्रीय पंचायतराज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.01	0.00
11	5463—युवा शक्ति योजना	300.00	0.00
12	5847—जला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान	500.00	260.22
13	6086—अद्योसंरचना विकास हेतु अनुदान(राज्य वित्त आयोग)	1000.00	334.00
14	6087—अनुरक्षण हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	1000.00	0.00
15	6093—पेयजल के लिए विद्युत व्यय पूर्ति हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	4000.00	3200.00
16	6098—पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान	1373.06	18.44
17	6107—जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान(राज्य वित्त आयोग)	2000.00	746.35
18	6299—ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	73005.18	56562.86
19	6602—स्थानीय निकायो/पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	100.00	0.00
20	7668—स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान(राज्य करो में हिस्सा) राज्य वित्त आयोग	120000.00	38120.07
21	8209—पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें	732.42	489.34
22	8214—सचिवीय व्यवस्था	17600.00	15102.16
23	8391—त्रिस्तरीय पुरस्कार	0.03	0.00
24	8392—जिला पंच सम्मेलन	18.19	3.27
25	8393—पंचायत गजट	90.03	0.00
26	8775—प्रशासन योजना जिला स्तर	9000.00	2562.45
27	8816—ग्राम सभाओं का सुदृढीकरण	91.12	25.00
योग		782815.37	547563.42

(1) योजना का नाम : गौण खनिज मद 6299

प्रस्तावना/परिचय:-

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक अधिकार संपन्न बनाया जा सके। इस उद्देश्य से राज्य शासन ने पंचायत क्षेत्रों में आने वाले गौण खनिज, जिसमें पत्थर, मुरम, मिट्टी, रेत आदि आती है कि खदानों के संचालन का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। दिनांक 01/04/1996 से 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय की समस्त खदानों का उत्खनन अनुज्ञा पत्र जारी करने के अधिकार पंचायतों को दिये गये। योजनान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा आवंटित रकम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण में रहेगी।

उद्देश्य:-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आवंटित रकम का उपयोग, पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं ग्राम पंचायत के मानदेय के भुगतान तथा अधोसंरचना विकास में करेगा।

कार्यक्षेत्र:-

योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों तथा पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय की प्रतिपूर्ति हेतु किया जा रहा है।

भौतिक/वित्तीय उपलब्धियाँ:-

6299 गौण खनिज मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 54838.05 लाख का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भत्तो हेतु राशि रुपये 19602.14 लाख तथा पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय हेतु राशि रुपये 9840.30 लाख का आवंटन पंचायतों को जारी गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 73005.18 लाख का बजट प्रावधान है। जिसमें से 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 41327.82 लाख तथा पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय हेतु राशि रुपये 15235.04 लाख का आवंटन पंचायतों को जारी किया गया है।

(2) स्टाम्प शुल्क :4610

प्रस्तावना/परिचय

राज्य में अचल संपत्ति की बिक्री उनके अतिरिक्त विनियम बंधक पट्टे, उपकर आदि के दस्तावेजों पर राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई है। संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाई गई स्टाम्प ड्यूटी पर एक प्रतिशत अधिभार या अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अधिभार वाणिज्य कर विभाग को है और अधिभार की राशि उस विभाग द्वारा "पंचायत निधि" में हस्तांतरित मांग संख्या-74- शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-(4610) स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान(आयोजनेत्तर) में की जाती है।

उद्देश्य:-

पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान संग्रहित भू-राजस्व से संबंधित निधि की रकम वित्त विभाग के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त होती है। योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं अधोसंरचना विकास में किया जा रहा है।

कार्यक्षेत्र:-

योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद पंचायतों में कार्यरत जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं विकास कार्यों में किया जा रहा है।

भौतिक/वित्तीय उपलब्धियाँ:-

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 79100.74 लाख का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद पंचायतों के मूल कर्मचारियों के वेतन भत्तो हेतु राशि रुपये 11692.05 लाख तथा शेष राशि रुपये 43073.76 लाख विकास कार्यों में उपयोग हेतु पंचायतों को आवंटन जारी किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 69099.75 लाख का बजट प्रावधान है। जिसमें से मार्च, 2020 तक की स्थिति में जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 18695.79 लाख तथा विकास कार्यों हेतु राशि रुपये 10676.66 लाख का आवंटन/राशि पंचायतों को जारी की गयी है।

(3) जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान-5847

प्रस्तावना/परिचय:-

तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा जिला पंचायतों के लिए सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु राशि रुपये 5 करोड़ की अनुशंसा की गयी है। जिसके तारतम्य में योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का वितरण जिला पंचायतों को किया जा रहा है।

उद्देश्य:- जिला पंचायतों को सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राशि उपलब्ध कराना।

कार्यक्षेत्र:-

योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

भौतिक/वित्तीय उपलब्धियाँ:-

जिला पंचायत को सामान्य प्रयोजन हेतु राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2007-08 में राशि रुपये 81.00 लाख का बजट प्रावधान रहा है। वर्षवार जानकारी इस प्रकार है :-

वर्ष	प्रावधान (राशि रुपये लाखों में)	व्यय (राशि रुपये लाखों में)
2008-2009	68.85	68.85
2009-2010	75.60	75.60
2010-2011	500.00	500.00
2011-2012	500.00	500.00
2012-2013	500.00	500.00
2013-2014	520.00	520.00
2014-2015	520.00	488.31
2015-2016	520.00	488.47

वर्ष	प्रावधान (राशि रुपये लाखों में)	व्यय (राशि रुपये लाखों में)
2016-2017	625.00	602.42
2017-2018	500.00	499.78
2018-19	500.00	479.03

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 500.00 लाख का मूल प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 260.22 लाख का आवंटन पंचायतों को जारी किया गया है।

(4) योजना का नाम: राज्य वित्त आयोग-7668

प्रस्तावना/परिचय:-

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद "243 झ" के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में राज्य में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायत राज संस्थाओं को राज्य शासन के कर एवं करेत्तर राजस्व आय की 4 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

उद्देश्य:-

ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्वों के तहत मूलभूत सेवाओं, जो जनस्वास्थ्य एवं जनकार्य से संबंधित हैं, को उपलब्ध कराना है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार ग्राम पंचायत की मूलभूत आवश्यकताओं हेतु राज्य की सकल कर आय 5 प्रतिशत राशि का 80 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को एवं 20 प्रतिशत नगरीय निकाओं को अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। इस राशि से पंचायतें उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के कार्य को कराने के लिये स्वतंत्र है। म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक/355/475/2016/22/पं. दिनांक 15.12.2016 से राज्य वित्त आयोग मद से जिला एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर राशि इस से उपलब्ध करायी जाती है।

कार्यक्षेत्र:-

योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

विशेषताएँ:-

योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से विगत वर्षों में विभाग की पंच परमेश्वर योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी गयी है। योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से ग्राम पंचायतों द्वारा सी.सी. रोड़ नाली निर्माण आदि का कार्य ग्रामों में किया जा रहा है।

भौतिक/वित्तीय उपलब्धियाँ:-

विगत वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत अनुपूरक सहित राशि रुपये 151022.57 लाख का प्रावधान था। योजनान्तर्गत प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को विकास कार्य हेतु राशि जारी की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा कुल राशि रुपये 96000.00 लाख उपलब्ध कराये गये के विरुद्ध राशि रुपये 85394.17 लाख का आवंटन उपयुक्त कार्य हेतु जारी किया गया है। योजनान्तर्गत राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायतों में मूलभूत सुविधा एवं अधोसंरचना विकास कार्य के लिए किया जा रहा है।

पंच परमेश्वर योजना

उपलब्धियां :-

राशि के उपयोग हेतु विभाग द्वारा प्राथमिकतायें एवं सीमायें निर्धारित की हैं। पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायतों को 3660.14 करोड़ जारी किये गये हैं, जिसका उपयोग पंचायतों द्वारा निर्धारित व्यय सीमा अनुसार किया जा रहा है।

ऑनलाईन क्रियान्वयन :-

पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों द्वारा प्रियासॉफ्ट पोर्टल से ऑनलाईन व्यय की जाती है। भुगतान FTO सरपंच (प्रधान) एवं सचिव के DSC द्वारा ऑथेंटिकेट होते हैं। योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायतों द्वारा राशि रुपये 2985.61 करोड़ का व्यय किया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) एक केन्द्र परिवर्तित एवं केन्द्र वित्त पोषित योजना है जो कि पूर्व में योजना आरजीपीएसए योजना के नाम से लागू थी जिसको वर्ष 2018-19 में पुर्नगठित की जाकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के रूप में क्रियान्वित हैं।

कार्य क्षेत्र — योजना म.प्र. में सभी 51 जिलों में लागू हैं। योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी पंचायत राज संचालनालय भोपाल है एवं योजनांतर्गत प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेन्सी एसआईआरडी जबलपुर एवं संजय गांधी युवा नेतृत्व संस्थान पचमढ़ी एवं इनके अधीनस्थ 6 ईटीसी एवं 6 पीटीसी संस्थान कार्यरत है। इसके अलावा वाल्मी भोपाल एवं प्रशासन अकादमी भोपाल भी अधिकृत संस्था है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों एवं अमलों का प्रशिक्षण कराया जाता है।

विशेषतायें— पुर्नगठित आरजीएसए योजना में 15 वे वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध होने वाली राशि के उपयोग ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु “ग्राम पंचायत विकास योजना” के अवयवों को जोड़कर पंचायतों के जमीनी स्तर तक जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी अमलों का विकेन्द्रीकृत सहभागी नियोजन की प्रक्रियाओं के ऊपर प्रशिक्षण एवं कम्युनिटी फेसीलिटेशन टीम (सीएफटी) के माध्यम से हेण्ड होल्डिंग सपोर्ट प्रदाय किया जाता है ताकि समुदाय आधारित नियोजन एवं अनुश्रवण प्रक्रिया संचालित करने में सक्षम हो सके, साथ ही सशक्त ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान की जा सकें। इस तारतम्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश की सभी 22812 ग्राम पंचायतों का जीपीडीपी का निर्माण किया जाकर प्लान प्लस पोर्टल में अपलोड कर अनुमोदित व स्वीकृत कार्यों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

योजना का उद्देश्य — योजना का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले का क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण करना है। योजना के अन्य उद्देश्य निम्न है।

- 1— योजनांतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करना एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का संरचनागत, संस्थागत विकास करना है।
- 2— पेसा अनुसूचित क्षेत्र के जिलो, जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता एवं कार्यकारी अमले की स्थापना करना है, एवं पेसा अनुसूचित क्षेत्र की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन करना।

- 3— पेसा एवं आकांक्षी जिलों में ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं हेण्डहोल्डिंग सपोर्ट हेतु अमला उपलब्ध कराना
- 4— ग्राम पंचायतों में ई इनेवलमेंट की गतिविधियों का क्रियान्वयन, कम्यूनिटी सर्विस सेन्टर, पंचायत लर्निंग सेन्टर की स्थापना करना।
- 5— विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं का संस्थागत, संरचनागत, विकास एवं उन्नयन करना।
- 6— त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के साथ साथ पंचायतों से संबद्ध अन्य विभागों/लाईन विभागों के कार्यकारी अधिकारियों एवं अमलों का विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण किया जाता है जिसके अंतर्गत मुख्यतः मूलभूत प्रशिक्षण प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जीपीडीपी निर्माण प्रशिक्षण, एसडीजी इन्टीग्रेशन प्रशिक्षण(सतत विकास के लक्ष्य) डिजिटल लिटरेसी प्रशिक्षण, एकाउन्टिंग एवं आडिटिंग प्रशिक्षण एवं समसामयिक रूप से प्रासंगिक होने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित एवं आयोजित किये जाते हैं।
- 7— पंचायतों में सामुदायिक आधारित संगठन जैसे महिला स्व सहायता समूह एवं ग्राम पंचायत स्थानीय निकाय के बीच अंतः संबंध/तालमेल स्थापित करने हेतु अभिसरण कर विकास कार्य नियोजन प्रक्रिया जरूरतमंद लोगो के चयन, प्राथमिकता का चयन, स्थानीय मुद्दों का चयन, ग्रामसभा एवं पंचायत की समितियों को सक्रिय बनाने में सहयोग, सोशल आडिट, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में सक्रिय भूमिका, इत्यादि कार्यों में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से दोनों ओर से प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास का कार्य किया जाता है।
- 8— आरजीएसए योजनांतर्गत आजीविका मूलक एवं नवाचार प्रकल्पों का निर्माण एवं क्रियान्वयन।

मानव संसाधन संरचना – योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य कार्यक्रम निगरानी ईकाई का गठन राज्य स्तर पर है एवं इसके अंतर्गत जिला एवं जनपद स्तर पर जिला एवं जनपद प्रबंधन ईकाई का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत भारत शासन की स्वीकृत कार्य योजना अनुसार अमला एवं विभिन्न विषय विशेषज्ञ सलाहकार रखे जाने की स्वीकृति हैं जिसके अंतर्गत संचालनालय स्तर पर गठित एसपीएमयू में तीन विषय विशेषज्ञ सलाहकार वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी ईकाई के अंतर्गत ट्रांसफार्मिंग रुरल इंडिया फाउन्डेशन (TRIF) म.प्र. भोपाल के सहयोग से जीपीडीपी सपोर्ट सेल का निर्माण किया गया है जिसमें वर्तमान में 2 विषय विशेषज्ञ सलाहकार कार्यरत हैं।

ई गर्वनेंस हेतु राज्य एवं जिला मुख्यालय पर ई-गर्वनेंस रिसोर्स ग्रुप अंतर्गत निर्धारित अमले की पदस्थापना का प्रावधान है। ई-गर्वनेंस रिसोर्स ग्रुप द्वारा भारत शासन द्वारा निर्धारित 10 साफ्टवेयर (पंचायत सूट) पर कार्य किया जाना है। **वर्तमान में जीपीडीपी, एलजीडी पीएफएमएस, आडिट ऑनलाईन एवं ई ग्राम स्वराज (प्रिया साफ्ट, प्लान प्लस, एक्शन साफ्ट) पर कार्य किया जा रहा है।**

योजनांतर्गत अन्य प्रावधान (वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की कार्ययोजना अनुसार)

योजना अंतर्गत कुल 08 अकांक्षी जिलों की ग्राम पंचायतों के संरचनागत विकास हेतु सामुदायिक भवन, कॉमन सर्विस सेन्टर की ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। जिसके अंतर्गत 300 ग्राम पंचायतों में कामन सर्विस सेंटर का चयन किया जा चुका है एवं 400 ग्राम पंचायतों का वर्ष 2020-21 में चयन किया जा रहा है। जहां पर कॉमन सर्विस सेन्टर का भवन निर्माण कर पंचायत कार्यालय में को-लोकेट कर स्थापित किया जावेगा।

3. **प्रदर्शन भ्रमण सह प्रशिक्षण (एक्सपोजर विजिट)**— त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले को राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रदर्शन भ्रमण सह प्रशिक्षण हेतु कार्ययोजना बनाई जा चुकी हैं। जिसके अंतर्गत राज्य के अन्दर उत्कृष्ट पंचायतों के कार्यों का भ्रमण एवं राज्य के बाहर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में उत्कृष्ट पंचायतों के कार्यों का भ्रमण निरीक्षण कराया जायेगा। जो कि नवागत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को चुनाव पश्चात कराया जावेगा।

वित्तीय उपलब्धि

राशि करोड़ में

क्र.	वर्ष	भारत शासन से स्वीकृत कार्य योजना राशि	भारत शासन से मुक्त राशि (केन्द्रांश)	राज्यांश	कुल प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1	2018.19	227.65	62.79	41.86	104.65	92.86	11.79
2	2019.20	231.33	85.48	29.61	115.09	112.75	2.34

भौतिक उपलब्धि—

1. **अनुदेशको का प्रशिक्षण** : ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के प्रशिक्षण हेतु 626 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया है। जीपीडीपी जन अभियान अंतर्गत अद्यतन स्थिति में लगभग 26300' चयनित जनप्रतिनिधियों फेसिलेटर्स को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा प्रत्येक जनपद पंचायत में 10 अनुदेशक के मान से 313 जनपदों में 3130 अनुदेशको को हेण्ड होल्डिंग सपोर्ट हेतु प्रशिक्षित किया गया।

2. **संस्थागत प्रशिक्षण**— जीपीडीपी प्लान प्लस, प्रिया साफ्ट का तकनीकी प्रशिक्षण— लगभग 3026 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 22812 ग्राम पंचायतों के सचिव ग्राम रोजगार सहायक एवं 313 जनपदों के तकनीकी सहायको को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रदेश में चयनित जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले के प्रशिक्षण 2019–20 एवं 2020–21 की निम्नानुसार रणनीति है —

क्रं.	गतिविधि	गतिविधि का विवरण एवं कार्य एजेन्सी
1	1 एक्स पोजर विजिट प्रशिक्षण सह प्रदर्शन भ्रमण	महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, कर्नाटक, तैलंगाना के अंतर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों एवं नवाचार कार्यों के भ्रमण।
	2 राज्य के अन्दर (4 दिवसीय)	राज्यों के अन्दर उत्कृष्ट पुरुस्कृत आदर्श ग्राम पंचायतों एवं नवाचार कार्यों में भ्रमण
2	2 नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों का 3 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण	नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत स्तरीय सरपंच, उपसरपंच, पंच, एवं जिला एवं जनपद स्तर पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्य जिला जनपद स्तरीय प्रतिनिधि एवं कार्यकारी अमला

क्रं.	गतिविधि	गतिविधि का विवरण एवं कार्य एजेन्सी
3	आधारभूत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) प्रशिक्षण (3 दिवसीय) 1 मास्टर ट्रेनर्स	विभागीय मास्टर ट्रेनरों के साथ साथ चयनित संस्थागत एवं गैर संस्थागत प्रतिनिधियों को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के माध्यम से तैयार किये गये, प्रशिक्षण माड्यूल का प्रशिक्षण
4	वर्चुवल क्लास रूम प्रशिक्षण वीसी एवं प्रशिक्षण वीसी एवं ऑनलाईन प्रशिक्षण 1 (जीपीडीपी एवं प्रशिक्षण) 2 विभिन्न पोर्टलों का तकनीकी प्रशिक्षण)	ग्राम पंचायत स्तरीय 22812 (सचिव, राजगार सहायक) एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि 313 जनपद (सीईओ, एडीओ, एपीओ एवं पोर्टल का तकनीकी अमला) 51 जिला स्तरीय कार्यकारी अमला (एसीओ पीओ, एपीओ एवं पोर्टल का तकनीकी अमला)

5 पेसा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा को सशक्त बनाने एवं पेसा एक्ट की गतिविधियों का क्रियान्वयन –

1. **पेसा मोबलाइजर्स का चयन :-** अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा को सशक्त बनाने एवं पेसा एक्ट की गतिविधियों एवं प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु विशेष पैकेज के तहत पेसा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा मोबलाइजर नियुक्त करने हेतु आदेश कार्यालयीन पत्र क्रमांक 783 दिनांक 20.01.2020 द्वारा जारी किये गये हैं। 5221 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा मोबलाइजर्स चयन एवं पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलित है, मोबलाइजर्स की पदस्थापना उपरांत पेसा क्षेत्र की 89 जनपदों में पेसा समन्वयकों की पदस्थापना की जावेगी।

6 नवाचार पहल अंतर्गत आयोजित विशेष प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं –

1. **प्रदेश में बाल हितैषी पंचायतों को बढावा देने हेतु यूनिसेफ से संबद्ध समर्थन संस्था के माध्यम से दिनांक 2 दिसंबर 2019 को Conclave on Local Governance : Promoting child Centre GPDP की विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।**

2. **जेण्डर संवेदी महिला सशक्तिकरण राज्य स्तरीय कार्यशाला –** प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं हेतु जेण्डर संवेदी महिला सशक्तिकरण प्रयास एवं उनका राज्य में प्रभाव के आंकलन हेतु दिनांक 16-17 जनवरी 2020 को प्रदेश के मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के विभाग प्रमुखों, नीति आयोग, महिला आयोग, एवं विशिष्ट स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं प्रदेश की उत्कृष्ट महिला सरपंचों एवं पुरुष सरपंचों ने भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन विशेष रूप से डॉ अनीता प्रोफेसर एसआईआरडीपीआर राजस्थान द्वारा मध्य प्रदेश के संदर्भ में किये जा रहे, शोध अध्ययन के तहत किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता श्रीमती शिल्पा गुप्ता आयुक्त मनरेगा एवं सीईओ एनआरएलएम द्वारा की गई, कार्यशाला में जेण्डर संवेदी फोरम का निर्माण किया जाकर आगे की रणनीति निर्धारित की गई।

3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों की राज्य स्तरीय कार्यशाला –** ग्राम पंचायत विकास योजना जन अभियान के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में पहली बार प्रदेश के 313 जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन प्रशासन अकादमी में दिनांक 24 अक्टूबर 2019 को

किया गया, कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग की जीपीडीपी के संदर्भ में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।

4. बाल हितैषी ग्राम पंचायतों के साथ बाल केन्द्रित जीपीडीपी राज्य स्तरीय कार्यशाला :- प्रदेश में जीपीडीपी के माध्यम से बाल केन्द्रित गर्वनेन्स की संरचना विकसित करने हेतु यूनिसेफ भोपाल के माध्यम से समाज सेवी संस्थाओं समर्थन सेंटर फार डेवलपमेंट सपोर्ट के माध्यम से म.प्र. के 6 जिलों की 60 ग्राम पंचायतों को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में बाल हितैषी पंचायत के रूप में विकसित करने हेतु कार्यवाही की गई। इस हेतु विशेष कार्य योजना बनाई गई जिसमें सीधे बच्चों के हितों को प्रभावित करने वाली योजना का निर्माण किया गया।

5. त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी (वर्ष 2020 चुनाव) में नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन के रोडमैप हेतु आयोजित विभिन्न कार्यशाला एवं बैठके – राज्य सरकार द्वारा आने वाले पंचायत चुनाव के ठीक 6 माह के अंदर, सभी पंचायत प्रतिनिधियों का प्रारम्भिक तौर पर उन्मुखीकरण और मूलभूत प्रशिक्षण कराने का शत प्रतिशत लक्ष्य प्रस्तावित है। इसी परिप्रेक्ष्य में पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल एवं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल आपसी सहयोग से इन त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अगले दौर में चुनकर आने वाले पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु अग्रिम तैयारी की गई हैं। जिसमें तीनों स्तरों पर गठित पंचायतों को मिलाकर लगभग 22812 पंचायतों में पदस्थ होने वाले लगभग चार लाख पदाधिकारियों का प्रशिक्षण किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु वर्ष 2020 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनकर आने वाले पंचायत प्रतिनिधियों के मूलभूत उन्मुखीकरण प्रशिक्षण हेतु विस्तृत रूपरेखा एवं नियोजन की कार्यवाही की गई, जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं का निष्पादन राज्य व जिला स्तर से किये गये। प्रक्रियाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान हेतु (TNA) किया गया। जिसका बिन्दुवार प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाया गया :-

- 1. ट्रेनिंग नीड असेस्मेंट (TNA)** अंतर्गत संभागीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित सैम्पल आधार पर सर्वप्रथम 5 संभागों के करीब 250 ग्राम पंचायत पदाधिकारियों एवं पंचायत अमले के माध्यम से जानकारी एकत्र कर प्रशिक्षण के आवश्यकता की पहचान की गई।
- 2. दूसरी प्रक्रिया** की तहत प्रदेश स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों का क्षमता का आंकलन किया गया, जिसके तहत संस्था की अधोसंरचना मूलभूत सुविधा, प्रशिक्षक व अन्य स्टाफ, डिजीटल व एडवांस प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता इत्यादि मापदण्डों के आधार पर क्षमता का आंकलन किया गया है।
- 3. तीसरी प्रक्रिया** के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर होने वाले 22812 ग्राम पंचायतों के चयनित पदाधिकारियों के मूलभूत प्रशिक्षण हेतु संपूर्ण रूपरेखा एवं रणनीति अग्रिम रूप से तैयार की गई। चौथी प्रक्रिया के अंतर्गत इन प्रशिक्षणों को आयोजित करने के लिये ग्राम पंचायत मास्टर ट्रेनर एवं ग्राम पंचायत ट्रेनर के चयन व प्राथमिकता क्रम तय करने हेतु आवश्यक मापदण्ड निर्धारित किये गये, साथ ही मास्टर ट्रेनरों एवं ग्राम पंचायत ट्रेनरों के ट्रेनिंग हेतु उचित व्यवस्था एवं रणनीति तैयार की गई हैं।

6 पंचायतों के ऑनलाईन स्वयं की आय (ओएसआर) प्रणाली को विकसित करने हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन – आरजीएसए योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 कार्ययोजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय में वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु पंचायत को होने वाली आय को पारदर्शी बनाने के लिये पंचायत दर्पण पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाईन ओएसआर प्रणाली को विकसित करने हेतु एनआईसी

भोपाल के तकनीकी सहयोग से संजय गांधी युवा नेतृत्व संस्थान पचमढी में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिला एवं जनपद पंचायतों के सीइओ पंचायती राज मुख्यालय की ओर से आइटी शाखा के प्रमुख तथा एसपीएमयू टीम, तथा ग्वालियर एनआईसी के द्वारा किये गये पायलेट ओएसआर प्रणाली प्रोजेक्ट के टेक्निकल स्पेशीफिकेशन, माड्यूल एवं क्रियान्वयन अनुभव साझा किया गया।



7 पंचायत प्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा संवाद — कोविड 19 महामारी से जुड़ी व्यवस्थाओं एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साझा करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान म.प्र. शासन के द्वारा प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाईन वीसी के माध्यम से सीधे संवाद स्थापित किया, जिसमें पंचायतों के प्रधानों के द्वारा कोविड 19 से लड़ने के लिये उनके द्वारा किये गये तैयारी एवं व्यवस्थाओं व अनुभव को साझा किया साथ ही आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिये जरूरी रणनीति पर चर्चा की गई।

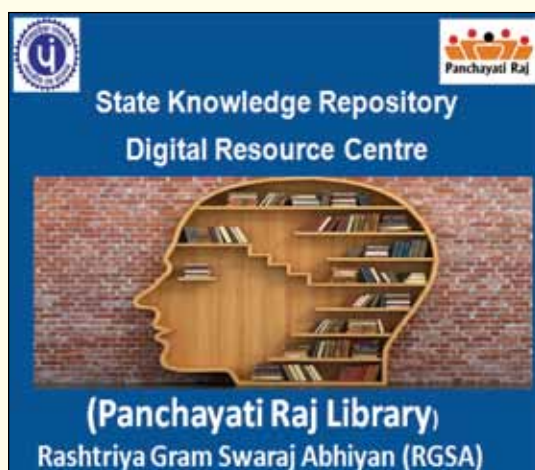
विशेष उपलब्धि—

1. **मिशन अन्त्योदय सर्वे एवं जीपीडीपी जन अभियान "सबकी योजना सबका विकास" का सफल क्रियान्वयन** :— जीपीडीपी जन अभियान अंतर्गत भारत शासन पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश में जीपीडीपी जन अभियान 2 अक्टूबर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक चलाया गया जिसके अंतर्गत प्रदेश की 22812 ग्राम पंचायतों में मिशन अन्त्योदय के मोबाईल एप पर शत प्रतिशत ग्राम पंचायतों का बेस लाईन सर्वे किया गया जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं तथा अधोसंरचनात्मक गेप का चिन्हांकन/मैपिंग किया गया जिसके आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में गेप फीलिंग गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुये इंटेंसिव एवं होलिस्टिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर विशेष ग्राम सभाओं में अनुमोदन किया जाकर समस्त 22812 ग्राम पंचायतों की वर्ष 2020-21 की जीपीडीपी की कार्ययोजना भारत शासन के पोर्टल पर प्लान प्लस में अपलोड किया गया, जिसकी उपयोगिता 14वे एवं 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि से होने वाले विकास कार्यों पर व्यय किया जावेगा साथ ही साथ हाल ही में कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत शुरू की गई, गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय लोगों को निर्माण कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी कार्यों का चयन/मैपिंग करने की योजना है।

2. **समय सीमा में ई ग्राम स्वराज पोर्टल में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का प्लान अपलोड**
:- भारत शासन के निर्देशानुसार ई ग्राम स्वराज पोर्टल/मोबाइल एप के माध्यम से प्रदेश की 22812 ग्राम पंचायतों में 15वे वित्त आयोग के नवीन निर्देशों के तहत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध 50 प्रतिशत राशि का उपयोग जल संवर्धन एवं स्वच्छता के कार्यों में किये जाने हेतु संशोधित कार्ययोजना का निर्माण 22812 ग्राम पंचायतों में किया जाकर जानकारी ई ग्राम स्वराज पोर्टल में अपलोड कर दी गई। जो कि वर्तमान में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
3. **भारत सरकार द्वारा बाल हितैषी पंचायत पुरस्कार से सम्मानित**— भारत शासन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों में बाल विकास केन्द्रित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु बाल हितैषी पंचायत अवार्ड का प्रारंभ किया गया जिसके तारतम्य वर्ष 2018–19 में प्रदेश की जिला सिंगरौली की जनपद पंचायत देवसर अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़ेरा को प्रथम बाल हितैषी पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही वर्ष 2019–20 में प्रदेश की 8 पंचायतों द्वारा इस श्रेणी में नामांकन भरा गया था जिसका राज्य एवं भारत सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा सत्यापन के आधार पर जिला एवं ब्लॉक नीमच की भडभडिया पंचायत को बाल हितैषी पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जहां की सरपंच श्रीमती हंसा श्याम जाटव के कुशल नेतृत्व में उनकी टीम के अथक प्रयास द्वारा अपनी पंचायत में विशेष रूप से बाल कुपोषण के दर को कम करने में सफलता पाई हैं और अन्य बाल हितैषी गतिविधियों जैसे स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता एवं शत प्रतिशत बच्चों का स्कूल में प्रवेश, मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता, आंगनबाड़ी केन्द्रों का सृदृढीकरण, स्कूल में बालक बालिका हेतु पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, खेल मैदान की व्यवस्था, युवक युवतियों के लिये कौशल उन्नयन प्रशिक्षण एवं पंचायत में शत-प्रतिशत टीकाकरण जैसे अहम कार्यों को समुदायी की सहभागिता एवं निगरानी से कराया जाता है। इसके अलावा म.प्र. में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत 13 पंचायत पदाधिकारियों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया है।
4. **पंचायत लर्निंग सेन्टर की स्थापना**— भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की केन्द्र परिवर्तित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में प्रदेश की कुल 8 पंचायतों में पंचायत लर्निंग सेन्टर स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके लिये चयनित ग्राम पंचायतों को राशि रुपये 4 लाख की स्वीकृति पंचायत लर्निंग सेन्टर्स को सुदृढ बनाये जाने के लिए दी गई है। इसी तारतम्य में प्रदेश की 8 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों जिसके अंतर्गत सरवर (भोपाल बैरसिया), रतुआ रतनपुर (भोपाल फन्दा) तिल्लौर खुर्द (इन्दौर) कोदरिया (इन्दौर महु) हातोद (शिवपुरी) दालोदा चौपाटी (मन्दसौर) नवादपुरा (धार) गंगाखेडी (झाबुआ) का चयन किया गया है जो कि स्वयं चयनित पंचायतें अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में सक्रिय हैं एवं अपने स्तर से अन्य पंचायतों के प्रतिनिधियों को सुसज्जित एवं इक्यूप्ड पंचायत लर्निंग सेन्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दे सकेंगे। जिसमें डिमोन्स्ट्रेशन एवं एक्सपोजर विजिट के प्रतिभागी स्वयं देखकर सीखने की पद्धति का अनुसरण कर सकेंगे।
5. **आकांक्षी/पेसा जिलों की उत्कृष्ट जीपीडीपी बनाये जाने पंचायतों को हेण्ड होल्डिंग सपोर्ट हेतु प्रोत्साहन राशि** — वर्ष 2019–20 में सबकी योजना सबका विकास अभियान के अंतर्गत किया गया मिशन अन्त्योदय सर्वे जिसके आधार पर ग्राम पंचायतों के द्वारा जन योजना अभियान के तत्वाधान में समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का निर्माण सभी 22812 ग्राम पंचायतों के द्वारा किया गया, जिसमें पंचायत को 11 अनुसूची द्वारा प्रत्यारोपित 29 विषय एवं राज्य सरकार द्वारा 18 लाईन विभागों के समन्वय तथा विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाकर समग्र जीपीडीपी के निर्माण हेतु विशेषज्ञों के तकनीकी सहयोग/दस्तावेजीकरण/ऑन लाईन पोर्टल में अपलोड/आईईसी गतिविधियों के संचालन हेतु आकांक्षी एवं पेसा जिलों की ग्राम पंचायतों

को उत्कृष्ट जीपीडीपी निर्माण हेतु हेण्ड होल्लिंग सपोर्ट हेतु 450 ग्राम पंचायतों राशि रुपये 10 हजार प्रति ग्राम पंचायतों को दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

6. **स्टेट नॉलेज रिपोजिटरी सह डिजिटल डेटा रिसोर्स सेन्टर एवं वीसी/वर्चुअल क्लास एवं दूरस्थ प्रशिक्षण स्टूडियो की स्थापना** – आरजीएसए आईईसी मद अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ साथ अन्य संबद्ध विभागों/विषयों की शासन स्तर से प्रदेश एवं अन्य राज्यों की अधिनियमों, नियमों, गजट नोटिफिकेशन, आदेश, दिशा निर्देश, मार्गदर्शिका, आदि का संकलन के साथ साथ ज्ञानवर्धक पुस्तकें, डाक्यूमेंट, अध्ययन, शोध रिपोर्ट, आदि का संग्रहण किया जाकर 22812 ग्राम पंचायतों में पंचायती राज व्यवथा को सुदृढ करने हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन हेतु स्टेट नॉलेज रिपोजिटरी सह डिजिटल डेटा रिसोर्स सेन्टर की स्थापना की जाना है जिसके लिये विभिन्न विभागों/पब्लिशरों/राज्यों के विभागों से समन्वय कर नालेज रिपोजिटरी संकलन की कार्यवाही प्रचलन में है। साथ ही मुख्यालय स्तर से नियमित वीसी एवं प्रशिक्षण हेतु ग्राम पंचायत स्तर तक आयोजित किये जाने हेतु डिजिटल वीसी/वर्चुअल क्लास एवं दूरस्थ प्रशिक्षण स्टूडियो की स्थापना की है।



7. **कोविड-19 वैश्विक महामारी के बचाव एवं रोकथाम हेतु पंचायतों के साथ ऑनलाईन टेक्नालॉजी के माध्यम संवाद एवं प्रशिक्षण** – कोविड 19 महामारी को दृष्टिगत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों एवं स्व सहायता समूहों के समन्वय से इस बीमारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु मुख्यालय स्तर से यूनिसेफ मध्यप्रदेश के सहयोग से सभी जिलों के ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सचिवों एवं अन्य सहकर्मियों तथा स्व सहायता समूह के प्रतिनिधियों के साथ ऑन लाईन के माध्यम से कोविड 19 से जुड़ी तैयारियों की जागरूकता बचाव एवं रोकथाम के उपाय सुरक्षा एवं मापदण्ड शहरों से लौटकर आने वाले मजदूरों के लिये किये जाने वाले जरूरी व्यवस्थाएँ आदि के उपर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके तारतम्य में विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से कोविड 19 की प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का निर्माण भी किया गया है जिसका उपयोग निकट भविष्य में क्रमिक रूप से ऑन लाईन/आफ लाईन प्रशिक्षण आयोजित किया जाकर कोविड 19 आपदा से लड़ने के लिये सशक्त बनाया जावेगा।
8. **अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) कम्पेंडियम का निर्माण** – अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) की ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं एवं वहां रहने वाले नागरिकों को दिये गये विशेष प्रावधानों जिसमें पेसा अधिनियम, वनाधिकार कानून जैसे अधिनियम, नियम, आदेश, गजट, नोटिफिकेशन के तहत सौंपे गये विशेषाधिकार, उनके

क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति, वहां की पारम्परिक रीति रिवाज एवं संस्कृति को संरक्षित बनाये रखने हेतु प्राप्त विशेषाधिकार एवं उनका अनुपालन, अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली तथा आजीविका के साधन के संरक्षण एवं विकास हेतु किया जाने वाला अध्ययन किया जाकर आरजीएसए योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशन में पेसा कम्पेंडियम निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसकी मदद से पेसा क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में पेसा प्रावधानों के क्रियान्वयन को सशक्त बनाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

9. **माडल ग्राम पंचायत क्लस्टर का निर्माण** – भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशों के अनुक्रम में वर्ष 2020-21 में एनआईआरडी पीआर हैदराबाद के सहयोग से देश भर में 250 माडल जीपी क्लस्टर डवलपमेंट प्रोजेक्ट लान्च किया जा रहा है जिसके तारतम्य में प्रदेश के 22 चयनित आकांक्षी/पेसा जिलों में इस प्रोजेक्ट संबंधित एक क्लस्टर का चयन किया जाना है जो कि अन्त्योदय ब्लॉक/रिसोर्स इंटेन्सिव ब्लॉक के रूप में पूर्व से चयनित है एवं चयनित क्लस्टर की कुल जनसंख्या (सभी चयनित ग्राम पंचायतों की जनसंख्या मिलाकर) 10 हजार से 25 हजार के बीच होनी चाहिये, इन चयनित मापदण्डों के आधार पर प्रदेश के 22 जिलों की 22 जीपी क्लस्टर का चयन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम), लाईवलीहुड (फार्म बेस्ड/स्किल एवं आर्ट-क्राफ्ट बेस्ड), एसएचजी पीआरआई कन्वर्जेन्स (सशक्त स्थानीय स्वशासन ईकाई) को दृष्टिगत माडल जीपी क्लस्टर निर्माण हेतु चयन किया गया है जिसमें इन्टेंसिव रूप से जीपीडीपी का निर्माण की गुणवत्ता एवं क्रियान्वयन रणनीति को सुदृढ़ किया जावेगा।
10. **पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ पुस्तिका का निर्माण** – वर्ष 2020 में होने वाले पंचायतों के चुनाव के दृष्टिगत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारीयों एवं सहायक स्टाफ, मास्टर ट्रेनरों आदि के मूलभूत प्रशिक्षण पठन पाठन हेतु संदर्भ पुस्तिका का निर्माण (वाल्यूम 1 एवं वाल्यूम 2) ट्रेनरों की ट्रेनिंग हेतु हेण्डबुक (वाल्यूम 1 एवं 2) एवं आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण माडयूल तैयार किया गया, जिसके सहायता से संपादित की जानी है। अतः इन सभी प्रक्रियाओं, अध्ययनों, आंकलनों, इत्यादि से निकले वस्तु स्थिति को बताते हुए अध्ययन प्रतिवेदन एवं रणनीतिक प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के द्वारा विभाग को प्रेषित की गई है, जिसके आधार पर चुनाव के उपरांत पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित पदाधिकारियों का मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जावेगा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्था के सहयोग से किया गया है।



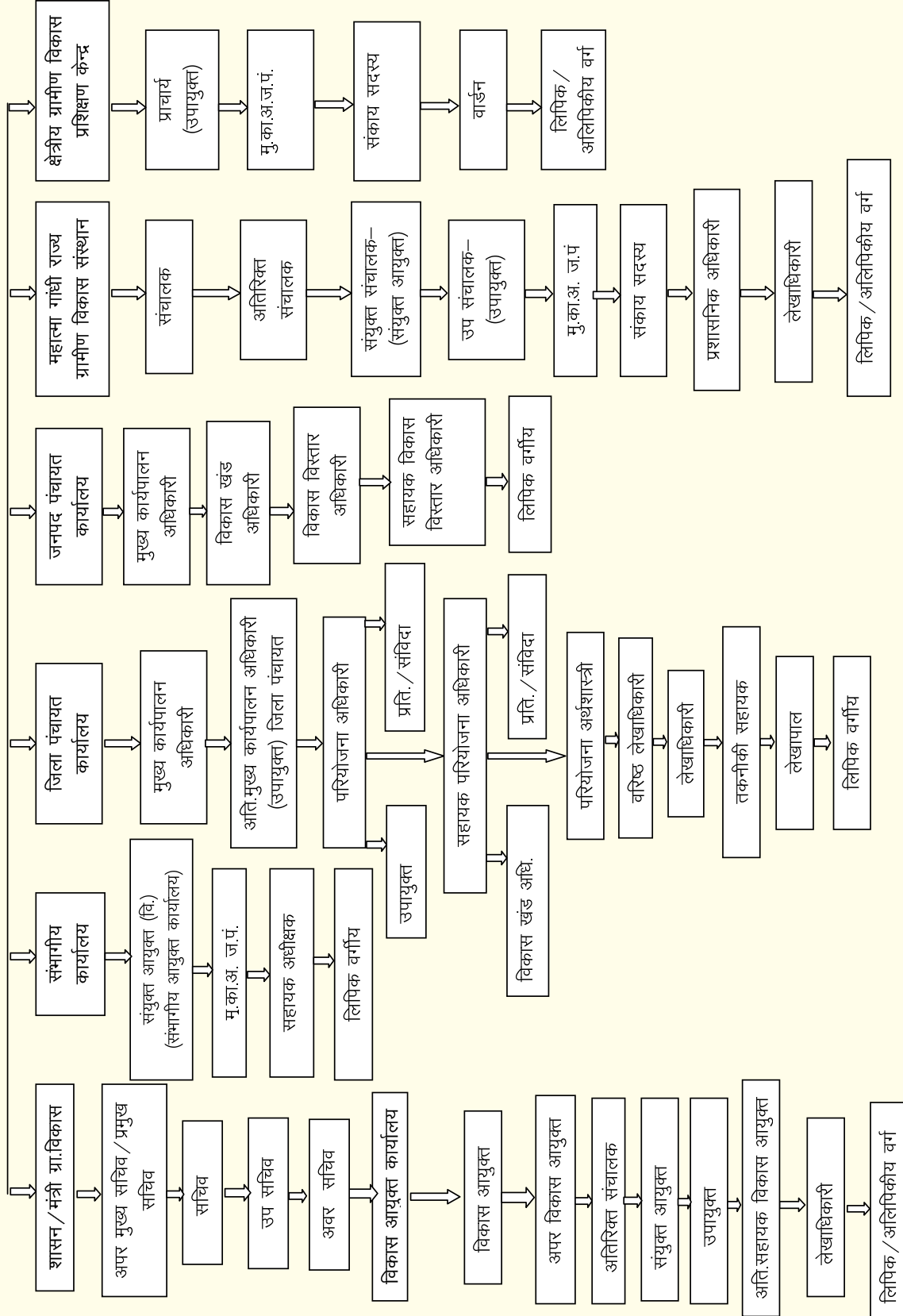
सांसद आदर्श ग्राम योजना

1. **योजना का नाम** — सांसद आदर्श ग्राम योजना।
2. **प्रस्तावना**— सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य मौजूदा संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गाँधी जी की ग्रामीण विकास की संकल्पना "स्वराज" को "सुराज" में बदलने के लिए आदर्श ग्रामों के विकास पर केन्द्रित है।
3. **उद्देश्य** —
 - i. निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।
 - ii. आबादी के सभी वर्गों के जीवन-स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना। यह कार्य निम्न के जरिए किया जाएगा :—
 1. उन्नत बुनियादी सुविधाएँ।
 2. अधिकतम उत्पादकता।
 3. बेहतर मानव विकास।
 4. बेहतर आजीविका के अवसर।
 5. असमानता में कमी।
 6. अधिकार और हकदारी के लिए पहुँच दिलाना।
 7. वृहत सामाजिक एकजुटता।
 8. समृद्ध सामाजिक पूंजी।
 - iii. स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके।
 - iv. निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके।
4. **कार्यक्षेत्र** — चयनित ग्राम पंचायत।
5. **भौतिक उपलब्धि** — 31 मार्च 2020 तक प्रदेश के कुल 92 ग्राम पंचायतों में यह योजना क्रियान्वित की गई है।

खण्ड दो
ग्रामीण विकास

विभागीय संरचना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय संरचना



विभागीय जांच, नियुक्तियों, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण (विकास आयुक्त कार्यालय अंतर्गत राज्य स्तर का अमला)

1. स्थानांतरण (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) :

क्र.	पदनाम	स्थानांतरणों की संख्या	संशोधन	निरस्त	पदस्थापना
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	120	04	07	00
2	विकास खंड अधिकारी	115	02	04	00
3	विकास विस्तार अधिकारी	04	00	00	00
4	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	52	00	01	00

2. नियुक्तियों :

- (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत — 03
(2) विकास खंड अधिकारी — 02

3. विभागीय जांच :

दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक

क्र.	पदनाम	विभागीय जांच मुख्यालय स्तर	विभागीय जांच संभाग स्तर पर	कुल
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज. पं.	09	24	33
2	विकास खंड अधिकारी	01	09	10

- (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत — 09
(2) विकास खंड अधिकारी — 01

(संभाग स्तर पर)

- (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत — 24
(2) विकास खंड अधिकारी — 09

4. न्यायालयीन प्रकरण : (मुख्यालय स्तर पर) कुल 138 न्यायालयीन प्रकरण है।

- (1) रिट पिटीशन (WP) के कुल 127 लंबित न्यायालयीन प्रकरण है, जिनमें से 116 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत।
(2) अवमानना (CP) प्रकरण के कुल 11 न्यायालयीन प्रकरण है, जिनमें 08 प्रकरणों में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत।

ग्रामीण विकास विभाग का संगठन एवं अधीनस्थ कार्यालय

- ग्रामीण विकास विभाग में प्रारंभ से विभागाध्यक्ष एवं शासन स्तर का एकल स्वरूप विद्यमान है। ग्रामीण विकास विभाग में विकास आयुक्त पदेन अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। सचिव, ग्रामीण विकास पदेन अपर विकास आयुक्त है।
- विभाग में विभागाध्यक्ष विकास आयुक्त हैं।
- विकास आयुक्त कार्यालय में केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनायें—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास मिशन का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाता है।
- पंचायतराज संचालनालय में त्रिस्तरीय पंचायतीराज से संबंधित कार्य किया जाता है।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा :

- विभाग के तकनीकी प्रकोष्ठ के रूप में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यरत है। प्रमुख अभियंता को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का विभागाध्यक्ष घोषित, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में भी दिनांक 22 सितम्बर, 2016 को किया गया है।
- प्रमुख अभियंता के अंतर्गत जबलपुर, इन्दौर तथा भोपाल में कुल तीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यरत।
- क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व संभाग में एक मण्डल कार्यालय कार्यरत है, जो अधीक्षण यंत्री के प्रभार में है। वर्तमान में 10 मण्डल कार्यालय कार्यरत है।
- जिलों का आकार एवं कार्यभार के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में 60 संभागीय कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका कार्य संपादन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा किया जा रहा है।
- जनपद पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को मिलाकर 1459 उपयंत्रियों के पद निर्मित हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. :

- योजना 2 फरवरी 2006 से लागू की गई।
- वर्तमान में 51 जिलों की 313 जनपद पंचायतों अंतर्गत क्रियान्वित है।
- निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है।
- अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार गठित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम —म.प्र. की कंडिका 1.6.1 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सामान्य सभा गठित है। इसके सभापति माननीय मुख्यमंत्री जी म.प्र. शासन हैं। यह सभा समन्वय, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण सहित प्रशासनिक दायित्वों के लिए उत्तरदायी है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम — म.प्र. अधिनियम के प्रावधान क्रमांक 1.6.4 के अनुसार परिषद् की राज्यस्तरीय सशक्त समिति गठित, जिसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन है। सशक्त समिति द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार योजना का क्रियान्वयन, परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशासनिक, वित्तीय प्रबंधन किया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :

- सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में वृद्धि करने तथा स्वच्छता पर ध्यान संकेन्द्रित करने हेतु, भारत के प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है।
- भारत शासन स्तर पर सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) एवं प्रदेश स्तर पर राज्य कार्यक्रम अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) इस मिशन के समन्वयक।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा-निर्देश और उसके अंतर्गत प्रावधानों को 02.10.2014 से लागू कर दिया गया है। क्रियान्वित जिलों में मिशन का संचालन जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाता है।
- जिला कलेक्टर, मिशन लीडर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समिति के सचिव हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :

- योजना के क्रियान्वयन हेतु म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत साधारण सभा का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गठन किया गया है।
- प्राधिकरण की कार्यकारिणी की अध्यक्षता माननीय मंत्री जी. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाती है।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन :

- मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ 2012 से ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के सशक्त स्व सहायता समूह बनाये जाकर उनका संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराने हेतु हुआ है।
- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णय अनुरूप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर आजीविका मिशन का क्रियान्वयन चरणबद्ध क्रम में समस्त जिलों में किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास :

- जुलाई 2015 से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम को “प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना” में समाहित कर “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास” नाम दिया गया है।
- योजना का बहुआयामी दृष्टिकोण नवीन जल स्रोतों के सृजन, प्रभावी जल परिवहन, जल के समुचित वितरण एवं दक्षतापूर्ण उपयोग को समाहित कर अभिकल्पित किया गया है।
- राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की साधारण सभा के सभापति माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन हैं।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :

- भारत सरकार एवं राज्य शासन से प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधनों का योजना के अनुरूप समुचित वित्तीय नियोजन हेतु स्वायत्त संस्था के रूप में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद् का गठन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के तहत किया गया है।
- परिषद की साधारण सभा के अध्यक्ष मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन हैं। साधारण सभा कार्य की नीति विषयक बिन्दुओं पर निर्णय लेती है, कार्यक्रम का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करती है।

- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद् के लिए विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जो नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन तथा कार्यक्रम के नियमित अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है।

भोपाल हाट :

- भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विशेष परियोजना “भोपाल हाट” की स्वीकृत दी गई थी।
- विशेष परियोजना के तहत भोपाल हाट का निर्माण किया गया है। भोपाल हाट के संचालन के लिए “भोपाल हाट” सोसायटी का गठन किया गया।
- समिति के गठन का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के स्व सहायता समूह एवं स्वरोजगारियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्रय कराना, ग्रामीण शिल्पियों स्व सहायता समूहों का डाटा बेस तैयार करना।
- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के मेलों के आयोजन का उद्देश्य स्वरोजगारियों को उनके उत्पादों का विशिष्टता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण, संसाधन एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है।

महात्मा गांधी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान :

- यह संस्थान जबलपुर में स्थित है एवं इसके अधीन 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण विकास के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र – ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नौगांव एवं मुलताई में है।
- प्रशिक्षण संस्थानों में पंचायत के पदाधिकारियों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- प्रदेश में 3 पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान मुलताई, शिवपुरी एवं नौगांव में स्थित है जहां पर पंचायत सचिव एवं सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- युवाओं को प्रेरित व प्रशिक्षित करने हेतु संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी में स्थापित है।

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल, :

- म.प्र. शासन ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जल एवं भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में राज्यस्तरीय शीर्ष संस्थान है। इस संस्थान में भू-जल संरक्षण पड़त भूमि विकास संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।
- संस्थान म.प्र. सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत दिनांक 31.08.1985 को क्र. 15463 पर पंजीकृत है। संस्था के प्रमुख कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रशिक्षण, अनुसंधान, समन्वयन, विस्तार एवं जानकारी का प्रचार-प्रसार, सलाहकारिता, तकनीकी अंतरण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं मानव संसाधन विकास संबंधी कार्य किये जाते हैं।

बजट

वर्ष 2018-19 का पुनरीक्षित बजट अनुमान, व्यय एवं वर्ष 2019-20 का बजट अनुमान एवं दिनांक-31-03-2020 तक का व्यय दर्शाने वाला पत्रक

ग्रामीण विकास विभाग-5802-विकास आयुक्त

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	योजना क्रमांक	संग संख्या /वर्ष	योजना का अनुपात	वर्ष 2018-19 बजट प्रावधान पुनरीक्षण योजना सहित	वर्ष 2018-19 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2019-20 बजट प्रावधान पुनरीक्षण योजना सहित	वर्ष 2019-20 का वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	6836	53	केन्द्रांश (60)	37980.00	12381.35	27300.00	27300.00
			2501	सहयोग (40)	25320.00	6690.46	16200.00	18200.00
				योग	63300.00	21071.81	43500.00	45500.00
2	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	5198	53	केन्द्रांश (60)	444055.00	326767.75	366000.00	270120.99
			2216	सहयोग (40)	215945.00	225598.39	264000.00	218314.97
				योग	660000.00	552366.14	630000.00	488435.96
3	आवास मापी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना	6923	53	केन्द्रांश (75)	172000.00	155361.47	178200.00	123531.90
			2505	सहयोग (25)	78000.00	46157.41	56300.00	40782.75
				योग	250000.00	203518.88	234500.00	164314.65
4	स्वच्छ भारत अभियान	5206	53	केन्द्रांश (60)	134040.01	40973.53	30000.00	24265.36
			2215	सहयोग (40)	89359.99	27315.69	20000.00	10734.63
				योग	223400.00	68289.22	50000.00	35000.01
5	आयुक्त भोजन कार्यक्रम	6901	53	केन्द्रांश (60)	86000.00	36091.76	66040.22	58657.10
			2515	सहयोग (40)	44000.00	37441.17	44026.78	43509.00
				योग	130000.00	73532.93	110067.00	103367.00
			53-4515	केन्द्रांश (00)	3670.77	3670.77	3660.00	0.00
	आयुक्त भोजन कार्यक्रम (किफिन घेडा)	6099	पूँजीगत	सहयोग (40)	2447.18	2447.18	2440.00	0.00
				योग	6117.95	6117.95	6100.00	0.00
	आयुक्त भोजन कार्यक्रम (सामूची चिखल)	7886	53-2515	केन्द्रांश (100)	9000.00	5028.91	5000.00	5000.00
	आयुक्त भोजन कार्यक्रम (विपिन चिखल)	6656	53-2515	केन्द्रांश (100)	1000.00	0.00	1000.00	0.00
				योग	126117.95	84679.79	122167.00	108357.00
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचनी योजना	5770	53	केन्द्रांश (60)	17100.00	15390.00	17100.00	17100.00
			2501	सहयोग (40)	11400.00	10260.00	11400.00	11400.00
				योग	28500.00	25650.00	28500.00	28500.00
7	जीवाणु परीक्षण	7466	53	केन्द्रांश (60)	620.00	0.00	0.00	0.00
			2501	सहयोग (40)	412.00	0.00	0.00	0.00
				योग	1032.00	0.00	0.00	0.00
8	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	7467	50-4515	सहयोग अनुदान	19500.00	17550.00	19500.00	19500.00
			पूँजीगत	केन्द्रांश (60)	15000.00	95642.43	15000.00	124286.38
				सहयोग (40)	80500.00	63761.62	80500.00	104887.15
				योग	250000.00	176954.05	250000.00	248675.52
9	स्वच्छ भारत मिशन	6660	53	केन्द्रांश (60)	3000.00	2700.00	3000.00	1350.00
			2515	सहयोग (40)	2000.00	1800.00	2000.00	1056.67
				योग	5000.00	4500.00	5000.00	2406.67
कुल केन्द्रांश					1038465.73	694007.97	877300.22	662824.35
केन्द्रांश के अनुसूचित समुदाय					568884.17	443021.82	518366.81	468388.06
अ-योग (केन्द्रांश योजना)					1607349.95	1137029.89	1395667.03	1121210.41
ग्रामीण आयोजना								
1	ग्रामीण सड़क योजना	5151	53-2216	सहयोग	3134.00	0.00	0.00	0.00
2	ग्रामीण सड़क योजना	5129	50-4515	पूँजीगत	20000.00	14000.00	20000.00	20000.00
3	ग्रामीण सड़क विकास प्राप्ति (अनुदान)	6216	50-2515	सहयोग	62250.00	47020.00	36372.44	28710.38
4	प्रधानमंत्री सड़क योजना (किफिन घेडा सहयोग व अनुदान अनुदान सह योजना)	8216	50-4515	पूँजीगत	15000.00	0.00	15000.00	15000.00
5	ग्रामीण सड़क विकास अनुदान योजना	1328	53-2515	सहयोग	12330.00	5615.07	5687.97	4442.08
6	ग्रामीण सड़क विकास प्राप्ति	6020	50-2505	सहयोग	523.00	470.70	475.57	380.46
7	ग्रामीण सड़क विकास प्राप्ति	5127	53-2501	सहयोग	0.00	0.00	1378.52	412.95
8	ग्रामीण सड़क विकास प्राप्ति	5484	53-2501	सहयोग	0.01	0.00	0.01	0.00
9	ग्रामीण सड़क विकास प्राप्ति	5565	50-2215	सहयोग	220.00	198.00	200.05	160.04
10	ग्रामीण सड़क विकास प्राप्ति	5566	50-2515	सहयोग	80.00	72.00	72.74	58.19
11	ग्रामीण सड़क विकास प्राप्ति	6108	50-2515	सहयोग	0.01	0.00	0.01	0.00
12	ग्रामीण सड़क विकास प्राप्ति	6255	50-2515	सहयोग	42760.01	42766.01	42600.00	42127.00
13	ग्रामीण सड़क विकास प्राप्ति	7251	50-4515	पूँजीगत	1500.00	1499.71	1000.00	371.09

लेखाधिकारी
विकास आयुक्त कार्यालय
ग्रामीण विकास भवन, नेपाल
स.प्र.

बागीचा विकास विभाग-5802-विकास आहुत

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	योजना क्रमांक	आंग संख्या /सौब	योजना का अनुगत	वर्ष 2018-19 बजट प्रावधान पूर्णतः निपटारा	वर्ष 2018-19 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2019-20 बजट प्रावधान पूर्णतः निपटारा	वर्ष 2019-20 का वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	1. नर्सरी स्पर्शजल/आर्थिक वनस्पति योजना	7571	30-2501	राजस्व	3150.00	3150.00	800.00	640.00
17	राष्ट्रीय बागीचा योजना का अंश योजना हेतु निर्माण बागवानी भवन (नर्सरी)	2308	30-2505	राजस्व	0.00	0.00	454.66	305.53
18	रेडि ट्रैट टेक्स्टाइल बाल वनस्पति	2372	30-2501	राजस्व	6970.00	6970.00	400.00	0.00
19	मुद्राभागी योजना सड़क योजना (विदेशी सहयोग)	70654	50-4515	पूंजीगत	100000.00	80000.00	140000.00	112533.60
राज्य आयोजना					287923.06	205961.49	264850.02	223152.90
वैतन मन्त्रालय संबंधित योजनाएं								
1	राज्य सेवा का अग्रणी	8774	30-2501	राजस्व	658.99	524.59	272.77	162.06
2	राज्य सेवा का अग्रणी	5568	30-2501	राजस्व	55.00	55.00	263.70	210.06
3	राज्य सेवा का अग्रणी	8711	30-2501	राजस्व	680.00	860.00	800.10	640.15
4	विकास बजट का अग्रणी	1033	30-2515	राजस्व	15377.51	13161.49	15885.07	13730.40
6	राज्य सेवा का अग्रणी	9467	30-2515	राजस्व	145.00	145.00	0.00	0.00
7	राज्य सेवा का अग्रणी	1168	30-2515	राजस्व	400.00	400.00	400.10	300.08
8	राज्य बागीचा विकास प्रशिक्षण हेतु अग्रणी	1214	30-2515	राजस्व	392.00	392.00	364.26	300.81
9	राज्य सेवा का अग्रणी का निर्माण/विपुल/आदि	1032	30-2515	राजस्व	300.00	168.98	268.26	101.04
10	निर्माण सामग्री प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की योजना	6550	30-2515	राजस्व	95.00	12.90	20.00	0.00
11	राज्य सेवा का अग्रणी का अग्रणी	5927	30-2515	राजस्व	715.60	807.55	304.05	285.41
12	राज्य सेवा का अग्रणी का अग्रणी	7300	30-2515	राजस्व	0.01	0.00	0.01	0.00
13	राज्य सेवा का अग्रणी का अग्रणी	6440	30-2515	राजस्व	0.02	0.00	0.01	0.00
14	विकास आहुत	3926	30-2515	राजस्व	787.71	577.58	1444.88	947.34
वैतन मन्त्रालय संबंधित योजनाओं का योग					19808.84	16945.49	20063.30	16728.05
योग (5802-विकास आहुत)					1995079.86	1359936.96	1680380.35	1361091.39
प्रमुख अभियंता, बागीचा विकास विभाग-5803								
1	मुद्राभागी योजना का अग्रणी	6084	30-53-4515	पूंजीगत	32000.00	22800.22	20000.00	14801.94
2	बागीचा विकास योजना (वैतन-मन्त्रालय)	1208	30-2515	राजस्व	17409.63	16012.20	18283.54	17612.33
3	राज्य सेवा का अग्रणी	7252	30-4515	पूंजीगत	0.00	0.00	0.01	0.00
योग (5803-बागीचा विकास विभाग)					49409.63	38812.42	38283.60	32414.26
कुल योग (5802-विकास आहुत+5803-बागीचा विकास विभाग)					1944579.48	1398749.28	1718663.95	1393505.62

लेखाधिकारी
विकास आहुत, बागीचा विकास विभाग
प्रमुख अभियंता

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रशासनिक संरचना :

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत तकनीकी एवं निर्माण प्रकोष्ठ के रूप में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रु. 15 लाख लागत तक के निर्माण कार्यों का संपादन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है तथा शेष निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से सीधे संपादित किये जाते हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के इस प्रकार दो मुख्य दायित्व हैं:

- प्रथम दायित्व के रूप में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा संपादित किये जा रहे समस्त निर्माण कार्यों पर तकनीकी सलाह एवं तकनीकी नियंत्रण का कार्य।
- द्वितीय दायित्व के रूप में विभिन्न विभागों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधोसंरचना के कार्यों का क्रियान्वयन।

प्रमुख अभियंता के अंतर्गत जबलपुर, इन्दौर तथा भोपाल में कुल तीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यरत है। इन क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व संभाग में एक मण्डल कार्यालय कार्यरत है, जो कि अधीक्षण यंत्री के प्रभार में है। वर्तमान में 10 मण्डल कार्यालय कार्यरत है। जिलों का आकार एवं कार्यभार के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में 60 संभागीय कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका कार्य संपादन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। इन 60 संभागीय कार्यालय के अंतर्गत 182 उपसंभागीय कार्यालय कार्यरत है। जनपदों में एवं उपसंभागीय कार्यालयों हेतु 643 सहायक यंत्रियों के पद निर्मित हैं। जनपद पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को मिलाकर 1459 उपयंत्रियों के पद निर्मित हैं। विभाग की प्रशासनिक संरचना का विवरण चार्ट निम्नानुसार है।



ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रशासनिक संरचना

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा सम्पादित कार्य : ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा संपादित किये जा रहे निर्माण कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है।

1. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना :

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य :-

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य शासन ने द्वारा सार्वभौमिक सड़क सम्पर्कता की ओर कदम बढ़ाते हुए गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 आबादी से कम के ग्रामों को बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई।



कार्य का स्वरूप :-

प्रदेश के समस्त 52 जिलों में 8711 ग्रामों को बारहमासी ग्रेवल सड़क से जोड़ने के लिए 19679 कि.मी. लंबाई की 8505 सड़कों के निर्माण की कार्य योजना स्वीकृत की गई। योजना अंतर्गत पुल-पुलियों सहित ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि :-

योजनान्तर्गत मार्च, 2020 तक 8000 सड़कें लंबाई 18362 कि.मी. पूर्ण की गई, पूर्ण सड़कों से 8216 ग्राम लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मार्च, 2020 तक रु. 148.10 करोड़ का व्यय किया गया है।

2. विकास भवन सह ई-गवर्नेंस सेंटर का निर्माण :-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले भोपाल में स्थित विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों एवं कार्यालयों को एक ही भवन में स्थापित करने की दृष्टि से राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि भोपाल में “विकास भवन सह ई-गवर्नेंस सेंटर” भवन का निर्माण कार्य किया जावे।

प्रस्तावित भवन



वर्तमान चित्र



शासन ने उक्त भवन के लिए भोपाल में अरेरा हिल्स पर लगभग 2.00 एकड़ भूमि पुराने जेल भवन के सामने उपलब्ध कराई गई है। इस भवन के निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा रु. 53.38 करोड़ राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 07.05.2012 को प्रदान की गई है। इस भवन के निर्माण के लिए वास्तुविद सेवाएं आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था ई.पी.सी.ओ. (एफ्को) द्वारा प्रदान की गई हैं। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है जिस पर मार्च 2019 तक राशि रु. 50.93 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

3. मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना :-

योजना अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गिरते हुए जल स्तर को उठाने एवं निस्तार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु तालाबों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तालाबों की उपयोगिता एवं जल संवर्धन के महत्व के दृष्टिगत उपयुक्त स्थलों पर बहुउद्देशीय ग्राम सरोवरों का निर्माण किया जावेगा। तालाबों के साथ घाट निर्माण का कार्य भी आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा। कार्य संपादन हेतु प्रारंभिक तैयारी के रूप में स्थलों का चिन्हांकन किया जा चुका है। इन चिन्हित स्थानों पर विस्तृत सर्वे उपरांत कार्यों के लगभग 450 डीपीआर तैयार किये गये हैं। योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 तक 246 तालाबों की प्रशासकीय स्वीकृति पंचायत राज संचालनालय द्वारा रु. 280.78 करोड़ की जारी गई है। योजनान्तर्गत उपलब्ध आवंटन से 90 कार्यों के नाला क्लोजर कर दिये गये हैं। मार्च 2020 तक 32 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।



4. टेक होम राशन संयंत्र

प्रदेश के 7 जिलों में टेक होम राशन संयंत्र क्रमशः धार, देवास, मण्डला, रीवा, सागर, शिवपुरी में 2500 मैट्रिक टन एवं होशंगाबाद में 600 मैट्रिक टन के संयंत्र का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त कार्य वर्ष 2018-19 में राशि रु. 62.64 करोड़ के स्वीकृत किये गये। इन में से 05 कार्य पूर्ण कराए गए हैं एवं 02 कार्य प्रगतिरत हैं। मार्च 2020 तक रु. 53.69 करोड़ व्यय किया गया है।



5. निर्माण कार्यों की स्वीकृति, निरीक्षण एवं देयकों के भुगतान की ऑनलाईन मॉनिटरिंग (RES OWMS (Rural Engineering Services Online Work Management System) :

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में दिनांक 11 जनवरी 2019 से RES OWMS (Rural Engineering Services Online Work Management System) के माध्यम से विभाग अंतर्गत निर्माण कार्यों के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति जारी की जाकर प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ एवं अनुबंध से संबंधित सभी कार्य ऑन लाईन किये जाकर देयकों का भुगतान किया जा रहा है। RES OWMS को "डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल डेवलपमेंट" कैटेगरी में ई गवर्नेंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2019, नई दिल्ली में दिनांक 06 नवंबर 2019 को अवार्ड दिया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश

यह योजना भारत सरकार द्वारा “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005” के तहत संचालित है।

योजना का उद्देश्य :

- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक जॉब कार्डधारी परिवारों को संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुरक्षा करना।
- वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर हक प्रमाण पत्र धारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन।

योजना के पात्र :

- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक वयस्क सदस्य।

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया :

- इच्छुक परिवारों का ग्राम पंचायत में पंजीयन कराना होगा।
- पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत निःशुल्क जॉबकार्ड प्रदान करेगी।
- जॉबकार्डधारक द्वारा रोजगार हेतु आवेदन करने पर 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

योजना के तहत मजदूरी :

- मनरेगा अंतर्गत निर्धारित दर से बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान योजना अंतर्गत “जितना काम उतना दाम” के आधार पर अधिकतम 15 दिवस में किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्तमान में (वर्ष 2019-20) 176.00 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दर (01 अप्रैल 2019 से) प्रभावशील है। पुरुष एवं महिला की मजदूरी दर समान है।

किए जा रहे प्रमुख कार्य :

हितग्राही मूलक :

- हितैषी कपिलधारा • खेत तालाब • नाडेप व वर्मी कम्पोस्ट • पशुशेड/मुर्गीशेड/बकरीशेड • निजी खेत व निजी खेत की मेढ़ पर वृक्षारोपण • प्रधानमंत्री आवास में 90 दिनों की मजदूरी (PMAY)

समुदाय मूलक :

- मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना • नदी पुनर्जीवन • निर्मल नीर • ग्रामीण क्रीड़ांगन • शांतिधाम • बारहमासी सड़क सम्पर्कता (• आंतरिक सीमेंट कांक्रीट सड़क/पथ निर्माण • सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोगना) • भारत निर्माण सेवा केन्द्र (पंचायत भवन) • आंगनबाड़ी भवन • अनाज गोदाम • प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन (NRM) • शासकीय स्कूल में बाउण्ड्रीवाल (कम्पाउण्ड वाल) का अभिसरण से निर्माण • वृक्षारोपण • तालाब/सामुदायिक खेत तालाब • चेक डेम तथा शासन द्वारा अनुमत्य अन्य कार्य।

पदस्थ अमला : योजना क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार अमला पदस्थ है :-

स्तर	पदस्थ अमला
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद (मुख्यालय), भोपाल	87
संभाग स्तर पर	15
जिला स्तर पर	301
जनपद स्तर पर	2809
ग्राम पंचायत स्तर पर	20568
कुल योग	23780

रोजगार की उपलब्धता :

- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्ष 2019-20 में 70.47 लाख जॉबकार्डधारी परिवारों एवं 54.12 लाख सक्रिय जॉबकार्डधारी परिवार है एवं 1931.41 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं।
- जिनमें से अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा 14.52% मानव दिवस, अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा 33.25% मानव दिवस तथा कुल मानव दिवस में से 38.11% मानव दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किए गये हैं।
- वर्ष 2019-20 में 54,877 निःशक्तजनों को महात्मा गांधी नरेगा से रोजगार उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय स्थिति :

वित्त वर्ष 2019-20

विवरण			राशि रुपये (करोड़ में)
सामग्री एवं प्रशासनिक मद	केन्द्रांश	राज्यांश	1631.31
	1223.49	407.83	
NeFMS राशि (मजदूरी) 100 प्रतिशत केन्द्रांश			3496.18
सामग्री में व्यय			148.43
प्रशासकीय व्यय			267.31
कुल व्यय			5481.92

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अकुशल मजदूरी भुगतान एफटीओ द्वारा 3496.18 करोड़ रुपये एवं सामग्री पर एफटीओ द्वारा 1418.13 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि 4914.61 करोड़ रुपये हस्तांतरित की गई। प्रशासकीय व्यय 267.13 करोड़ रुपये किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1931.41 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल पूर्ण कार्यों की संख्या 509717 एवं प्रगतिरत कार्यों की संख्या 7.28 लाख है।

प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (MIS)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर <http://nrega.nic.in> का निर्माण किया गया है। योजना में पारदर्शिता की दृष्टि से आमजन सीधे ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नरेगा साफ्टवेयर का उपयोग कर योजना क्रियान्वयन, मजदूरी, इलेक्ट्रानिक मस्टर रोल, कार्यों एवं उन पर होने

वाले व्यय के सीधे भुगतान के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन, मॉनिटरिंग तथा रियल टाईम सूचना तंत्र विकसित किया गया है।

राज्य में मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित सम्पूर्ण कार्यों का व्यय राज्य के योजना खाते से एफटीओ के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश में ई-एफएमएस प्रणाली के लागू होने के वृहद स्वरूप की मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में अनेक लाभ हुये हैं तथा रोजगार की उपलब्धता, समय पर भुगतान, शिकायत निवारण, वित्तीय तथा कार्य क्रियान्वयन की दृष्टि से यह सर्वोत्तम तथा आदर्श ई-गवर्नेंस व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। प्रदेश में मजदूरी का भुगतान सीधे भारत सरकार के खाते से मजदूरों के खातों में NeFMS (National Electronic Fund Management System) से किया जा रहा है।

प्रशासनिक व्यय अंतर्गत कार्यरत अमले का वेतन तथा अन्य कार्यालयीन व्यय करने के लिये विभिन्न मदों में बजट की सीमा अंतर्गत व्यय करने हेतु राज्य स्तर पर पूल खाते से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति विकसित की गई है। जिला एवं जनपद पंचायतों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व अन्य कार्यालयों को निर्धारित सीमा तक व्यय हेतु डिजिटल सिग्नेचर से इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर आर्डर करने का प्रावधान किया गया है।

GIS : (Geographical Information System)

जियो मनरेगा :

जियो मनरेगा अंतर्गत इंडियन स्पेश रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) के भुवन मोबाईल एप के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से पंजीकृत एमएसई द्वारा कार्य स्थल से जियोटैग फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति सेटलाईट मैप पर देखी जा सकती है। कार्यों की जीआईएस के साथ-साथ कार्यों पर हुये व्यय आदि का विवरण भी भुवन पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। मौके पर कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने तथा पारदर्शिता की दृष्टि से यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय चरण में जियो मनरेगा प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण जियो मनरेगा में नवम्बर 2017 से पूर्व प्रारंभ हुये ऐसे समस्त कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं, उनको कार्य पूर्णता होने पर कार्य का जियो टैग फोटोग्राफ प्राप्त करने का प्रावधान है। इसी प्रकार द्वितीय चरण जियो मनरेगा में नवम्बर 2017 से प्रारंभ कार्यों के 03 स्थितियों के फोटोग्राफ लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

जियो मनरेगा फेस-2 अंतर्गत जियो मनरेगा द्वितीय चरण के कार्यों के 03 स्थितियों के भुवन मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से फोटोग्राफ लिया जाना अनिवार्य किया गया है। प्रथम स्थिति कार्य स्वीकृत के बाद कार्य प्रारंभ होने के पूर्व का कार्य स्थल का फोटो जियोटैग करना, द्वितीय स्थिति प्रगतिरत कार्य की फोटो जियोटैग करना एवं तृतीय स्थिति में पूर्ण कार्य की फोटो जियोटैग करना आवश्यक है। कार्य का प्रथम मस्टर प्लान जारी करने के पूर्व प्रथम स्थिति का फोटोग्राफ, कार्य पर 30 से 60 प्रतिशत के मध्य व्यय होने पर द्वितीय स्थिति का फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ण होने पर तृतीय स्थिति का फोटोग्राफ अनिवार्य किया गया है।

जीआईएस आधारित प्लानिंग :

प्रत्येक वर्ष समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत आवश्यकता अनुसार कार्य योजना तैयार की जाती है जिसमें मनरेगा में अनुमत विभिन्न NRM (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) एवं Non-NRM कार्य चिन्हित किए जाते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद की 02 ग्राम पंचायतों के GIS आधारित कार्ययोजना बनाई जानी थी। इस हेतु प्रत्येक जिले से 2-2 मास्टर ट्रेन चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया। जीआईएस आधारित प्लानिंग हेतु Google Maps एवं Bhuwan वेबपोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न नक्शे जैसे – Location map, Land-use land-cover map, Soil erosion map, Geomorphology map, Lineament map, Drainage map, Watershed boundary map, Hydrology map, Salt affected map, Geo-MGNREGA Asset Map आदि का उपयोग कर ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति अनुसार कार्य चिन्हित किए गए। निर्देशानुसार

प्रत्येक जनपद की 02 ग्राम पंचायतों के GIS आधारित कार्ययोजना बनाई जाकर उसे नरेगा साफ्ट पर अपलोड किया गया।

SECURE Software :

SECURE (Software for Estimate Calculation Using Rural Rates) का क्रियान्वयन मनरेगा योजना में 01 अप्रैल 2019 से मध्यप्रदेश में किया गया है। उक्तानुसार सॉफ्टवेयर से कार्यों का प्राक्कलन तैयार किया जाना एवं कार्यों की स्वीकृति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। नरेगा सॉफ्टवेयर में कार्ययोजना में दर्ज कार्य प्राक्कलन हेतु SECURE पर कार्य उपलब्ध होंगे, उपयंत्री द्वारा कार्य का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा जारी की जावेगी।

सॉफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग में पदस्थ समस्त उपयंत्रियों एवं सहायक यंत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक था। उक्त हेतु वाल्मी द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर, राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

SECURE Software अंतर्गत कार्य दायित्व :

- **वरिष्ठ डाटा मैनेजर** – समस्त उपयोक्ताओं के पंजीयन करना।
- **उपयंत्री** – प्राक्कलन तैयार करना।
- **सहायक यंत्री** – तैयार प्राक्कलन को चेक करना, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना अथवा स्वीकृति हेतु अग्रेषित करना।
- **कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता** – शासन के निर्देशों के अनुसार 15 लाख से अधिक राशि के कार्यों में तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।
- **सरपंच** – 15 लाख तक कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।
- **मु.का.अधिकारी जनपद पंचायत/जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त/विकास आयुक्त** – शासन के नियमों के अनुरूप 15 लाख से अधिक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।

सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन उपरांत नरेगा में स्वीकृत होने वाले कार्यों के डिजीटल प्राक्कलन तैयार किये जावेंगे, जिससे कार्य में पारदर्शिता आवेगी साथ ही काम त्वरित हो सकेगा।

मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम :

भारत सरकार द्वारा मस्टर रोल पर समय पर उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप उपलब्ध कराया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य के क्रियान्वयन के स्थान पर ही मजदूरों की उपस्थिति की प्रविष्टि की जा सकती है एवं कार्य का जियो टैग फोटो भी लिया जा सकता है।

मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का पायलेट क्रियान्वयन जिला भोपाल की फन्दा जनपद की 01 ग्राम पंचायत (बकानिया) में जुलाई 2019 में सफलतापूर्वक किया गया है। तत्पश्चात समस्त जिलों को इस एप्लीकेशन के क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है।

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम :

वर्षाकाल के पश्चात् भी नदियों में पानी सतत् प्रवाह (Environmental Flow) बनाये रखने के उद्देश्य से मनरेगा के अंतर्गत नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत 36 जिलों में 40 नदियों का चयन किया गया है। चयनित नदियों के कैचमेंट का कुल क्षेत्रफल 21 लाख हैक्टेयर है, जिसमें 1959 ग्राम पंचायतें और 3620 ग्राम शामिल हैं। चयनित नदियों के कैचमेंट में सतही जल संग्रहण और भू-जल संवर्धन के कार्य वाटरशेड के सिद्धांत के आधार पर Saturation Mode में कार्यान्वित किये जायेंगे ताकि बेस फ्लो के पुनः जागृत होने पर नदियों में पानी के प्रवाहकाल में वृद्धि हो सके। कार्यक्रम के अंतर्गत सतही जल संग्रहण

और भू-जल संवर्धन के कार्य सघनता (Intensively) से चयनित कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किये गये हैं। कार्यों के चयन में रिमोट सेंसिंग इनपुट का भी उपयोग किया गया है। चयनित कार्यों में प्रमुख रूप से कंटूर ट्रेंच, गली प्लग/लूज बोल्टर चेक, गैबियन संरचना, चेकडेम/स्टाप डेम, तालाब, खेत तालाब, मेढ़ बंधान, वृक्षारोपण एवं भू-जल संवर्धन के कार्य जैसे परकोलेशन तालाब, कुंओ का रिचार्ज, डाईक, रिचार्ज शाफ्ट इत्यादि शामिल हैं। चयनित कार्यों का परिणाममूलक तथा गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है। अद्यतन स्थिति में रुपये 868 करोड़ की लागत से 50370 कार्यों की स्वीकृति प्रदाय की जा चुकी है। रुपये 237 करोड़ की लागत से 22296 कार्यों का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। रुपये 34 करोड़ की लागत से 3957 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना [सामुदायिक कैटलशेड (गौशाला परियोजना)] : SHG/NGO/Others

निराश्रित गौवंश की देख-रेख के लिये गौशालाओं निर्माण कार्य का वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1000 लक्ष्य रखा गया है। जिसकी क्रियान्वयन ऐजेंसी ग्राम पंचायत/SHG/NGO/Others के माध्यम से किया जा सकता है। गौशाला निर्माण कार्य के परियोजना घटक – गौशाला शेड, बछड़ा शेड, हौज, भूसा गोदाम, कम्पोस्ट यूनिट/नाडेप, चौकीदार कक्ष, ट्यूब वेल, मोटर पम्प, पानी की टंकी आदि हैं। गौशाला निर्माण कार्य की अनुमानित लागत (100 गौवंश हेतु) – राशि रु. 39.85 लाख है। जिसमें वित्तीय व्यवस्था मनरेगा से 37.85 लाख (मजदूरी सामग्री अनुपात 89:11) तथा ट्यूब वेल, पानी की टंकी एवं चेप कटर के लिए 1.50 लाख प्रति गौशाला कृषि विभाग के अंतर्गत RKVY योजना से एवं मोटर पम्प व अन्य उपकरण हेतु 0.50 लाख प्रति गौशाला पशुपालन/राज्य मद से हैं।

वर्तमान में गौशाला निर्माण कार्यों की प्रगति :-(दिनांक 31 मार्च 2020 तक प्रगति)

• प्रशासकीय स्वीकृति (गौशाला)	—	1007
• प्रशासकीय स्वीकृति (गौशाला विस्तारीकरण)	—	44
• मजदूरी पर व्यय	—	12.60 लाख
• सामग्री पर व्यय राशि	—	113.36 लाख
• कुल व्यय राशि	—	194.94 लाख
• पूर्ण कार्य	—	582
• शेष कार्य प्रगतिरत।		

चरागाह विकास की प्रगति :- (दिनांक 31 मार्च 2020 तक)

• प्रशासकीय स्वीकृति (चरागाह)	—	745
• बुआई कार्य पूर्ण स्थलों की संख्या	—	62
• बुआई कार्य प्रगतिरत स्थलों की संख्या	—	99
• कुल व्यय राशि	—	525 लाख

सामाजिक अंकेक्षण :

- सामाजिक लेखा परीक्षा नियम 2011 के अनुपालन में वर्ष 2019-20 में प्रदेश की 18576 ग्राम पंचायतों

में मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण लक्षित किया गया, जिनमें 2326 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों के साथ मिशन अन्त्योदय अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण का लक्ष्य भी सम्मिलित है।

- उक्त लक्षित ग्राम पंचायतों के विरुद्ध 14192 ग्राम पंचायतों (76 प्रतिशत) में सामाजिक अंकेक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में सामाजिक अंकेक्षण हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में से शेष रही 462 ग्राम पंचायतों में भी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया पूर्ण की गई।
- सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2019-20 में प्रदेश के चिन्हांकित 23 पायलट जिलों में नवीन प्रक्रिया से लगभग 2400 ग्राम सामाजिक एनिमेटर का चिन्हांकन किया गया। पायलट जिलों में ग्राम सामाजिक एनिमेटर के रूप में प्रशिक्षित बेयरफुट टेक्निशियन/नेहरू युवा केन्द्र के वर्तमान अथवा पूर्व में कार्यरत विकासखण्ड युवा समन्वयक, एनआरएलएम स्व-सहायता समूह अंतर्गत बुककीपर, महिला सामुदायिक स्रोत व्यक्ति (CRP)/ सामाजिक अंकेक्षण कार्य में पूर्व में संलग्न रह चुके व्हीएसए को लिखित परीक्षा, मोबाईल प्रैक्टिकल, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के माध्यम से चिन्हांकित एवं प्रशिक्षित किया जाकर सामाजिक अंकेक्षण कार्य में संलग्न किया गया।
- पायलट 23 जिलों में (10624 ग्रा.पं) मनरेगा कार्यों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा.) के कार्यों का भी सामाजिक अंकेक्षण लक्षित किया जाकर 8034 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2019-20 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया से 6682 मुद्दे प्राप्त हुए। उक्त प्राप्त मुद्दों में से 2530 मुद्दे संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा निराकृत किए गए हैं, जिनकी एण्ट्री मनरेगा पोर्टल में की गई है।



सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा— ग्राम पंचायत
चिचली, वि.ख पुनासा जिला खण्डवा



भौतिक सत्यापन — ग्राम पंचायत दिरोदा
वि.ख— बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर

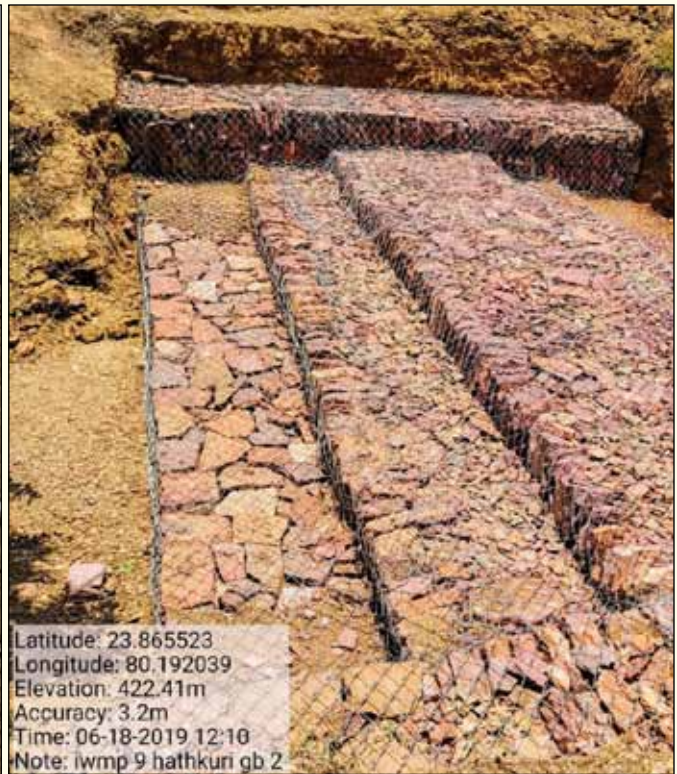


पौधरोपण कार्य का भौतिक सत्यापन विकासखण्ड- करेली,
जिला नरसिंहपुर



सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा- ग्रा.पं चिचली
विकासखण्ड-पुनासा, जिला खण्डवा





नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम अंतर्गत लूज बोल्टर, गेबियन स्ट्रक्चर, कन्टूर ट्रेंच निर्माण कार्य जिला-खण्डवा



नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम अंतर्गत लूज बोल्टर, गेबियन स्ट्रक्चर, कन्टूर ट्रेंच निर्माण कार्य जिला-खण्डवा

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मध्यप्रदेश

परिदृश्य :

- सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में वृद्धि करने हेतु 2 अक्टूबर, 2014 को “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” की शुरुआत हुई।
- मिशन की गतिविधियों के लिये 60 प्रतिशत भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वित्त पोषण किया जाता है।
- मिशन सभी जिलों के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर मिशन का नोडल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। मिशन के समन्वयक राज्य कार्यक्रम अधिकारी है।
- जिलों में संचालन, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाता है। जिला कलेक्टर मिशन लीडर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सचिव है।

उद्देश्य :

- स्वच्छता, साफ – सफाई और खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने की गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो सम्पूर्ण साफ – सफाई के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान संकेन्द्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों को विकसित करना।

मुख्य घटक :

I. व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग—

- भारत शासन द्वारा आधारभूत सर्वे 2012 एवं आधारभूत सर्वे 2012 में छोटे शौचालय विहीन परिवारों (LOB) के साथ-साथ प्रदेश में कोई घर शौचालय विहीन न छोटे (NLB) अंतर्गत दर्ज पात्र हितग्राहियों के लिए पारिवारिक शौचालय के निर्माण के उपरान्त शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि रुपये 12000 दिये जाने का प्रावधान है।
- स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण में अतिरिक्त अंशदान करने के लिए लाभार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है।
- प्रोत्साहन राशि के लिए निम्न वर्ग के परिवार पात्र हैं—
 - अनुसूचित जाति बी.पी.एल./ए.पी.एल,
 - अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल./ए.पी.एल,
 - सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के बी.पी.एल.,
 - लघु व सीमांत कृषक
 - ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन परिवार,
 - शारीरिक रूप से निःशक्त/दिव्यांग
 - परिवार का मुखिया यदि महिला हो

II. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण –

- सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण केवल तब किया जाएगा जब पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए गांव में जगह की कमी हो और समुदाय/ग्राम पंचायत उनके परिचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी लें तथा उसके लिए विशिष्ट मांग करें।
- ऐसे परिसरों का निर्माण उन सार्वजनिक जगहों, बाजारों, बस-पड़ावों आदि जगहों पर किया जा सकता है, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं।
- परिसर निर्माण के लिए मिशन अन्तर्गत अधिकतम लागत रुपये 2.00 लाख निर्धारित है जिसमें केन्द्रांश, राज्यांश एवं समुदाय/ग्राम पंचायत का अंशदान क्रमशः 60:30:10 के अनुपात में प्रावधानित है।

III. ठोस एवं तरल कूड़ा करकट का निपटान –

- ठोस एवं तरल अपशिष्टों के निपटान के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से प्रावधान है। इसके अंतर्गत 150 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 7.00 लाख, 300 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 12.00 लाख, 500 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 15.00 लाख एवं 500 से अधिक परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट ग्राम पंचायतवार परियोजना प्रस्ताव तैयार कर क्रियान्वयन किया जाता है।

IV. आई.ई.सी.(सूचना, शिक्षा एवं संचार) क्षमता वर्धन –

- आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) इस कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आई.ई.सी. समुदाय स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाने, परिवारों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों एवं ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं (SLWM) के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की मांग सृजित करने के लिए किया जाता है।

V. नवाचार/पहल–

- आधारभूत सर्वे 2012 में दर्ज समस्त शौचालय विहीन परिवारों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाकर 02 अक्टूबर 2018 को प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। प्रदेश में खुले में शौच से मुक्त की स्थिति के स्थायित्व हेतु स्वच्छाग्रहियों के द्वारा समुदाय अभिप्रेरण की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। स्वच्छाग्रहियों द्वारा 146065 निगरानी समितियों को गठित एवं सक्रिय किया गया है।
- 25 हजार से अधिक स्वच्छाग्रहियों को संलग्न कर आधारभूत सर्वे 2012 में दर्ज 90 लाख शौचालयों का भौतिक सत्यापन कराया गया। सत्यापन उपरांत पाये गये, नहीं पाये गये (Missing) एवं अनुपयोगी पाये गये शौचालयों की उपलब्धता/उपयोगिता सुनिश्चित किये जाने हेतु रणनीति का निर्धारण किया जा रहा है।
- ग्रामों में की जाने वाली स्वच्छता गतिविधियों के लिये स्व-सहायता समूहों की स्थानीय महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश में “लोक चित्र से स्वच्छता संवाद” कार्यक्रम चलाया गया। जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं द्वारा ग्राम में स्थित संस्थाओं की दीवारों पर स्वच्छता संबंधी विषयों पर लोक चित्रकारी की गई तथा लोक चित्र के आधार पर ग्रामीण जनों से स्वच्छता संवाद किया जा रहा है। समस्त अभियान की समीक्षा ऑनलाईन मॉड्यूल एवं मोबाईल एप के माध्यम से की गई। साथ ही कार्यक्रम में संलग्न समस्त महिलाओं को उनके पारिश्रमिक का भुगतान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) की राज्य वेबसाईट के माध्यम से सीधे महिलाओं के खातों में किया गया है।

- सुजल एवं स्वच्छ गांव की परिकल्पना को साकार किये जाने हेतु त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के अमले एवं प्रतिनिधियों एवं अन्य संस्थाओं के जमीनी कार्यकर्ता जैसे आशा, आंगनवाडी, शिक्षक इत्यादि का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण किया जा रहा है।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत दिल्ली में आयोजित स्वच्छता समारोह में इन्दौर जिले की ग्राम पंचायत सिंदौडा को प्लास्टिक बेस्ट मैनेजमेंट में उत्कृष्ट कार्य किये जाने एवं देश में प्रथम प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत बनाये जाने हेतु पुरस्कृत किया गया।

वर्ष 2019-20 की प्रमुख उपलब्धियाँ :-

- आधारभूत सर्वे 2012 में छूटे शौचालय विहीन परिवारों (LOB) एवं प्रदेश में कोई घर शौचालय विहीन न छूटे (NLB) अंतर्गत लगभग 6 लाख शौचालय विहीन परिवारों को चिन्हित किया जाकर मार्च 2020 तक 5.76 लाख परिवारों को स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) अंतर्गत 290 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ किये गये।
- इन्दौर एवं उज्जैन जिले अंतर्गत 5000 से अधिक आबादी व स्व-कराधान वाली 21 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य किये जा रहे हैं।
- वर्ष में उपलब्ध राशि रुपये 76949.18 लाख में से राशि रुपये 49205.53 लाख का व्यय किया जा चुका है।
- पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत प्रसिद्ध संस्थान राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी (NEERI) के साथ अगले 5 वर्ष तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिये तकनीकी मार्गदर्शक के रूप में संलग्नीकरण।
- प्रदेश में वैज्ञानिक पद्धति से मल प्रबंधन किये जाने हेतु वॉटर एड इण्डिया संस्था का संलग्नीकरण।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर :-

2019-20 में 920 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में से 619 परिसर का निर्माण कराया गया।



व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का ग्रामीणों द्वारा उपयोग किये जाते हुये। जिला हरदा



सामुदायिक स्तर पर संग्रहित कचरे का पृथक्करण, जिला मंदसौर



गीले कचरे को नाडेप एवं बर्मी कम्पोस्ट विधि से खाद में परिवर्तन, जिला मंदसौर



लोक चित्र से स्वच्छता संवाद अभियान अंतर्गत महिला पेंटर प्रशिक्षक श्रीमती शांता बाटी, ग्राम चंदेसरी, जिला उज्जैन



लोक चित्र से स्वच्छता संवाद अभियान अंतर्गत महिला पेंटर द्वारा बनाई गई पेंटिंग सही समय पर हाथ धुलाई पर बच्चों के साथ संवाद करते हुये अध्यापिका ग्राम जिला न महिला पेंटर, रीना राठौर, ग्राम कछालिया, जिला आगर मालवा



ग्रामीणों की सुविधा हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, जिला डिण्डोरी



ग्रामीणों की सूविधा हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, जिला उज्जैन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रस्तावना/परिचय :

सड़कें विकास का आधार होती हैं। सड़क ही वह सेतु है, जो गाँव को शहर से जोड़ता है। गाँवों की समृद्धि शहरों पर निर्भर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न उत्पादों की खपत के साधन शहरों में होते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि विकास का मार्ग शहर से होकर गाँव की ओर आता है। शहर के संपर्क के माध्यम से गाँव देश से जुड़ता है। यही परिचय गाँव को विकासोन्मुख बनाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधनों से उसका रिश्ता जुड़ता है। बिना सड़क, बिजली, टेलीफोन और आवागमन के साधनों के सर्वोन्मुखी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। निष्कर्ष यह है कि ग्रामों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति में सड़कों की केन्द्रीय भूमिका होती है। अतः देश की उन्नति के लिए सड़कें प्राथमिक आवश्यकता हैं। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के जिन सुदूर एवं आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाया था, उनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्यप्रदेश के सभी ग्रामीण अंचलों के लिए वरदान सिद्ध हुई है।

योजना का उद्देश्य :

सामान्य क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 तथा इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन पात्र बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए दिनांक 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन संपर्कता के अतिरिक्त अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन भी किया जा रहा है। योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में आईएपी जिलों में संपर्कविहीन ग्रामों (आबादी 250 तक) को पक्की सड़कों से जोड़ा जाकर बारहमासी (All Weather Road) पक्की सड़क सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। ग्रामीण सड़क अधोसंरचना के उच्च विकास हेतु आधुनिकतम/नवीन तकनीकी के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता हासिल की जा सके, इसके लिये राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकारों की मदद ली जाकर उन्नत मापदण्डों के आधार पर एक समयबद्ध कार्यप्रणाली में अनुभवी ठेकेदारों द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन मार्गों का निर्माण/उन्नयन कार्य जारी है। योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर गठित प्राधिकरण द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के संधारण का कार्य राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि से सत्त कराया जाता है साथ ही भारी यातायात से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों के क्रस्ट उन्नयन का कार्य भी आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है।

कार्यक्षेत्र : इस योजना का कार्यक्षेत्र पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है।

मानव संसाधन संरचना : संलग्न प्रपत्र 1 अनुसार ।

विभागीय जांच, नियुक्तियां, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

1. म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक प्राधिकरण में पदस्थ कुल 27 महाप्रबंधकों, 49 सहायक प्रबंधकों के तथा 45 उपयंत्रियों के संबंध में स्थानांतरण/संशोधन/निरस्तीकरण आदेश जारी किये गये हैं।
2. म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों में पाई गई अनियमितताओं हेतु जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 05 विभागीय जांच संस्थित की गई तथा 125 कर्मचारियों / अधिकारियों को निर्माण कार्य में अनियमितता के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं।

- म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–2020 में कुल 52 न्यायालयीन प्रकरण लंबित है जिनमें से उच्च न्यायालय में 28, जिला न्यायालय में 09 एवं आर्बीट्रेशन ट्रिब्यूनल में 15 प्रकरण लंबित है।

विशेषताएं :

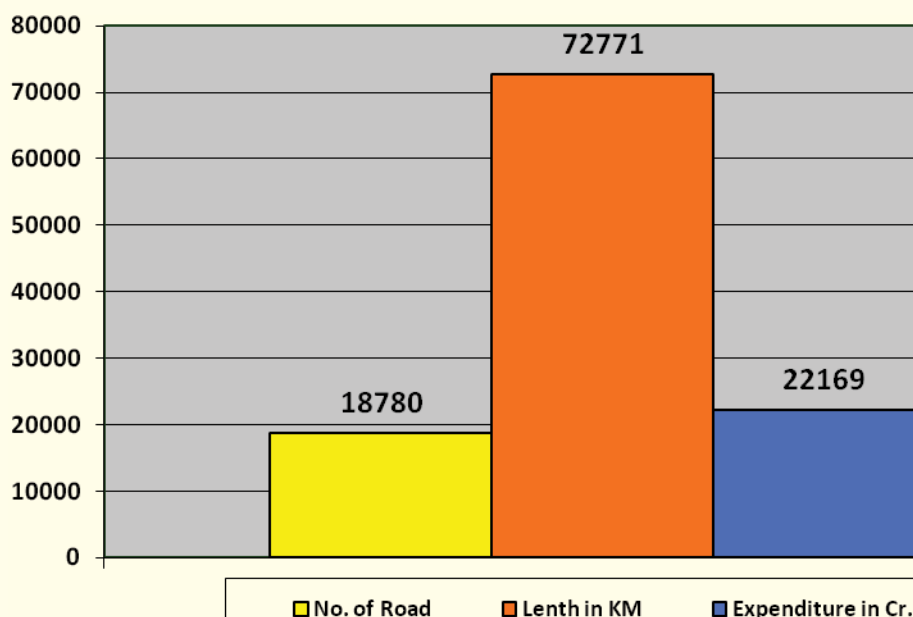
- कोरनेटवर्क पर आधारित प्लानिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के कड़े मापदण्ड निर्माण पश्चात् 5 / 10 वर्षों की अवधि पूर्ण कर चुकी सड़कों का रखरखाव भी योजना में शामिल होना, कार्यों की गुणवत्ता निगरानी / नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मॉनिटर्स की व्यवस्था, योजना से संबंधित कार्यों में सम्पूर्ण पारदर्शिता, ऑनलाईन मॉनिटरिंग, ई-टेंडरिंग, ई-पेमेन्ट व ई-मार्ग आदि इस कार्यक्रम की विशेषताएँ हैं।
- PMGSY-III योजना के अंतर्गत उन्नयन के लिए मार्गों को चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया पूर्णतः सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) आधारित है। विद्यमान समस्त मार्गों एवं ग्रामों का जी.आई.एस. आधारित डाटा तैयार कर शिक्षण, चिकित्सा, ग्रामीण कृषि बाजार एवं यातायात की सुविधाओं के फोटोग्राफ्स जियो टैग कर सुविधाओं में पहुंचने हेतु मार्गों की उपयोगिता के अनुसार सिस्टम जनरेटेड ट्रैसमैप से मार्गों की रैंक प्राप्त कर उपयोगिता मूल्य (Utility Value) के अनुसार सिस्टम जनरेटेड प्राथमिकता सूची (CUCPL) से वरीयता के क्रम पर मार्गों के उन्नयन का प्रस्ताव वरीयता के अनुसार तैयार किया जाना है।

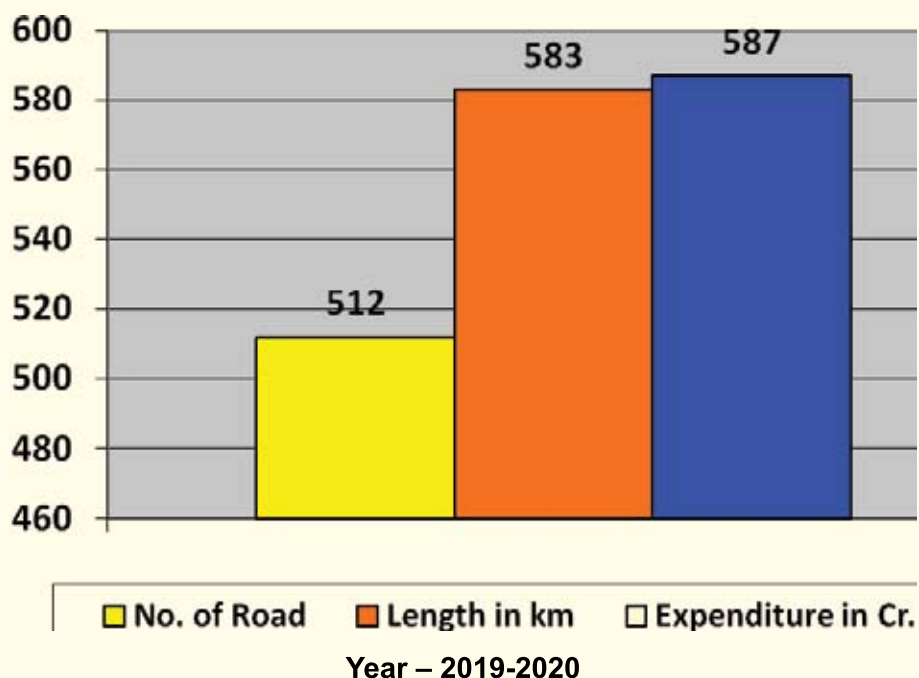
- भौतिक / वित्तीय उपलब्धियां / परिणाम (Graphical डायग्राम सहित)**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-1 :

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-1 अन्तर्गत अद्यतन स्थिति में रु 22169 करोड़ राशि का व्यय करते हुए 18780 मार्गों जिनकी लम्बाई 72771 किमी. है का निर्माण किया गया। साथ ही 437 वृहद पुलों का भी निर्माण पूर्ण किया गया है। जिससे 17436 संपर्क विहीन बसाहटों को संपर्कता प्रदान की गई।
- वित्तीय वर्ष 2019–2020 में 583 किमी. लम्बाई के 512 मार्गों एवं 118 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण करते हुए रुपये 587 करोड़ की राशि व्यय की गई, जिससे 180 बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हुई।

Graphical presentation of PMGSY-I Upto date cumulative achievement





प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-II :

1. भारत सरकार द्वारा प्रदेश में पूर्व से विद्यमान अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन के उद्देश्य से पीएमजीएवाय-II योजना प्रारंभ की गई है जिसके तहत प्रदेश को 4984 किमी मार्गों के उन्नयन की तथा 245 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब तक 4713 किमी लंबाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही 148 वृहद पुलों का भी निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
2. वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 1296 किमी. लम्बाई के 191 मार्गों एवं 92 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण करते हुए रुपये 1211 करोड़ की राशि व्यय की गई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग -III :

15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – III प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य पूर्व से निर्मित ग्रामीण मार्गों, जो कि शिक्षण, चिकित्सा, कृषि बाजार एवं यातायात अवसंरचना को जोड़ते हैं, का उन्नयन कार्य किया जाना है। भारत सरकार से प्रदेश को 12362 किमी मार्गों का आवंटन प्राप्त हुआ है एवं योजना की अवधि वर्ष 2025 तक निर्धारित की गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 बैच-1 में 108 मार्गों, 1444 किमी लंबाई एवं 27 नग बड़े पुलों हेतु रु. 1176.11 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त कर एजेंसी निर्धारण की कार्यवाही कर ली गई हैं तथा कार्य प्रारंभ है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का डामरीकरण (MPRCP)

1. विश्व बैंक की सहायता से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित 10000 कि.मी. ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण एवं 510 कि.मी. नवीन मार्गों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत 502 मिलियन यू.एस.डी. है। ग्रेवल मार्गों के नवीनीकरण हेतु 466 पैकेजों की निविदा आमंत्रित की जाकर 9223 कि.मी. एवं नवीन मार्गों के निर्माण हेतु 61 पैकेजों की निविदा आमंत्रित की जाकर 389.40 किमी के कार्यों हेतु अनुबंध किया जा चुका है। अनुबंधित कार्यों में से अब तक 7439 किमी डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

2. वित्तीय वर्ष 2019–2020 में रु. 673.55 करोड़ व्यय कर 2485 किमी लंबाई के कार्यों का डामरीकरण किया गया।

राज्य वित्त पोषित ग्रामीण सड़क संपर्कता योजना

1. राज्य वित्त पोषित योजनांतर्गत जून 2020 तक 3390 किमी के 1704 मार्गों हेतु 1721 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई है जिसके विरुद्ध 2559 किमी लंबाई के 1153 मार्गों का निर्माण पूर्ण कर रु. 1045 करोड़ का व्यय किया गया है। योजनांतर्गत कुल 105 पुल राशि रु. 241.88 करोड़ स्वीकृत किये जाकर 32 पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया है जिसमें कुल रु. 130 करोड़ व्यय किये गये हैं।
2. राज्य वित्त पोषित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि रुपये 246 करोड़ व्यय करते हुए 618 किमी की 378 सड़कें पूर्ण की गई हैं साथ ही 3 पुलों का निर्माण पूर्ण कर राशि रुपये 59 करोड़ व्यय किये गये हैं।

योजनांतर्गत निर्मित सड़कों का संधारण

1. प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में कुल 87506 किमी लंबाई के मार्गों का निर्माण किया जा चुका है, जिनके संधारण का दायित्व राज्य सरकार का है। वर्तमान में 25126 किमी मार्ग प्रारंभिक 5 वर्षीय परफार्मेंस गारंटी के अंतर्गत संधारित किये जा रहे हैं। लगभग 62380 किमी लंबाई के मार्ग 5 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं तथा 5/10 वर्ष पश्चात् संधारण से अनुबंधित है। इनमें से लगभग 38750 किमी में पुनः डामरीकरण किया जा चुका है।
2. भारी यातायात प्रभावित 4103 किमी लंबाई के मार्गों में रुपये 1642 करोड़ अनुमानित लागत से क्रस्ट सुदृढीकरण कार्य स्वीकृत हैं जिनमें से 3837 किमी सुदृढीकरण पूर्ण किया जा चुका है।
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 में 4315 किमी लंबाई में पुनः डामरीकरण (नवीनीकरण) किया गया है एवं वर्ष 2019–20 में नवीनीकरण, संधारण कार्य तथा उन्नयन कार्य में राशि रुपये लगभग 760 करोड़ का व्यय किया गया।

विशेष उपलब्धियां :

ग्रामीण मार्गों के संधारण का ऑनलाईन प्रबंधन :

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 96914 कि.मी. लंबाई के मार्गों को स्वीकृति मिली है। इनमें से लगभग 84286 कि.मी. लंबाई के पूर्ण मार्गों का संधारण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के इस वृहद सड़क नेटवर्क के संधारण कार्यों की समीक्षा एवं प्रबंधन के लिए एक बेब आधारित ऑनलाईन सिस्टम तैयार करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इस उद्देश्य से नेशनल इंफार्मेटिक सेंटर (NIC) द्वारा GIS के अंतर्गत पृथक पोर्टल ई-मार्ग (e-marg) तैयार किया गया है। जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित सभी मार्गों का सम्पूर्ण डाटाबेस उपलब्ध है। वर्तमान में संधारण कार्यों का भुगतान भी इसी पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। ई-मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे परफार्मेंस आधारित संधारण कार्यों की अद्यतन स्थिति के साथ फोटोग्राफ्स अपलोडिंग भी की जाती है। इसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सभी मार्गों का पूर्ण डाटाबेस।
2. प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा मार्गों के निरीक्षण प्रतिवेदन की मार्गों के Geo-Tagged फोटोग्राफ्स के साथ अपलोडिंग।
3. ठेकेदारों द्वारा संधारण देयक का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण।

4. प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा भुगतान के पूर्व मार्गों के संधारण के लिए निर्धारित मानदण्डों पर ऑनलाईन इंडेक्सिंग।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा संधारण देयकों का ऑनलाईन अनुमोदन।
6. ठेकेदारों को अनुमोदित देयक राशि PFMS के माध्यम से ऑनलाईन बैंक खातों में हस्तांतरण।

इसके अतिरिक्त संधारण संबंधी समस्त जानकारी का पोर्टल पर उपलब्ध है। इससे संधारण कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित हो सकी है।

Geo-reach :-

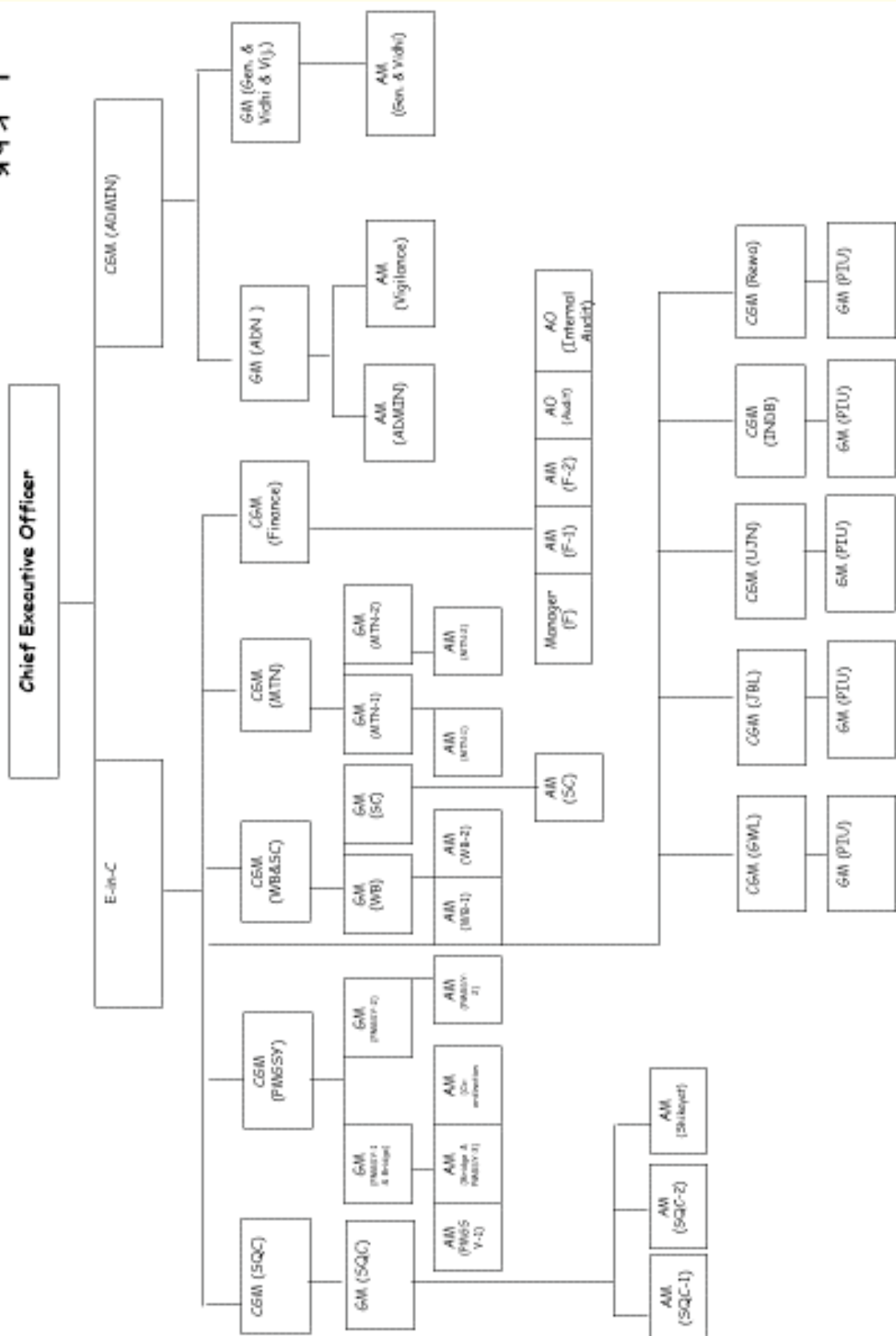
Geo-reach software पहला सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संपादित किये जा रहे कार्यों की भौतिक, वित्तीय प्रगति, SQC को कार्य आवंटन, पीआईयू निरीक्षण हेतु लेखा विवरण, जनसामान्य, पीआईयू की समस्या का ऑनलाईन निराकरण एवं ठेकेदारों का भुगतान पूर्ण पारदर्शिता के साथ सफलता पूर्वक निष्पादित किया जा रहा है।

नवाचार/पहल :

1. प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का उपयोग कर मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है जिसके तहत विगत वर्षों में प्रदेश के जिलों में लगभग 3549 MT प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का प्रयोग करते हुए 7098 किमी. मार्गों का निर्माण किया गया।
 2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न नवीन तकनीकों का प्रयोग करते हुए 1400 किमी. मार्ग निर्माण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरुद्ध प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का उपयोग कर 519 किमी. मार्गों का कार्य पूर्ण कर किया गया है।
- अप्रैल 2020 से जून 2020 तक प्राधिकरण में पदस्थ कुल 2 महाप्रबंधकों के संबंध में स्थानांतरण/संशोधन/निरस्तीकरण आदेश जारी किये गये हैं।
 - अप्रैल 2020 से जून 2020 तक 01 विभागीय जांच संस्थित की गई एवं 19 कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये हैं।
 - प्राधिकरण अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 से जून 2020 की अवधि में कुल 9 न्यायालयीन प्रकरण लंबित है जिनमें से उच्च न्यायालय में 8 एवं जिला न्यायालय में 01 प्रकरण लंबित है।

Head office flow chart

1-khr







प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना :-

01 अप्रैल 2016 से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रारम्भ की गई है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 20 नवम्बर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री के हस्ते हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। “सब के लिए आवास” के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक चार वर्षों में बेघर परिवारों या कच्चे/जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले प्रदेश के 20.29 लाख पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है तथा स्थानीय सामग्रियों, डिजाइनों तथा प्रशिक्षित राज मिस्त्रियों का उपयोग करते हुए अच्छे गुणवत्तापूर्ण मकानों के निर्माण में सहायता ली जा रही है।

- वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कुल प्राप्त लक्ष्य 20.33 लाख के विरुद्ध 17.77 लाख हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें 15.55 लाख आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।
- निधियों का निर्धारण-वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 20.33 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से न्यूनतम 60% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

हितग्राही का चयन :-

वर्ष 2016-17 में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 के अनुसार समस्त आवासहीन एवं शून्य कक्ष कच्चा आवास श्रेणी में दर्ज हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष लक्षित हितग्राहियों को एक कक्ष कच्चा आवास में वर्गीकृत परिवारों से लिया गया है। ग्राम सभा से सत्यापित एवं अनुमोदित प्राथमिकता सूची तैयार की गई है। आवासहीन, शून्य कक्ष कच्चा आवास, 1 कक्ष / 2 कक्ष कच्चे आवास की सूची का सत्यापन कराया जाकर सत्यापित सूची की प्रविष्टि आवास सॉफ्ट में कराई जाकर प्राथमिकता सूची तैयार की गई है।

- वित्त पोषण-भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्तीय पोषण किया जा रहा है।
- आवास की लागत-समतल क्षेत्र में 1,20,000/- रुपये प्रति ईकाई एवं आईएपी जिलों में 1,30,000/- रुपये प्रति ईकाई।
- आवास की डिजाइन-आवास की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की सलाहकार संस्था यू.एन.डी.पी. नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के 09 अंचलों हेतु अलग-अलग आवास की डिजाइन तैयार की गई है। हितग्राही इन 09 डिजाइनों में से किसी एक अथवा स्थानीय परिवेश एवं अपनी आवश्यकतानुसार डिजाइन का चयन कर सकता है, बशर्ते नवीन आवास निर्माण का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर (270 वर्ग फीट) से कम न हो एवं किसी भी स्थिति में अतिरिक्त राशि की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

निर्माण की पद्धति- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

1. विशेष परियोजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 30000 के विरुद्ध 22657 आवास पूर्ण किये गये।

2. योजना प्रारम्भ से केन्द्र एवं राज्यांश से प्राप्त आवंटन राशि रु. 23143.36 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 21210.93 करोड़ का व्यय किया गया।

आवासों के आवंटन की प्राथमिकता निर्धारण :-

- पहली प्राथमिकता :- सभी पात्र आवासहीन परिवार
- द्वितीय प्राथमिकता :- शून्य कक्ष कच्चा आवास श्रेणी
- तृतीय प्राथमिकता :- एक कक्ष कच्चा आवास श्रेणी तथा दो कक्ष कच्चा आवास

मेसन प्रशिक्षण :-

LEAD MASTER TRAINER द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड से चयनित 05 डेमोंस्ट्रेटर को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया एवं उनका CSDCI (Construction Skill Development Council of India) के मापदण्ड अनुसार प्रमाणीकरण परीक्षा दिलायी गयी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण डेमोंस्ट्रेटर द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में 07 आवासों पर 05 राजमिस्त्रियों प्रति आवास को हितग्राही के आवास निर्माण के साथ CSDCI के मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षित किया जाकर उनका प्रमाणीकरण कराया जायेगा। अभी तक प्रशिक्षित डेमोंस्ट्रेटर द्वारा विभिन्न चरणों में 51128 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया।



मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम

परिचय :

मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः केन्द्र वित्त पोषित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाई.) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार की योजना मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन स्वरोजगार योजनाओं का नोडल विभाग सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग (MSME) की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) वर्ष 2012 से संचालित है। वर्ष 2018-19 से प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

उद्देश्य :

गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर उन्हें आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी निर्धनता कम करना, उनकी आजीविका को संवहनीय आधार पर बेहतर बनाना।

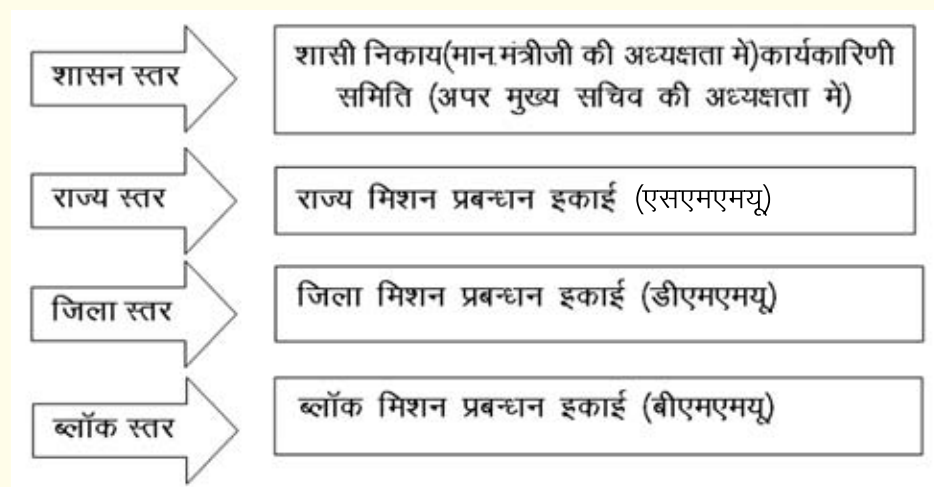
पात्रता :

- सहभागिता आधारित एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित अति गरीब एवं गरीब परिवार अथवा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC 2011 के अनुसार लक्षित परिवार।

कार्यक्षेत्र :

वर्ष 18-19 में प्रदेश के समस्त जिलों के 313 विकासखण्डों में मिशन का सघन रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मानव संसाधन संरचना :



- राज्य स्तर :** मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के 21 स्वीकृत पद भरे हुए हैं।
- जिला स्तर :** जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के 389 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 298 पद भरे हुए हैं।

- **विकासखण्ड स्तर :** मिशन में विकासखण्ड स्तर पर मैदानी अमले के 1565 स्वीकृत पद के विरुद्ध 1500 पद भरे हुए हैं।

विभागीय जांच, नियुक्तियां, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :

- जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर कुल 274 स्थानांतरण हुए हैं एवं 138 नियुक्तियां हुई हैं।
- मिशन अंतर्गत कुल 51 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में हैं, जिसमें सभी 51 प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं।

विशेषतायें:

सामुदायिक संस्थान गठन एवं विकास :

- महिला स्व-सहायता समूह का गठन एवं सशक्तिकरण किया जाता है। गांव की 10 से 20 महिलाओं का समूह जो समान सोच रखते हों एवं गरीबी से बाहर आने हेतु संगठित होकर प्रयास करना चाहते हैं।
- स्व-सहायता समूहों के गठन पश्चात ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया जाता है। ग्राम संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम में मौजूद स्व सहायता समूह भागीदारी करते हैं एवं समूह के सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कार्य करते हैं। संकुल स्तरीय संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम संगठन भागीदारी करते हैं।

वित्तीय समावेशन :

- चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि, आपदा कोष एवं बैंक लिंकेज के माध्यम से गरीब परिवारों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग किया जाता है।

आजीविका :

- समूहों को शासन की अन्य योजनाओं से समन्वय/अभिसरण कर पात्रानुसार लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाता है। समूह सदस्यों को कृषि, पशुपालन, गैर कृषि आधारित एवं विभिन्न प्रकार की अन्य आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

कौशल विकास एवं रोजगार :

- ग्रामीण युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार हेतु कौशल आधारित प्रशिक्षण कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं नियोजन।
- आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण उपरांत स्वरोजगार स्थापना।
- रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

उपलब्धि वर्ष 2019-20 (मार्च 2020 तक)

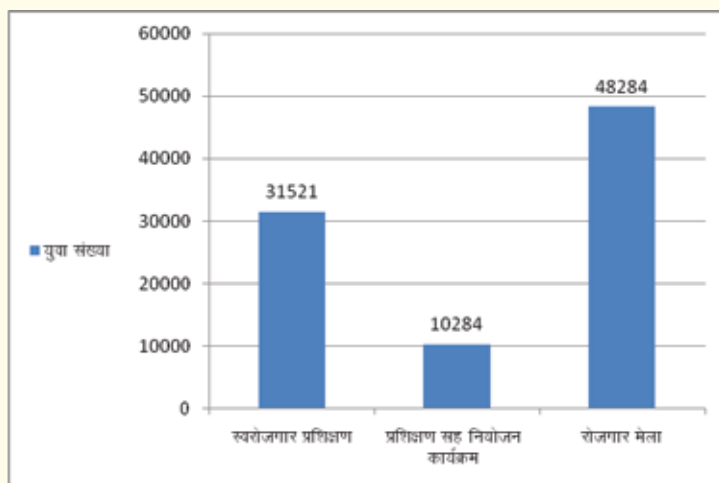
- 4,77,019 परिवारों की महिला सदस्यों को 43,887 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- 4,166 ग्राम संगठन बनाए गए हैं, जिनमें 20,802 स्व-सहायता समूहों की सदस्यता है।

- 173 संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) बनाए गए हैं।
- कुल 32,944 स्व-सहायता समूहों को रु. 38.31 करोड़ की चक्रीय निधि की राशि प्रदाय की गई है। कुल 10,997 स्व-सहायता समूहों को रु. 73.95 करोड़ का सामुदायिक निवेश निधि राशि प्रदाय की गई है।
- 43,755 प्रकरणों के माध्यम से समूहों को रु. 299.88 करोड़ का बैंक ऋण दिलाया गया है।
- रोजगार/स्वरोजगार कार्यक्रम अंतर्गत 90,089 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को डी.डी.यू.जी.के.वाई. के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, रोजगार मेला तथा आरसेटी के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।



ग्राम संगठन की बैठक

वित्त वर्ष 2019-20 में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम (युवा संख्या) :



मुख्य आजीविका गतिविधियां

- 1 लाख 60 हजार परिवारों को कृषि आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- 43 हजार परिवारों को पशुपालन आजीविका गतिविधि यथा दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि से जोड़ा गया है।
- 1,45,205 आजीविका पोषण वाटिका (Nutrition Garden) तैयार की गई हैं।



आजीविका पोषण वाटिका

- जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1,64,834 हितग्राहियों द्वारा जैविक खाद निर्माण पिट बनाए गए हैं।
- 12,755 कृषकों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है।



व्यावसायिक सब्जी उत्पादन

- गैर-कृषि गतिविधियों के माध्यम से लघु उद्यम कार्यों यथा सेनेटरी नैपकिन, सिलाई, लघु वन उपज का प्रसंस्करण, हथकरघा इत्यादि से जुड़कर 44 हजार स्व-सहायता समूहों की महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।



हथकरघा गतिविधि

सेनेटरी नैपकिन निर्माण इकाई

संवहनीय आजीविका एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (SLACC)

इस परियोजना का क्रियान्वयन दो जिलों मण्डला एवं श्योपुर के 4 विकासखण्डों के कुल 400 ग्रामों में किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे मौसमी खतरों के दुष्प्रभावों से कृषि आधारित आजीविका को होने वाले नुकसानों से बचाना एवं आजीविका सुदृढ़ीकरण हेतु किसानों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि करना था। वर्ष 2019-20 में परियोजना से जोड़े गए सभी 13 हजार किसानों को लाभान्वित किया गया है। दिसंबर 2019 में यह योजना समाप्त हो गई है।

एनआरईटीपी :

वर्ष 2019-20 से नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट (एनआरईटीपी) का प्रारंभ किया गया है जो केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है एवं जिसमें विश्व बैंक का भी अंश है। इस वर्ष इसका क्रियान्वयन प्रदेश के 18 जिलों के 97 विकासखण्डों किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना :

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को उनका स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है।

- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (ग्रामीण) योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4,475 प्रकरणों में राशि रु. 20.26 करोड़ वितरित की गई है।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (ग्रामीण) योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5,320 प्रकरणों में राशि रु. 62.38 करोड़ वितरित की गई है।

वित्तीय उपलब्धि :

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में एनआरएलएम हेतु प्रावधानित राशि रु. 455.00 करोड़ के विरुद्ध राशि रुपये 455.00 करोड़ का आहरण शासन की ओर से प्राप्त हो चुका है। मिशन अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि के विरुद्ध राशि रुपये 362.19 करोड़ माह मार्च तक व्यय (अनुमानित) हुआ है।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं स्वरोजगार योजना में विभाग की ओर से पूर्व वर्ष की शेष राशि मिलाकर रुपये 24.63 करोड़ जिलों को उपलब्ध करा दी गई है।

विशेष उपलब्धियां:

- पंचायत स्तर पर स्थापित होने वाले कॉमन सर्विस सेण्टर के संचालन हेतु चयनित 6,284 ग्राम पंचायतों में 4,375 पंचायत सखी का चयन किया जा चुका है।

सम्मान एवं सराहना :

- आजीविका गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 19-12-2019 को कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र दोनों में द्वितीय अवार्ड (Silver) मिला है।



कृषि क्षेत्र में प्राप्त द्वितीय अवार्ड



गैर कृषि क्षेत्र में प्राप्त द्वितीय अवार्ड

नवाचार/पहल :

- समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए शत-प्रति शत ऑनलाइन माध्यम से राशि रु. 1116.37 करोड़ के प्रकरण बैंक में प्रस्तुत गए हैं। ऑनलाइन प्रकरण जमा करने में देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- समूहों के सहयोग से प्रदेश के 06 जिलों (सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडोरी, मुरैना एवं छिंदवाड़ा) हेतु 83,700 किसानों के लिए रु. 54.74 करोड़ की विशेष परियोजनाएं स्वीकृत कर मिलेट्स मिशन प्रारंभ किया गया है।
- व्यापार के साथ-साथ समाज सेवा के लिये भी कार्य किया गया, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को भोजन एवं अन्य व्यवस्था में सहयोग किया गया। घर-घर दूध, सब्जी एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। जनजागरण कर कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया।



मास्क निर्माण



बी.सी. सखी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वाटरशेड विकास

परिचय :

वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में वाटरशेड विकास के सिद्धांत के आधार पर जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग ने वर्ष 2009 से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) प्रारंभ किया था, जिसे जुलाई 2015 से “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” में समाहित कर “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वाटरशेड विकास” नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बहुआयामी दृष्टिकोण नवीन जल स्रोतों के सृजन, जल के समुचित वितरण एवं दक्षतापूर्ण उपयोग को समाहित कर अभिकल्पित किया गया है। “वाटरशेड विकास” की अवधारणा इस दृष्टिकोण की पूर्ति करती है। “वाटरशेड विकास” ऐसी योजना है जिसमें कम लागत से नवीन जल स्रोतों का सृजन किया जा सकता है। साथ ही जल का वितरण और संरचनाओं का प्रबंधन ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वयं किये जाने के कारण दक्षतापूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित होता है।

उद्देश्य :

- वर्षा जल को सहेज कर सतही जल संग्रहण एवं भू-जल संवर्धन के द्वारा सिंचाई सामर्थ्य में विस्तार करना।
- पड़त भूमि को विकसित कर इसे उत्पादन हेतु उपयोग में लाना।

विशेषताएँ :

प्रदेश में लगभग 55 प्रतिशत कृषि क्षेत्र गैर सिंचित है। इन क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भरता, असमय सूखा और भू-जल स्तर में गिरावट के कारण खेती कम उत्पाद का व्यवसाय होता है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल को सहेज कर सतही जल संग्रहण एवं भू-जल संवर्धन के द्वारा संरक्षित सिंचाई से और खेती संबंधी यथोचित आदानो एवं प्रोद्योगिकी के प्रदाय से खेती से होने वाली आय बढ़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में वाटरशेड विकास की योजना सिंचाई सामर्थ्य विकसित कर कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी और इस प्रकार अपेक्षित ग्रामीण समृद्धता के लिए उपयोगी योजना है। योजना की रणनीति जन सहभागिता केन्द्रित है तथा कार्यप्रणाली सामुदायिक संगठन आधारित है। ग्राम स्तर पर कृषकों के उपयोगकर्ता दल, संसाधन हीन एवं गरीब ग्रामीणों के स्वसहायता समूहों और वाटरशेड समिति गठित कर उन्हें परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, जनित परिसम्पत्तियों के रखरखाव तथा अनुश्रवण संबंधी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गये हैं।

कार्यक्षेत्र व वित्तीय स्रोत :

योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कुल मिलाकर वर्तमान में 134 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का कुल स्वीकृत क्षेत्रफल 7.68 लाख हेक्टेयर तथा लागत रुपये 922.50 करोड़ है। स्वीकृत परियोजनाओं की कार्य अवधि वर्ष 2022-23 में पूर्ण हो जायेंगी। योजना अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की लागत रु. 12000/- प्रति हेक्टर है। योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा प्रदत्त की जाती है।

किये जाने वाले कार्य :

- मिट्टी के संरक्षण हेतु कन्टूर ट्रेंच, मेढ़ बंधान, गली प्लग, लूज बोल्टर चेक आदि का निर्माण
- सतही जलसंग्रहण हेतु स्टापडेम, चेकडेम, नाला बंधान, तालाब, फार्म पौण्ड, डग आउट पौण्ड एवं बोरी बंधान आदि का निर्माण
- भू-जल संवर्धन हेतु परकोलेशन टैंक, कुण्डी कुइया, कुआं/नलकूप रिचार्ज, भूमिगत डाईक आदि का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2019-20 की उपलब्धि

भौतिक उपलब्धि :

1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :-

• कुल निर्मित जल संवर्धन संरचनाओं की संख्या	—	3081
• चेकडैम	—	1414
• फार्मपाण्ड	—	1212
• परकोलेशन टैंक	—	11
• तालाब एवं अन्य	—	444
• विकसित सिंचाई सामर्थ्य	—	17995 हेक्टेयर
• लाभान्वित कृषक परिवार संख्या	—	21593

वित्तीय उपलब्धि :

1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है :-

(राशि रु. करोड़ में)

प्रारंभिक अवशेष	केन्द्रांश	राज्यांश एवं अन्य प्राप्ति	कुल	व्यय प्रगति	अवशेष राशि
87.22	221.28	56.69	365.19	180.10	185.09



जिला	खण्डवा	निर्माण वर्ष	2019.20
परियोजना क्रमांक	IWMP-10	निर्माण स्थल का खसरा नंबर	289
विकास खण्ड का नाम	हरसूद	निर्माण स्थल की लेटीट्यूट लॉगिट्यूड	21.971533, 76.824765
माईक्रो वाटरशेड का कोड	5D3C6w5	जल ग्रहण क्षमता घन मीटर में	7560 घन मीटर
ग्राम का नाम	श्रामजीपुरा	सिंचाई क्षमता हेक्टेयर	18 हेक्टेयर
ग्राम पंचायत का नाम	सौनखेड़ी	लाभान्वित कृषकों की संख्या	13
संरचना का नाम	चेक डैम	सिंचित फसलों के नाम	गेंहू, चना
लागत रुपये लाख में	9.66		



ग्राम का नाम – रलायता भोजा	कार्य का नाम – खेत तालाब
लेटीट्यूड एवं लॉगिट्यूट – 23.270798N, 75.758825E	निर्माण लागत : 3.72 लाख
जल संग्रहण क्षमता (घ.मी.) : 3567	सिंचाई सामर्थ्य (हे.) 3.96

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004 से परिवर्तित मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के तहत दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रुचिकर भोजन निर्धारित मेनू अनुसार प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रशासकीय एवं नोडल विभाग है। स्वशासी संस्था म0प्र0 'मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद' कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, नियंत्रण व अनुश्रवण करती है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त संसाधनों से किया जाता है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के तहत शिक्षा का लोकव्यापीकरण, शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दर्ज संख्या में वृद्धि और उपस्थिति में निरंतरता सुनिश्चित करना तथा शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराना और उनके पोषण स्तर में सुधार करना भी है।

प्रदेश में कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1995 से हुई है।	(प्राथमिक शाला के लिए कच्चा खाद्यान्न)।
गर्म पका हुआ भोजन	जनवरी, 2004 से (केवल प्राथमिक शाला)
पिछड़े शैक्षणिक विकास खण्डों में प्रारम्भ (समस्त)	अक्टूबर, 2007 (माध्यमिक शाला)
माध्यमिक शालाओं में कार्यक्रम का विस्तार	वर्ष 2008 से।

राज्य स्तर से निम्नानुसार साप्ताहिक मेनू कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित है—

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वैकल्पिक साप्ताहिक मेनू :

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
सोमवार	रोटी/चावल के साथ तुअर की दाल और काबुली चने व टमाटर की सब्जी
मंगलवार	पूरी/पुलाव के साथ खीर/हलवा और मूंगबड़ी व आलू टमाटर की सब्जी
बुधवार	रोटी/चावल के साथ चने की दाल एवं मिक्स सब्जी
गुरुवार	वेजीटेबल (सब्जी वाला) पुलाव और पकौड़े वाली कढ़ी
शुक्रवार	रोटी/चावल के साथ मूंग की दाल और हरे या सूखे मटर/सूखे चने की सब्जी
शनिवार	पराठा/पुलाव के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी

केन्द्रीयकृत रसोईघर का मेनू :

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
सोमवार	वेजीटेबल पुलाव तथा कढ़ी पकौड़ा।
मंगलवार	पूरी तथा छोले/मटर की सब्जी एवं खीर/हलवा।
बुधवार	जीरा राईस तथा मिक्स सब्जी एवं तुअर दाल।
गुरुवार	रोटी तथा सोया चंम्स/मूंग या चना बड़ी एवं आलू की सब्जी तथा तुअर दाल।
शुक्रवार	खिचड़ी (मूंग की दाल के साथ) तथा आलू मटर एवं टमाटर की सब्जी।
शनिवार	रोटी तथा ग्रीन मिक्स सब्जी एवं मिक्स दाल।

कार्यक्रम का लक्ष्य :-

प्रदेश की 1.13 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में लगभग 75865 स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 2.31 लाख रसोईयों द्वारा मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य किया जा रहा है।

नाम	शालाएँ			विद्यार्थी (लाख में)		
	प्राथमिक	माध्यमिक	कुल	प्राथमिक	माध्यमिक	कुल
मध्यप्रदेश	81966	31063	1,13,029	29.73	18.93	48.66

क्रमांक	शाला का स्तर	उर्जा का कैलोरी	प्रोटीन
1.	प्राथमिक	450	12-13 ग्राम
2.	माध्यमिक	700	20-21 ग्राम

भोजन के पोषण मानक—

संसाधन (दिनांक 01.06.2019 से प्रभावशील)

क्र	शाला का स्तर	खाद्यान्न की मात्रा प्रति छात्र	भोजन पकाने की लागत राशि प्रति दिवस (राशि रुपये में)		कुल
			केन्द्रांश	राज्यांश	
1.	प्राथमिक	100 ग्राम	2.69	1.79	4.48
2.	माध्यमिक	150 ग्राम	4.03	2.68	6.71

वर्ष 2019-20 के अनुसार लक्ष्य एवं प्रगति :- (लाख में)

क्र	विभागीय गतिविधियाँ	वार्षिक प्रावधान		प्रगति दिनांक 31.03.2020 की स्थिति			
		भौतिक प्रावधान	वित्तीय प्रावधान	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य आवटन	जारी राशि
1	शालाओं की संख्या	1.13	00	1.13	1.13	00	00
2	विद्यार्थियों की संख्या (लाख में)	48.66	00	48.66	46.23	00	00
3	रसोईयों की संख्या (लाख में)	2.31	00	2.31	2.13	00	00
4	खाद्यान्न की मात्रा एवं लागत राशि (लाख में)	1.26 एमटी	3277.95	0.95 एमटी	0.89 एमटी	1767.46	1767.46
5	भोजन पकाने की लागत राशि	00	60867.77	00	00	50318.92	41445.91
6	रसोईयों का परिश्रमिक	2.23	23115.70	2.23	2.23	35921.77	35921.77
7	खाद्यान्न परिवहन की लागत राशि	00	2101.25	00	00	1709.30	1302.33
8	एमएमई की राशि	00	1506.26	00	00	1523.24	1521.15
9	रसोईघर सह भण्डार कक्ष (नवीन)	2571	5949.90	00	00	00	00
10	रसोईघर सह भण्डार कक्ष (रिपयेरिंग)	31267	3126.70	00	00	00	00
11	बर्तन रिप्लेसमेंट	19028	2553.20	00	00	00	00

क्र	विभागीय गतिविधियां	वार्षिक प्रावधान		प्रगति दिनांक 31.03.2020 की स्थिति			
		भौतिक प्रावधान	वित्तीय प्रावधान	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य आवंटन	जारी राशि
12	Flexible fund (School Nutrition Gardens SNG @ RS 5000 each)	00	3390.85	9976 (शालाएं)	00	00	00
	Flexible fund (Supplementary Nutrition)	00	1734.09	13.55 (बच्चे)	00	00	00
	योग		107623.67			91240.69	81958.62

वर्ष 2019-20 में प्रदेश की 1.13 लाख (प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं) में 46.61 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन प्रदाय किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिये 47.61 छात्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नानुसार है :-

1. खाद्यान्न
2. खाद्यान्न की परिवहन राशि
3. भोजन पकाने की लागत राशि
4. रसोईयों का मानदेय
5. एमएमई (मॉनीटरिंग मैनेजमेंट एवं इवेल्युएशन)
 - खाद्यान्न भारत सरकार से बीपीएल दरों पर चावल/गेहूं प्राप्त होता है।
 - खाद्यान्न की परिवहन राशि 75 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।
 - रसोईयों को प्रतिमाह 01 अक्टूबर 2018 से मानदेय रुपये 2000 उनके खाते में भुगतान किया जा रहा है।
 - कुल आवंटन का 1.8 प्रतिशत एमएमई मद के अंतर्गत प्राप्त होता है।

दूध प्रदाय योजना :-

1. **उद्देश्य** — प्राथमिक शालाओं/आंगनवाड़ियों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अतिरिक्त न्यूट्रीएंट प्रदान कर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना एवं उपस्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि करना तथा छात्रों में शिक्षा के प्रति अपेक्षित रुचि एवं उत्साह पैदा करना।
2. **लक्ष्य** — मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों को प्रति सप्ताह सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को भोजन वितरण से लगभग दो-तीन घण्टे पूर्व मीठा, सुगंधित दूध 02 फ्लेवरों (चाकलेट एवं इलायची) लक्षित प्राथमिक शाला हेतु 29.73 लाख बच्चे एवं आंगनवाड़ियों के 26.60 लाख बच्चों को प्रति बच्चे को 10 ग्राम दुग्ध पावडर में 100 एमएल गुणगुने पानी को मिलाकर तरल दूध तैयार कर प्रदाय किया जाता है।
3. **वित्त पोषण** — दूध प्रदाय पर व्यय हो रही राशि का शतप्रतिशत प्रदाय राज्य बजट से किया जा रहा है। दूध पावडर की दर 241 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है।
4. **दूध का सेम्पल रखा जाना** — प्रत्येक शाला स्तर पर भोजन के सेम्पल की तरह ही दूध पावडर से तैयार दूध का सेम्पल रखे जाने के निर्देश हैं।
5. **मूल्यांकन** — दूध वितरण योजना के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु शाला स्तर पर प्रभारी शिक्षक, संकुल स्तर पर जन शिक्षक, खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व बीआरसी, जिला स्तर

से मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, योजना के प्रभारी अधिकारी/टास्क मैनेजर/क्वालिटी मॉनीटर, संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त आयुक्त (विकास) एवं राज्य स्तर से परिषद् के अधिकारी समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण, अनुश्रवण करेंगे।

6. **योजना अंतर्गत किचिनशेड निर्माण** — योजना अंतर्गत वर्ष 2006-07 से 2013-14 तक 1,02,372 किचिनशेड स्वीकृत किये गये जिसमें से 93,838 पूर्ण एवं 2,897 किचिनशेड प्रगतिरत हैं तथा 5807 किचिनशेड का कार्य लागत वृद्धि के कारण अप्रारंभ होने से भारत सरकार को समर्पित (वापस) किए गए। वर्ष 2018-19 में 04 टाइप के 5300 किचिनशेड स्वीकृत किये गये जिसमें से 859 पूर्ण एवं 4,441 किचिनशेड प्रगतिरत हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में 2571 नवीन किचिनशेड हेतु 5949.90 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। भारत सरकार से राशि अपेक्षित है।

अभिनव प्रयास :

1. **मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पोर्टल** —मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु अगस्त 2017 से एमडीएम पोर्टल का निर्माण कर पोर्टल के माध्यम से खाना पकाने की लागत राशि स्व-सहायता समूहों एवं रसोइयों के मानदेय का भुगतान भी उनके बैंक खातों में सीधे राज्य स्तर से प्रदाय किया जा रहा है। खाद्यान्न का प्रदाय आदेश भी राज्य स्तर से सीधे स्व-सहायता समूहों को दिया जा रहा है।
2. **एल.पी.जी. गैस कनेक्शन व्यवस्था** — प्रदेश के लगभग 1.13 लाख स्कूलों में से 41000 शासकीय शालाओं में विगत वर्षों में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 65,059 शासकीय शालाओं में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार कुल 1,06,059 शासकीय शालाओं में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये हैं जो कि एक सराहनीय पहल है।
3. **पुरस्कार की व्यवस्था** — स्वच्छ किचिनशेड प्रतियोगिता के निर्देश जारी किये गये हैं। प्रत्येक जिले में तीन पुरस्कार 50000/- (प्रथम) 30,000/- (द्वितीय) व 20,000/- (तृतीय) पुरस्कार का प्रावधान है। सभी लक्षित शालाओं में भोजन का सैंपल 24 घंटे रखा जाता है।



मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की पदीय संरचना एवं स्थिति :

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	नियुक्ति की प्रक्रिया
राज्य स्तर					
1	राज्य समन्वयक	1	1	0	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदस्थापना
2	अतिरिक्त संचालक	1	0	1	प्रतिनियुक्ति
3	संयुक्त आयुक्त (आयोजना तथा क्रियान्वयन)	1	1	0	प्रतिनियुक्ति
4	संयुक्त आयुक्त (संसाधन प्रबंधन तथा अनु. श्रवण)	1	0	1	प्रतिनियुक्ति
5	उपायुक्त	1	0	1	प्रतिनियुक्ति
6	सहायक संचालक (वित्त)	1	1	0	प्रतिनियुक्ति
7	सहायक उपायुक्त	2	0	2	प्रतिनियुक्ति
8	सहायक यंत्री	1	1	0	प्रतिनियुक्ति
9	उपयंत्री	2	0	2	प्रतिनियुक्ति
10	प्रोजेक्ट मैनेजर (चाईल्ड हेल्थ)	1	1	0	प्रतिनियुक्ति / संविदा
11	मीडिया ऑफीसर	1	0	1	प्रतिनियुक्ति / संविदा
12	लेखाधिकारी	1	1	0	प्रतिनियुक्ति / संविदा
13	प्रोजेक्ट मैनेजर (मैनेजमेंट, मॉनीटरिंग और इवेल्यूशन)	1	1	0	संविदा
14	प्रोजेक्ट मैनेजर (न्यूट्रीशन)	1	1	0	संविदा
15	प्रोजेक्ट मैनेजर (जेण्डर इक्विटी एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट)	1	0	1	संविदा
16	क्वालिटी मॉनीटर	1	1	0	संविदा
17	लेखापाल	1	1	0	प्रतिनियुक्ति / संविदा
18	सिस्टम एनालिस्ट एवं एमआईएस मैनेजर	1	1	0	संविदा
19	कार्यक्रम सहायक	3	2	1	प्रतिनियुक्ति
20	शीघ्र लेखक	4	2	2	सीधी भर्ती / संविदा
21	ऑफिस असिस्टेंट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5	5	0	सीधी भर्ती / संविदा
22	भृत्य	3	3	0	सीधी भर्ती / संविदा
योग —		35	23	12	
राज्य स्तर पर 01 सिस्टम एनालिस्ट, 02 शीघ्रलेखक, 01 लेखापाल, 05 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं 01 भृत्य के रिक्त पद पर आउटसोर्स कर्मी कार्यरत है।					
जिला स्तर					
23	टास्क मैनेजर	52	29	23	संविदा
24	क्वालिटी मॉनीटर	96	40	56	संविदा
25	कम्प्युटर ऑपरेटर	48	34	14	संविदा
योग —		196	103	93	
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अधिकार दिये गये है।					



श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुन मिशन

विजन : अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेश पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के संकुलो (क्लस्टर्स) को रूरुन गांवों के रूप में विकसित करना।

मिशन का उद्देश्य :

- ग्रामीण शहरी अंतर अर्थात आर्थिक, प्रौद्योगिकी एवं सुविधाओं तथा सेवाओं से जुड़े अंतर को कम करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी उपशमन पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- क्षेत्रों में विकास कार्यों का व्यापक प्रसार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना।

रूरुन संकुल क्या है : रूरुन मिशन के अंतर्गत दो प्रकार के संकुल होंगे।

- गैर जनजातीय संकुल – जिनकी आबादी 25,000 से 50,000 हो।
- जनजातीय संकुल – जिनकी आबादी 5,000 से 15,000 हो।

प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संकुल की समस्त ग्राम पंचायतों को एक ही जनपद में सम्मिलित किया जाता है।

रूरुन संकुल के चयन हेतु मापदंड :

गैर जनजातीय संकुल का चयन	जनजातीय संकुल का चयन
<ul style="list-style-type: none">• दशक के दौरान ग्रामीण आबादी में वृद्धि।• भूमि की कीमतों में वृद्धि।• दशक के दौरान गैर-कृषि कार्यों की भागीदारी में वृद्धि।• माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन के प्रतिशत में वृद्धि।• प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खातों वाले परिवारों का प्रतिशत।• स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में निष्पादन।• ग्राम पंचायत द्वारा शुरू की गई सुशासन की पहलें।	<ul style="list-style-type: none">• दशक के दौरान जनजातीय आबादी में हुई वृद्धि।• जनजातीय साक्षरता दरों में वृद्धि।• दशक के दौरान गैर-कृषि कामगारों की भागीदारी में वृद्धि।

कार्यक्षेत्र : रूरुन मिशन अंतर्गत तीन चरणों में 15 जिलों के 19 संकुल (11 जनजातीय तथा 08 गैर जनजातीय) की 161 ग्राम पंचायतों के 336 ग्रामों को निर्धारित मापदंडों अनुसार चयनित किया गया है।

मध्य प्रदेश में चयनित रुर्बन संकुल

प्रथम चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत	जनसंख्या
1	भोपाल	फंदा	रातीबड	गैर जनजातीय	13	26,460
2	भोपाल	बैरसिया	गुनगा	गैर जनजातीय	12	29,072
3	इंदौर	इंदौर	नावदापंथ	गैर जनजातीय	07	25,592
4	इंदौर	महू	सिमरौल	गैर जनजातीय	05	30,800
5	छतरपुर	छतरपुर	अच्छट	गैर जनजातीय	12	29,927
6	सिवनी	सिवनी	कान्हीवाडा	जनजातीय	07	17,902
7	छिन्दवाडा	तामिया	देलाखाडी	जनजातीय	10	19,636
	कुल योग				66	1,79,389

द्वितीय चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत	जनसंख्या
1	ग्वालियर	घाटीगांव	मोहना	गैर जनजातीय	03	28,243
2	ग्वालियर	डबरा	चीमक	गैर जनजातीय	13	25,216
3	रीवा	हनुमना	गौरी	गैर जनजातीय	11	25,557
4	धार	धार	गुनावद	जनजातीय	14	26,473
5	झाबुआ	पेटलावाद	मोहनकोट	जनजातीय	08	25,142
6	बैतूल	शाहपुर	देशावाडी	जनजातीय	07	22,000
	कुल योग				56	1,79,389

तृतीय चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत	जनसंख्या
1	झाबुआ	मेघनगर	गुवाली	जनजातीय	05	18,248
2	खण्डवा	पंधाना	आरुद	जनजातीय	06	15,892
3	अनुपपुर	पुष्पराजगढ	किर्गी	जनजातीय	09	16,695
4	सिंगरौली	देवसर	कुर्सा	जनजातीय	05	15,570
5	अलीराजपुर	अलीराजपुर	इंदर सिंह की चौकी	जनजातीय	07	16,291
6	मण्डला	बिछिया	रामनगर	जनजातीय	07	15,738
	कुल योग				39	98,434

मिशन के अंतर्गत वांछनीय घटक

क्र.	घटक	क्र.	घटक
1	कौशल विकास प्रशिक्षण	9	स्ट्रीट लाईट
2	कृषि सेवाएं एवं प्रसंस्करण	10	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
3	स्वास्थ्य	11	नागरिक सेवा केन्द्र उपलब्ध कराना
4	विद्यालयों एवं शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन	12	गांवों के बीच सड़क संपर्क
5	24X7 पाइप द्वारा जलापूर्ति	13	ग्रामीण नालियां तथा गलियां का आवर्धन
6	सार्वजनिक परिवहन	14	एल.पी.जी गैस कनेक्शन
7	विशेष सामाजिक अधोसंरचना	15	पर्यटन
8	डिजिटल साक्षरता		

(रुपये लाख में)

क्र.	रुर्बन घटक	क्रियान्वयन एजेंसी	2019.20	
			प्रगतिरत कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृत कार्य	प्रगतिरत कार्यों की वित्तीय प्रगति
1	पाइप द्वारा जलापूर्ति	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6504.557	2842.86
2	विद्यालयों का उन्नयन	ग्राम पंचायत एवं शाला प्रबंधन / विकास समिति	4288.320	1430.426
3	सार्वजनिक परिवहन	ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	671.210	356.790
4	विशेष सामाजिक अधोसं. रचना	ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	1645.160	838.114
5	स्वास्थ्य	राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन	790.395	436.186
6	नालिया युक्त सी.सी सड़क	ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	1585.000	678.121
7	कृषि सेवाएं एवं प्रसंस्करण	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन , जल संसाधन विभाग ,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा , उद्यानिकी एवं ग्राम पंचायत	1984.180	708.535
8	कौशल विकास	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	0.000	0.000
9	डिजिटल साक्षरता	जिला ई – पंचायत समिति	76.960	34.632
कुल योग			17546.000	7094.350

रुर्बन मिशन के तहत विभिन्न कार्य जैसे पाइप द्वारा जलापूर्ति का प्रावधान, कौशल विकास अंतर्गत फ्लाइंग ऐश ट्रेनिंग सेंटर, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा भण्डारण और वेयर हाउसिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्यालय/उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, डिजिटल साक्षरता, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना ई – ग्राम कनेक्टिविटी के लिए लोक सेवा केंद्र जैसे कार्य प्राथमिकता या सामुदायिक मांग के आधार पर किये जाते हैं।



सामुदायिक भवन निर्माण, बड़झिरी – ग्राम
पंचायत, रातीबड़ संकुल, जिला – भोपाल



प्रगतिरत सामुदायिक भवन, करोंदिया ग्राम
पंचायत गुनगा संकुल, जिला भोपाल



नवीन प्राथमिक शाला निर्माण, गुनगा संकुल,
जिला भोपाल



प्रगतिरत सामुदायिक भवन, करोंदिया ग्राम
पंचायत गुनगा संकुल, जिला भोपाल



नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, बिसनावदा
ग्राम पंचायत, नावदापंथ संकुल जिला इंदौर



प्रगतिरत सामुदायिक भवन, करोंदिया ग्राम
पंचायत गुनगा संकुल, जिला भोपाल



सी.सी सड़क निर्माण, सिमरोल संकुल, जिला
– इंदौर



सी.सी सड़क निर्माण, कान्हीवाड़ा संकुल
जिला सिवनी



टंकी निर्माण ,कलारा ग्राम पंचायत,
गुनगा संकुल जिला भोपाल



स्मार्ट क्लास सह बॉउंड्रीवॉल निर्माण ,
नरलाय ग्राम पंचायत, नावदापंथ संकुल
जिला इंदौर

भोपाल हाट

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत भोपाल हाट का निर्माण वर्ष 2005 में पूर्व में संचालित एसजीएसवाय योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के तहत किया गया है। जिसका पंजीयन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(सन् 1973 क्र.44) के अधीन दि. 18/9/2006 को पंजीकृत क्र. 01/01/01/16830/06 के अंतर्गत है। वर्तमान में यह योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में समाहित की गई है।

भोपाल हाट की परिकल्पना के मुख्य स्वरूप में भोपाल हाट का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं सीधे बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती जा रही है एवं समूहों को सीधे लाभ प्राप्त हो रहा है। भोपाल हाट में आयोजित मेलों के माध्यम से स्व सहायता समूह उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्रय कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। भोपाल हाट के नियमित मेले के आयोजन हेतु वार्षिक कैलेंडर का निर्धारण किया जाता है। जिसमें प्रतिमाह 15 से 20 दिन के मेले आयोजित किये जाने का प्रावधान है एवं प्रतिवर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रयोजित रीजनल सरस मेले (वर्ष में दो बार) का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रदेश के साथ-साथ देश के सभी प्रांतों के स्व सहायता समूह भाग लेते हैं। भोपाल हाट के संचालन हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से एक मुश्त 75.00 लाख रुपये प्राप्त होने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एम्पोरिया से प्राप्त राशि/एटीएम से प्राप्त किराया राशि/फूडजोन से प्राप्त किराया राशि/अन्य विभागों को भोपाल हाट मेले हेतु उपलब्ध कराने से प्राप्त किराया राशि आदि से भोपाल हाट में आयोजित किये जाने वाले मेलों का संचालन एवं भोपाल हाट का रख रखाव किया जाता है।

भोपाल हाट का संचालन संचालक, ग्रामीण रोजगार पदेन प्रबंध संचालक, भोपाल हाट विपणन समिति के माध्यम से किया जा रहा है। भोपाल हाट कार्यालय में उपायुक्त स्थापना पदेन उपायुक्त भोपाल हाट, तथा प्रभारी भोपाल हाट एवं विकास आयुक्त कार्यालय के लेखापाल के माध्यम से भोपाल हाट विपणन समिति के खातों का रखरखाव एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर/भृत्य/माली की सेवायें ली जा रही हैं। विभागीय मेलों के अतिरिक्त रिक्त समय में अन्य विभागों के मेले भी भोपाल हाट विपणन समिति में निर्धारित किराया दर के आधार पर उपलब्ध कराया जाकर मेले आयोजित किये जाते हैं।

वित्तिय वर्ष 2019-20 में विभागीय एवं अन्य विभागों को मेला आयोजन हेतु उपलब्ध कराये गये भोपाल हाट में आयोजित मेलों का विवरण निम्नानुसार है :-

मेले का नाम	अवधि	राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय	भाग लेने वाले प्रांतों की संख्या	म.प्र.के जिलों की संख्या	भाग लेने वाले समूहों की संख्या
आषाढ़ मेला	12 जून 2019 से 23 जून 2019 तक (12 दिवस)	क्षेत्रीय मेला	—	13	25
श्रावण मेला	3 अगस्त 2019 से 14 अगस्त 2019 तक (12 दिवस)	क्षेत्रीय मेला	1	19	35

मेले का नाम	अवधि	राष्ट्रीय / क्षेत्रीय	भाग लेने वाले प्रांतों की संख्या	म.प्र.के जिलों की संख्या	भाग लेने वाले समूहों की संख्या
रीजनल सरस मेला	9 से 21.10.2019 तक (13 दिवस)	राष्ट्रीय मेला	12	29	223
रीजनल सरस मेला	15 से 27.01.2020 तक (13 दिवस)	राष्ट्रीय मेला	18	36	232

अन्य विभागों के मेले :

मेले का नाम	विभाग का नाम	अवधि	मेला अवधि
नाबार्ड प्रदर्शनी	नाबार्ड	28/09/19 से 6/10/19 तक	(9 दिवस)
खादी उत्सव	म.प्र. खादी बोर्ड	8/11/19 से 17/11/19 तक	(12 दिवस)
सिल्क फेब	भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली	24/11/19 से 8/12/19 तक	(15 दिवस)
आदिमहोत्सव	ट्रायफेड	20/12/19 से 30/12/19 तक	(11 दिवस)
स्पेशल मार्केटिंग इवेंट	वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली	31/12/19 से 6/01/20 तक	(7 दिवस)
स्पेशल हैंडलूम एक्सपो	शिल्प विकास निगम भोपाल	8/02/20 से 24/02/20 तक	(17 दिवस)
फाग उत्सव	म.प्र. सिल्क फेडरेशन भोपाल	3/03/20 से 15/03/20 तक	(11 दिवस)
यू.पी. स्टेट हैंडलूम एक्सपो	वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली	17/03/20 से 20/03/20 तक	(4 दिवस)

उपरोक्त तालिकाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भोपाल हाट परिसर में 4 विभागीय मेलों एवं 8 अन्य विभागों द्वारा आयोजित मेलों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है।



रीजनल सरस मेले में प्रदर्शित उत्पाद

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान—म.प्र.

अधारताल, जबलपुर

विकास के इस दौर में निरंतर हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया हो गई है। समय-समय पर प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों के द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को नवीन सूचनाओं से अद्यतन कराने की आवश्यकता होती है। इसी अनुक्रम में संस्थान को त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन का दायित्व भी सौंपा गया है। पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से भारत शासन के द्वारा प्रदेश में वर्ष 1987 में “राज्य ग्रामीण विकास संस्थान” की स्थापना की गई। आचार्य विनोबा भावे द्वारा देय नाम “मध्यप्रदेश की संस्कारधानी” जबलपुर में पूर्व से ही पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित था, जो कि भारत शासन द्वारा 1967 में राज्य शासन को हस्तांतरित किया गया था। यह केन्द्र तत्समय पंचायतराज एवं सामुदायिक विकास से जुड़े अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के प्रशिक्षण दायित्व का निर्वाह करता था। विद्यमान अधोसंरचना एवं व्यवस्थाओं का त्वरित उपयोग करने की दृष्टि से राज्य शासन ने इस केन्द्र का 1987 में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के रूप में उन्नयन किया एवं यह संस्थान पूरे प्रदेश के लिए पंचायतराज के पदाधिकारियों एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक चिन्हित संस्थान के रूप में कार्य करने लगा।

प्रशिक्षण संस्थाओं का मुख्य दायित्व उपलब्ध मानव संसाधन को परिष्कृत एवं परिमार्जित कर लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध उत्कृष्ट कार्य संस्कृति निर्मित करने की दिशा में प्रयास करने का होता है तथा प्रतिनिधियों को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में निखार लाने हेतु संचालित गतिविधियों का निर्माण करना होता है। अतः शासन द्वारा यह अनुभव किया गया कि प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तता देना आवश्यक है। इस दृष्टि से वर्ष 1996 में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्तशासी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता दी गयी। इसी प्रकार महात्मा गांधी के 125 वीं जयंती पर संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी जी के नाम पर किया गया एवं वर्ष 2016 में भारत शासन के निर्देशानुसार संस्थान का नाम परिवर्तित कर “महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान” किया गया।

स्वायत्तशासी व्यवस्था के अंतर्गत संस्था का नियंत्रण माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित “शासक मंडल” के द्वारा किया जाता है। शासक मंडल में ग्रामीण विकास, वित्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, महिला बाल विकास आदि विभिन्न विभागों के सचिवों, पंचायतराज संस्थाओं के जिला एवं जनपद स्तर के जन प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रमुख संस्थाओं में से विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में मनोनयन का प्रावधान किया गया है, जिससे संस्थान की गतिविधियों को अकादमिक के साथ-साथ मैदानी वास्तविकताओं को जोड़कर प्रशिक्षणों को आवश्यकता अनुरूप बनाया जा सके। संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए मार्गदर्शन नियंत्रण, पर्यवेक्षण हेतु “कार्यकारिणी समिति” गठित है, जिसके अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हैं। संस्थान के संचालक, कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव हैं।

प्रशासनिक संरचना :—

संस्थान के नवीन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु व कार्यालयीन कार्य संचालन, प्रशिक्षण, शोध व अनुसंधान की गतिविधियों को संचालित करने का दायित्व संस्थान के संचालक का होता है, जो कि संस्था प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। संस्थान में संयुक्त संचालक, उपसंचालक, प्रशासनिक अधिकारी, लिपिकीय एवं अलिपिकीय वर्ग के पद सृजित हैं। संस्थान में शासन द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार है:—

कं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
	(1) प्रशासनिक			
1	संचालक	1	1	0
2	अतिरिक्त संचालक	2	0	2
3	संयुक्त संचालक	1	1	0
4	उप संचालक	3	3	0
5	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
6	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)	4	4	0
7	अधीक्षक	2	2	0
	(2) प्रशिक्षण			
8	प्रोफेसर रूरल प्लानिंग / मैनेजमेंट	2	1	1
9	अनुदेशक	2	1	1
10	अनुसंधान सहायक	2	2	0
11	संकाय सदस्य (भारत शासन कोर फैकल्टी)	7	2	5
	(3) सहयोगी कार्मिक			
12	लिपिक वर्गीय	20	13	7
13	अलिपिक वर्गीय	4	4	0
14	रसोईया / भृत्य / माली / दफ्तरी / चौकीदार / फर्लाश	30	16	14
15	वाहन चालक	3	3	0
16	सफाई कर्मी	4	2	2
	योग	88	55	33

संस्थान की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संरचना को युक्तियुक्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अधोसंरचना :-

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, म.प्र. का नवीन प्रशासनिक भवन 1987 में निर्मित किया गया। इसके पश्चात् प्रशासनिक भवन का विस्तार करते हुए ग्रंथालय भवन, 03 प्रशिक्षण कक्ष एवं कम्प्यूटर लैब निर्मित कराया गया। इस प्रकार वर्तमान में संस्थान में कुल 06 व्याख्यान कक्ष एवं एक संगोष्ठी कक्ष उपलब्ध है। संस्थान के प्रशिक्षण कक्षों में दृश्य श्रव्य उपकरण लगाए गए हैं। संस्थान में 110 व्यक्तियों की क्षमतायुक्त वातानुकूलित ऑडिटोरियम उपलब्ध है, जिसका उपयोग संस्थान में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में किया जाता है।

छात्रावास व्यवस्था :-

संस्थान में प्रतिभागियों के ठहरने हेतु "संस्कार" छात्रावास है, जिसमें 32 कक्ष एवं 4 कक्षों की डॉरमेटरी है। उक्त छात्रावास में 60 प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त एक पुराना छात्रावास है जिसमें 16 कक्ष हैं, जिसमें 32 प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था है। संस्थान में अतिथियों हेतु 10 कक्षों का वातानुकूलित अतिथि गृह है, इसके अतिरिक्त वर्तमान में 76 प्रतिभागियों के ठहरने हेतु नवीन छात्रावास का

निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार संस्थान में एक समय में 168 प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था है।

“महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, करमेता परिसर भाग-2” का निर्माण :-संस्थान के परिसर में अधोसंरचनाओं की अधिकता तथा संस्थान की भविष्य में बढ़ती क्षमतावर्धन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुये तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि आवश्यक अधोसंरचनायें अन्य परिसर का चयन कर वहां विकसित की जावे। इसी अनुक्रम में वर्तमान परिसर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर शासन द्वारा जबलपुर के “महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, करमेता परिसर भाग-2” के लिए आवंटित भूमि पर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अधोसंरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है।

परिवहन :-

परिवहन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, क्षेत्र में भ्रमण के लिए एवं संस्थान के प्रतिभागियों के आवागमन एवं क्षेत्रीय भ्रमण के लिए संस्थान के पास वर्तमान में 1 स्कार्पियो, 1 बोलेरो, 1 टाटा मैजिक उपलब्ध है। इनका उपयोग अतिथि वक्ताओं के आवागमन, दूरस्थ प्रशिक्षणों एवं संस्थान की अन्य परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार परिवहन व्यवस्था के लिए किराये पर भी वाहन लिये जाते हैं।

प्रशिक्षण के लिए संकाय :-

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक संरचना में प्रशिक्षण के लिए 2 प्रोफेसर, 2 अनुसंधान सहायक एवं 2 अनुदेशक के पद सृजित किये गए हैं। भारत शासन द्वारा प्रशिक्षण में सहयोग, विशेषज्ञता एवं उत्कृष्टता के लिए पंचायतराज, ग्रामीण विकास वॉटरशेड प्रबंधन आदि विषयों के लिए दसवीं योजना हेतु 7 संकाय सदस्य शत प्रतिशत अनुदान पर स्वीकृत हैं। इनकी पूर्ति संविदा, प्रतिनियुक्ति अथवा कन्सल्टेंसी के आधार पर की जाती है। भारत शासन के इन पदों के विरुद्ध 02 संकाय सदस्य कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग की 01 मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है, जिसमें 03 संकाय सदस्य कार्यरत हैं। इसी प्रकार संस्थान में आर.जी.एस.ए योजनांतर्गत 02 कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स, 02 संकाय सदस्य एवं 01 लेखापाल एवं मनरेगा योजनांतर्गत 01 संकाय सदस्य कार्यरत हैं।

पुस्तकालय :-

प्रशिक्षार्थियों एवं संकाय सदस्यों के ज्ञान एवं जानकारी को समृद्ध करने एवं अद्यतन रखने की दृष्टि से किसी भी संस्थान में पुस्तकालय अनिवार्य अंग होता है। इस दृष्टि से संस्थान में पुस्तकालय का एक अलग खंड निर्मित है। यद्यपि यह खंड बढ़ती हुई आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है किन्तु संस्थान में उपलब्ध सीमित स्थान में ही वाचनालय एवं पुस्तकालय की व्यवस्था की गई। पुस्तकालय में वर्तमान में लगभग 16077 पुस्तकें विभिन्न विषयों यथा— ग्रामीण विकास, पंचायत एवं समाज कल्याण, सामुदायिक विकास, प्रबंधन, जेण्डर, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान, कृषि, पर्यावरण, इतिहास, बाल विकास, पोषण, वॉटरशेड, इंजीनियरिंग एवं साहित्य की हैं। संस्थान के ग्रंथालय को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु एनआईसी दिल्ली द्वारा विकसित ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर प्राप्त कर पुस्तकों को कम्प्यूटर में फीड कर बार कोडिंग का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में 8 दैनिक समाचार पत्र, 2 साप्ताहिक समाचार पत्र, 13 जर्नल व 23 साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रति माह मंगाई जाती हैं। संस्थान से संबंधित व्यक्तियों के अतिरिक्त अध्येताओं एवं शोधकर्त्ताओं के लिए शुल्क के साथ पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि पुस्तकालय में संग्रहित ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

कम्प्यूटर एवं मल्टीमीडिया :

संस्थान में कम्प्यूटर विषय पर बेसिक एवं विभिन्न एप्लीकेशन आधारित प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए पृथक से कम्प्यूटर लैब है, जिसमें 20 कम्प्यूटर लगाए गए हैं। सभी कम्प्यूटर को LAN से जोड़ा गया है। कम्प्यूटर्स का उपयोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के साथ-साथ संकाय सदस्यों द्वारा पाठ्य सामग्री बनाने एवं प्रस्तुतीकरण के लिए किया जाता है। कम्प्यूटर लैब को और अधिक आधुनिक बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। संस्थान में लीज लाईन इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। संस्थान के कम्प्यूटर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऑनलाइन यू पी एस स्थापित कराये जा रहे हैं। संस्थान परिसर में वाय फाई की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के आधुनिकीकरण के अंतर्गत 5 केयान (K-YAN) प्रोजेक्टर प्रशिक्षण कक्षाओं में स्थापित की गई हैं। प्रोजेक्टर में कम्प्यूटर साउंड बाक्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पेन की सुविधा भी है, जिससे स्क्रीन पर प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक द्वारा लिखा जा सकता है एवं लिखे हुए टैक्स्ट को सेव भी किया जा सकता है। संस्थान के डाटा को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से शासक मंडल के निर्णयानुसार आधुनिक ऑनलाईन इन्वरटर स्थापित कराए गए हैं।

संस्थान वित्त पोषण :-

स्वायत्तशासी होने के उपरान्त संस्थान को राज्य शासन से अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 2019-20 में राज्य शासन द्वारा 364.26 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया। जिसके विरुद्ध 300.608 लाख प्राप्त हुआ है। कुल आवर्ती व्यय के लगभग 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भारत शासन द्वारा की जाती है। संस्थान के लिए 7 संकाय सदस्यों के वेतन की शत-प्रतिशत पूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2019-20 में संस्थान द्वारा भारत शासन को आवर्ती मद में रु. 364.62 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। जिसके विरुद्ध भारत शासन द्वारा प्रथम किश्त की राशि रु. 38.36 लाख की राशि प्राप्त हुई है। अनुदान के अतिरिक्त संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं आवश्यक अधोसंरचना को विभिन्न संस्थाओं के उपयोग हेतु उपलब्ध कराकर भी राशि अर्जित करता है, जिससे संस्थान के संधारण संबंधी अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

ईटीसी वित्त पोषण :-

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों का भी राज्य शासन व भारत शासन से वित्त पोषण की व्यवस्था है। राज्य शासन से वर्ष 2019-20 में 320.080 लाख स्वीकृत किया गया है। जिसके विरुद्ध राशि रु0 597.26 व्यय हुआ। भारत शासन से रु0 20.00 लाख प्रति केन्द्र के मान से निश्चित अनुदान प्राप्त होता है। जिसके विरुद्ध केवल ईटीसी नौगांव एवं उज्जैन की राशि 10 - 10 लाख प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त केन्द्र अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अधोसंरचना के उपयोग के माध्यम से भी कुछ राशि अर्जित करते हैं जिसका उपयोग अधोसंरचना के विकास एवं संधारण आदि के लिए किया जाता है।

संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्र अपनी अधोसंरचना के विकास के लिए पूरी तरह से भारत शासन की सहायता पर निर्भर है। अनावर्ती व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जाती है। अनावर्ती व्यय के अंतर्गत संस्थान की अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों की प्रतिपूर्ति सम्मिलित है।

क्षेत्रीय संरचनाएँ :-

पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान को संपूर्ण प्रदेश का उत्तरदायित्व दिया गया है। संपूर्ण प्रदेश के जिला, जनपद एवं मैदानी स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण एक केन्द्रीकृत व्यवस्था से संभव नहीं था, अतः प्रदेश के 6 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों - भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सिवनी, उज्जैन एवं नौगांव (जिला छतरपुर) का नियंत्रण एवं समन्वय,

पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व संस्थान को दिया गया है। इन क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा जनपद सदस्यों, ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मैदानी अमले का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र का भौगोलिक क्षेत्र अनुमानतः 50-60 जनपदों तक विस्तारित है, इन जनपद पंचायतों के अंतर्गत पंचायतराज के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्र पर है। इन सभी 6 केन्द्रों के अपने स्वतंत्र परिसर हैं। जिनमें प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण कक्ष एवं छात्रावास की सुविधाएं, भारत शासन के सहयोग से निर्मित की गयी हैं। प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं नौगांव (छतरपुर) में कर्मचारियों के लिए आवास गृह भी उपलब्ध है। सिवनी प्रशिक्षण केन्द्र में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवासगृहों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

वर्ष 2019-20 में आयोजित प्रशिक्षण गतिविधियां :—

संस्थान द्वारा वर्ष 2019-20 में माह अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 1981 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें 94242 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इसी तरह क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 242 सत्र आयोजित कर 9428 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। सत्रवार विवरण निम्नानुसार है :—

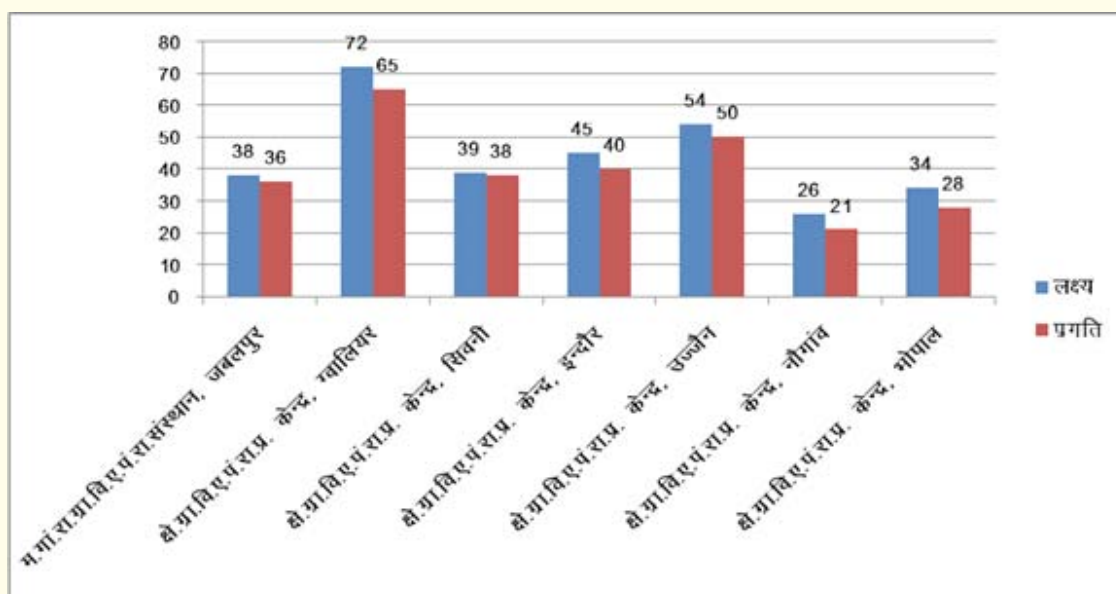
माह अप्रैल 2019 से मार्च 2020 (IN CAMPUS & OFF CAMPUS)

क.	प्रशिक्षण का नाम	लक्ष्य			प्रगति		
		सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस	सत्र	प्रतिभागी	सृजित प्रशिक्षण दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण पंचम चरण प्रगतिरत (ऑफ केम्पस)	303	10605	45	295	10320	464400
2	आगामी नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु टी.एन.ए. कार्यशाला	2	103	1	2	103	103
3	जनपद पंचायत स्तरीय मास्टर रिसोर्स पर्सन का ओरिएन्टेशन एवं एसेसमेंट प्रोग्राम	7	327	4	7	308	1232
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी / विकासखण्ड अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण	1	5	32	1	5	160
5	राज्य स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण	1	45	2	1	39	78
6	जनपद स्तरीय जीपीडीपी मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण	2	132	2	2	132	264
7	जनपद स्तरीय ग्राम पंचायत जीपीडीपी अनुदेशक का प्रशिक्षण	10	580	1	10	455	455

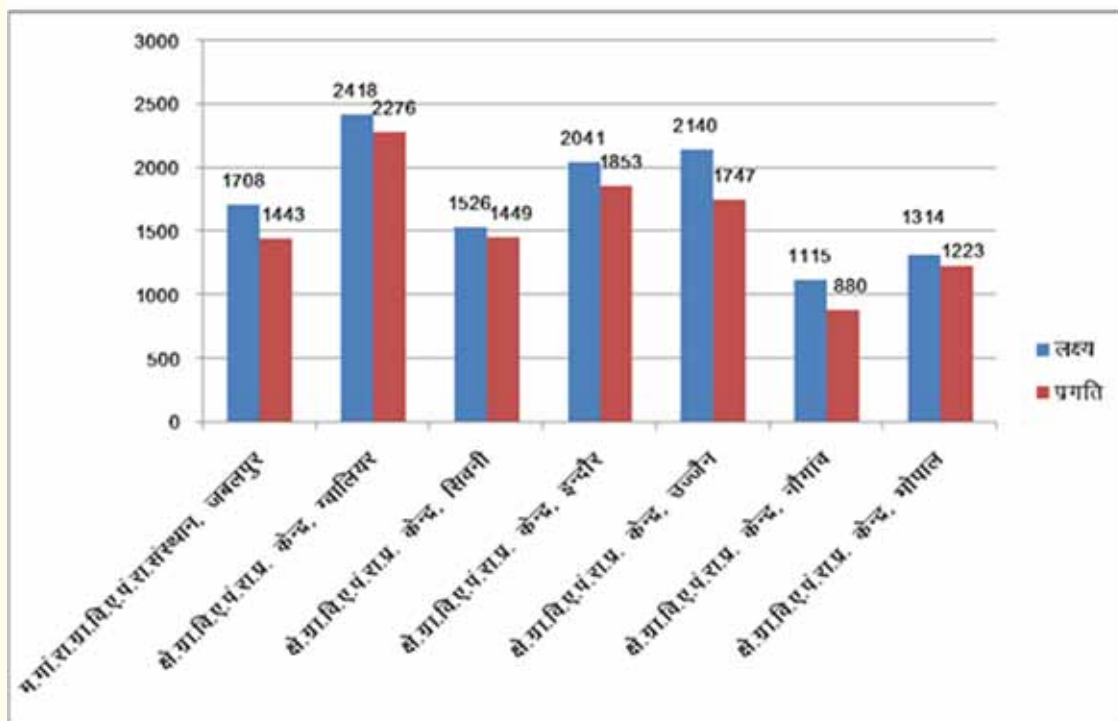
8	ग्राम पंचायत फेसीलिटेटर टीम का प्रशिक्षण (ऑफ केम्पस)	2281	114060	2	1650	82479	164958
9	“नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम” विषय पर पंचायतराज क्रियान्वयकों हेतु क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम	1	35	3	1	35	105
10	एम.एल.टी.सी. पर्यवेक्षकों का मूलभूत प्रशिक्षण	6	121	32	6	121	3872
11	इंटरनल ऑडिट सर्टीफिकेट कोर्स	1	30	21	1	21	441
12	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत “सजल एवं स्वच्छ गांव” विषय पर 5 दिवसीय जिला स्तरीय स्रोत दल का प्रशिक्षण	5	250	5	3	148	740
13	ग्रामीण आजीविका हेतु वैल्यू चेन और बाजार रणनीतियां विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	45	5	1	41	205
14	पीएमएवाय-जी एवं एनएसएपी का सामाजिक अंकुषण विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	35	6	1	35	210
	योग	2622	126373	.	1981	94242	637223

- “प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्री प्रशिक्षण” में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

संस्थावार प्रशिक्षण सत्रों का प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध
माह मार्च 2020 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण सत्रों का विवरण (IN CAMPUS)



संस्थावार प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह मार्च 2020 तक प्रशिक्षित किए गए प्रतिभागियों का विवरण (IN - CAMPUS)



प्रयास का एक दशक :-

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन निरंतर प्रदान किया जाता है। जिसके फलस्वरूप संस्थान/केन्द्रों की प्रशिक्षण गतिविधियों में वृद्धि हुई है। वर्तमान में संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान द्वारा किए गए प्रयास निम्न सारणी में परिलक्षित होते हैं -

वर्ष	संस्थान		क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	
	सत्र	प्रतिभागी	सत्र	प्रतिभागी
2006-07	274	10688	787	51498
2007-08	259	9658	1061	56952
2008-09	1580	99999	1022	50003
2009-10	2583	153861	1035	38184
2010-11	245	9211	1233	47045
2011-12	2184	299165	1194	57759
2012-13	5229	238020	1093	51771
2013-14	8927	371747	752	32199
2014-15	440	17083	301	13167
2015-16	249	7026	263	11024

वर्ष	संस्थान		क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	
	सत्र	प्रतिभागी	सत्र	प्रतिभागी
2016-17	80	2479	425	15582
2017-18	360	10968	197	7262
2018-19	3626	164755	308	8330
2019-20	1981	94242	242	9428

शोध और अध्ययन :-

संस्थान एवं सभी 06 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रों में पदस्थ संकाय सदस्यों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे- मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आदि विषयों पर शोध कार्य किये जा रहे हैं।

पाठ्य सामग्री का सृजन एवं प्रकाशन :-

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न विषयों क्रमशः स्व-सहायता समूह, पंचायतराज, ग्राम पंचायत विकास योजना, बाल उत्प्रेरण, प्रशिक्षण प्रबंधन एवं तकनीक, विकेन्द्रित नियोजन, पंचायती राज व्यवस्था अध्ययन, म.ि. हला एवं बाल विकास और जेंडर एवं प्रजनन स्वास्थ्य, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि से संबंधित लगभग 85 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है।

मासिक पत्रिका “पहल” का प्रकाशन :-

संस्थान द्वारा मासिक ई-पत्रिका “पहल” का प्रकाशन संस्थान की वेबसाइट पर किया जाता है, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित श्रेष्ठ अनुकरणीय कार्य, नवाचार, सफलता की कहानियां, वर्तमान गतिविधियां एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के संबंध में आलेख प्रकाशित किये जाते हैं साथ ही साथ संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण, बैठकें, सेमीनार, कार्यशालाओं से संबंधित जानकारियों का भी उल्लेख पत्रिका में किया जाता है।

इस ई-पत्रिका “पहल” का प्रकाशन बिना किसी व्यय के किया जाता है तथा भविष्य में पंचायत दर्पण पोर्टल से लिंक किया जायेगा, जिससे पंचायतराज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी लाभान्वित हो सकें।

भविष्य की परिकल्पना :-

संस्थान को प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की गतिविधियों के संचालन में उत्तरोत्तर उपलब्धि प्राप्त हो रही है। संस्थान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण कर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त योजनाओं से संबंधित विषयों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं, जिनके निष्कर्षों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक परिवर्तन के सुझाव शासन की ओर प्रेषित किये जाते हैं।

संस्थान द्वारा विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से निरंतर संपर्क कर प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के परिणाम परिलक्षित हुए हैं, आगामी वर्ष में भी संस्थान प्रशिक्षण के साथ-साथ शोध एवं प्रशिक्षण से जुड़े नवाचारों के आधार पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।



म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल

1. परिचय :

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल की स्थापना वर्ष 1984 में आयाकट विभाग के अधीन यूनाईटेड स्टेट एजेन्सी फॉर इंटरनेशनल डेवेलपमेंट (USAID) की सहायता से हुई जो म.प्र. सोसायटीज् पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत दिनांक 31.08.1985 को क्र. 15463 पर पंजीकृत है। यूनाईटेड स्टेट एजेन्सी फॉर इंटरनेशनल डेवेलपमेंट (USAID) की सहायता वर्ष 1993 तक रही। वर्ष 1998 में संस्थान ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित हुआ। संस्थान में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्यशालाएँ, सेमीनार, परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा अन्य गतिविधियाँ संचालित होती हैं। संस्थान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी लिंकेज किये जाकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर संस्थान के रूप में विकसित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2014 में संस्थान की पुनर्संरचना की गई जो इस प्रकार है :-

1. शासी निकाय (Governing Body)

• मुख्य सचिव	— अध्यक्ष
• अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रा. वि. विभाग	— सदस्य
• कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.	— सदस्य
• अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	— सदस्य
• अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग	— सदस्य
• अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग	— सदस्य
• प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	— सदस्य
• प्रमुख सचिव, उद्यानिकी विभाग	— सदस्य
• प्रमुख सचिव, मत्स्य पालन विभाग	— सदस्य
• संचालक, वाल्मी	— सदस्य सचिव

2. कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)

• अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रा. वि. विभाग	— अध्यक्ष
• प्रमुख सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	— सदस्य
• सचिव, वित्त विभाग	— सदस्य
• प्रमुख सचिव/सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	— सदस्य
• मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीआरआरडीए	— सदस्य
• संचालक, रा.गां. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन/मुख्य कार्यपालन अधिकारी—एस.एल.एन.ए.—एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम	— सदस्य
• मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	— सदस्य
• परियोजना संचालक, विश्वबैंक परियोजनायें जलसंसाधन विभाग	— सदस्य
• प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	— सदस्य
• आयुक्त, सैच्य क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग	— सदस्य

- संचालक, उद्यानिकी — सदस्य
- संचालक, मत्स्य पालन — सदस्य
- संचालक, वाल्मी — सदस्य सचिव

उद्देश्य :-

- (1) विज्ञान एवं तकनीकी का प्रचार प्रसार तथा तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान का अर्जन करना।
- (2) सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, भूमि विकास एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान करना एवं विविध पहलुओं पर प्रयोग संचालित करना तथा समान उद्देश्यों वाले संगठनों से समन्वय करना।
- (3) सिंचाई प्रबंधन योजनाओं से संबंधित कर्मचारियों एवं लाभार्थियों के प्रशिक्षण संचालित करना।
- (4) ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जलग्रहण प्रबंधन योजनाओं से संबंधित सामाजिक संस्थाओं एवं लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।
- (5) ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों में संलग्न कर्मचारियों के लिए विशेष क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित करना।
- (6) सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का अंकक्षण एवं मूल्यांकन।
- (7) सिंचाई प्रबंधन, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों में शासन एवं स्थानीय निकाय व अन्य संगठनों को सलाहकारिता सेवा प्रदाय करना।
- (8) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, शोध, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग और प्रभावों का अंकक्षण तथा मूल्यांकन करना।

कार्यक्षेत्र:-

- प्रशिक्षण
- अनुसंधान
- परामर्श एवं सलाहकारिता कार्य
- विस्तार एवं तकनीकी का अंतरण
- व्यावहारिक अध्ययन तथा मूल्यांकन कार्य

मानव संसाधन संरचना:-

कार्यालय:-

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
संचालक	01	01	—
प्रशासकीय अधिकारी	01	01	—
लायब्रेरियन	01	—	01
उपायुक्त	01	01	—
लेखाधिकारी	01	01	—

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
सहायक यंत्री	01	01	—
अनुभाग अधिकारी	01	—	01
उपयंत्री	08	06*	02
सहायक मानचित्रकार	01	—	01
कम्प्यूटर ऑप./प्रोग्राम असिस्टेंट	03	02	01
प्रेक्षक	01	01	—
केटरिंग मैनेजर	01	01	—
तकनीकी सहायक	04	03	01
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	01	01	—
ग्राफिक आर्टिस्ट	01	01	—
प्रयोगशाला तकनीशियन	02	02	—
समयपाल	02	02	—
कुक्	02	02	—
वाहन चालक	06	05	01
वरिष्ठ कार्यालय सहायक	02	02	—
सहायक वर्ग-2	06	06	—
वरिष्ठ लेखा लिपिक	01	—	01
शीघ्रलेखक-2	01	01	—
शीघ्रलेखक-3	01	—	01
सहायक वर्ग-3	12	10**	02
केटलॉग इन्डेक्स क्लासीफायर	01	01	—
इलेक्ट्रिकल वायरमेन	01	—	01
पंप अटेंडेंट	01	—	01
दफ्तरी	01	01	—
वाटरमेन	01	01	—
भृत्य	17	16	01
सफाईकर्मी	04	03	01

*उपयंत्री के भरे 06 पदों में से 02 उपयंत्री प्रतिनियुक्ति पर संस्थान से बाहर पदस्थ हैं।

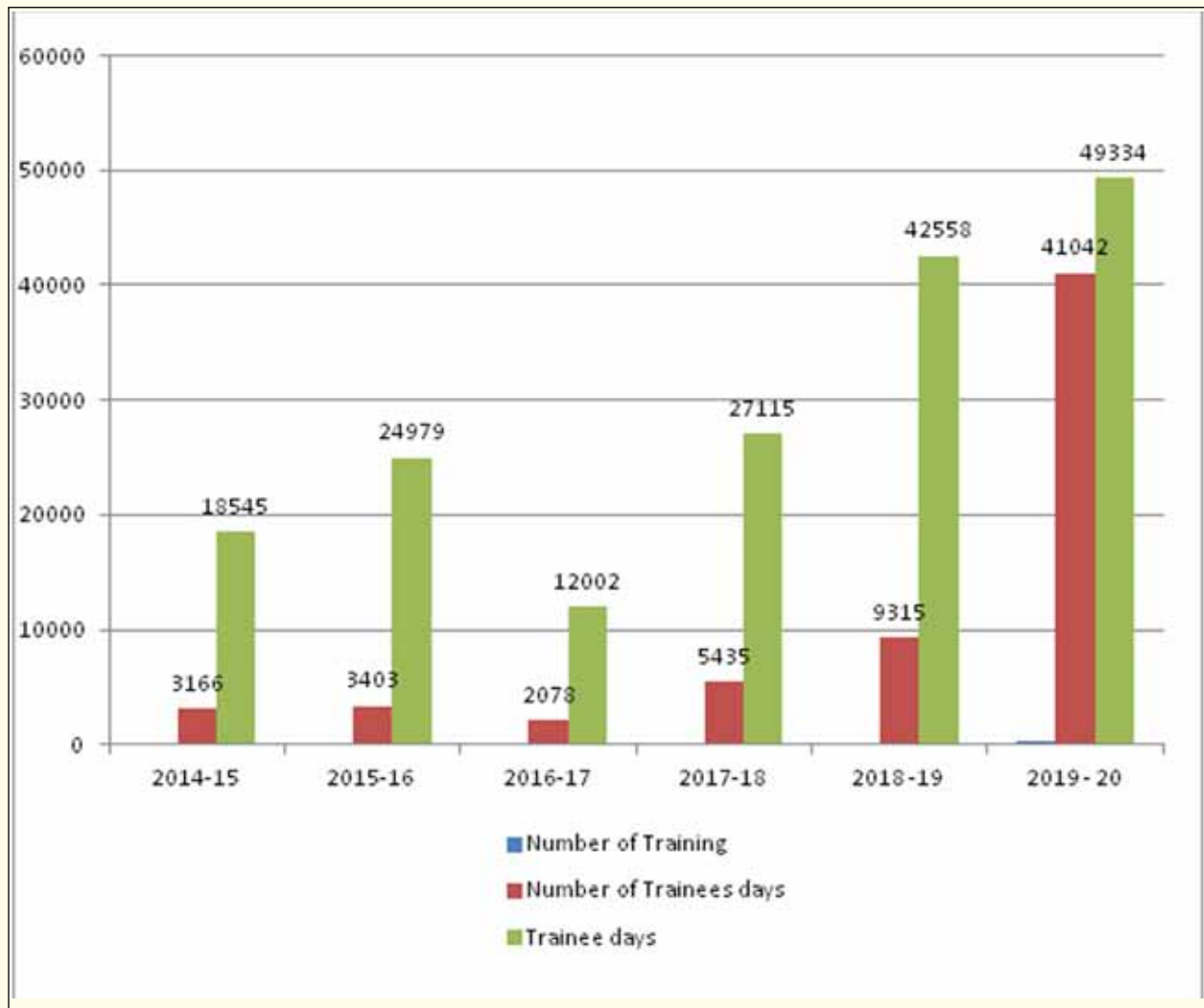
**सहायक वर्ग -तीन के भरे 10 पदों में से 01 सहायक प्रतिनियुक्ति पर संस्थान से बाहर पदस्थ है।

संकाय:-

डीन	02	—	02
प्राध्यापक	07	—	07
सह-प्राध्यापक	18	02	16
सहायक प्राध्यापक	18	—	18
शोध सहभागी	14	—	14
इंटरन	14	—	14

भौतिक उपलब्धियां :

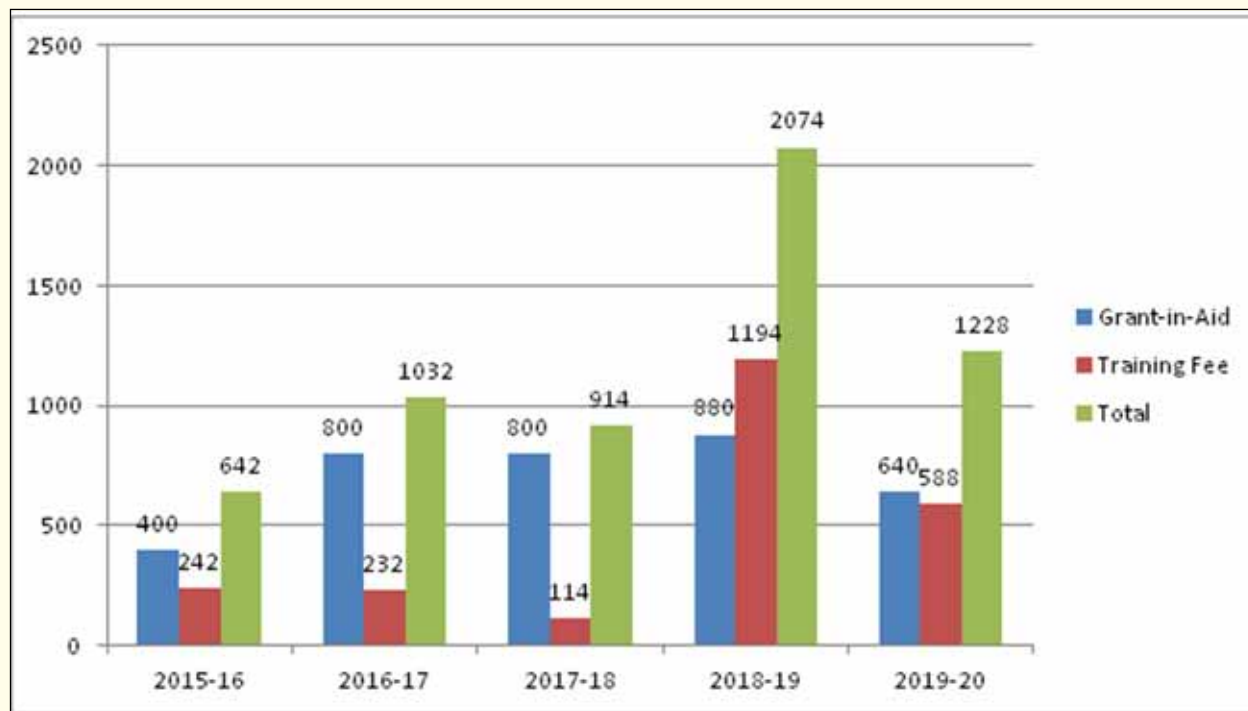
संस्थान द्वारा विगत वर्षों में की गई विभिन्न गतिविधियों तथा उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-



वित्तीय उपलब्धियां

संस्थान को विगत वर्षों में सहायता अनुदान तथा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रु. में)



विशेष उपलब्धियां :

संस्थान की विशेष गतिविधियों तथा उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

कार्यशालाएँ:-

संस्थान को शीर्ष प्रशिक्षण संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु "Establishing Standard Benchmark For a State Level Premier Training Institutions" विषय पर 02 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

बेसिक हाईड्रोलॉजी विषय पर राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के सहयोग से पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

ग्राउंड वाटर मॉडलिंग विषय पर राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के सहयोग से तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

संस्थान के कर्मचारियों एवं विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों के संयुक्त तत्वाधान में पौधरोपण कार्यशाला एवं कचरा निष्पादन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर द क्लब ऑफ रोम व वाल्मी के संयुक्त तत्वाधान में जल, जंगल, जमीन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मानव अधिकार आयोग एवं वाल्मी के संयुक्त तत्वाधान में जल का अधिकार—मानव का अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

शोधपत्रों का प्रकाशन:—

संस्थान द्वारा विविध उपयोगी विषयों पर शोधपत्रों का प्रकाशन किया गया।

- दिनांक 24–25 अप्रैल 2018 को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों हेतु मानक बेंचमार्क निर्धारण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 16 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला की अनुशंसाओं के आधार पर संस्थान द्वारा International journal of advances in agriculture science and technology में Quality in Capacity Building and Training Institution Development Matters the Most ? Setting Benchmarking Process and Benchmark Standards for Training Institutions – WALMI Bhopal Case in Point.
- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा दिनांक 24–28 सितम्बर, 2019 की अवधि में आयोजित 6th India Water Week-2019 कार्यक्रम में संस्थान द्वारा “Water Availability in Urban Areas: Need for Small Interventions on a Mass Scale” विषय पर एक शोधपत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रदर्शनी:—

पंचायत प्रतिनिधियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में संस्थान द्वारा एक प्रदर्शनी लगाकर संस्थान की गतिविधियों, नैनो वाटरशेड तकनीक का प्रचार—प्रसार किया गया, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रशंसा भी की गई।

अनुपयोगी सामग्री का निष्पादन:—

सामुदायिक भवन एवं विभिन्न संकायों/शाखाओं में वर्षों से एकत्रित अनुपयोगी फर्नीचर आदि का ई—नीलामी प्रक्रिया द्वारा निष्पादन किया गया।



चारचक्रीय वर्मीकम्पोस्ट:-

अपशिष्ट से खाद बनाने हेतु ईट/कांकीट की चारचक्रीय कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट निर्मित की गई है। इस विधि में केंचुओं द्वारा 4 कम्पार्टमेंट्स में चक्रीय आधार पर वार्षिक लगभग 1.5 लाख कीमत की जैविक खाद निर्मित की जा रही है।

छतीय जल संग्रहण:-

छात्रावास के नलकूप के पुनर्भरण हेतु छत से वर्षा जल एकत्रित कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीक के माध्यम से जल संचयन किया गया है, जिससे ग्रीष्मकाल में नलकूप के माध्यम से सतत् जलापूर्ति संभव होगी। छत के क्षेत्रफल के अनुसार लगभग 2.2 लाख लीटर पानी नलकूप में संग्रहीत हुआ है।



कम्पोस्ट मेकिंग मशीन:-

सूखी प्रकृति के कचरा निष्पादन हेतु कम्पोस्ट मेकिंग मशीन स्थापित की गई है। मशीन द्वारा रु. 2.0 लाख कीमत की 10000 किलोग्राम वार्षिक कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया गया है जो कि संस्थान परिसर के पेड़ पौधों में उपयोग की गई है।

लघु तालाब:-

जल संग्रहण हेतु लघु संरचनाओं की महत्ता दर्शाने हेतु हिलटॉप पर प्राकृतिक रूप से जल भराव होने वाले स्थान पर लघु तालाब निर्मित किया गया है। इसके द्वारा लगभग 2.0 लाख लीटर पानी भूमि में परकोलेट हुआ है।

सघन वनीकरण:—

संस्थान द्वारा अपने स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक परिवर्तन करते हुए आदानों के साथ—साथ सघन वनीकरण का कार्य किया गया है जिसके अल्पसमयावधि में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

वाल्मीयावाकी:—

वर्तमान में संस्थान द्वारा जापान की मियावाकी तकनीक को स्थानीय दशाओं के अनुकूल परिवर्तित कर (जिसे वाल्मीयावाकी तकनीक नाम दिया है), सघन वन विकास, जिसमें प्लोटिंग डेंसिटी 3 वृक्ष प्रति वर्गमीटर है, किया गया है। 40–50 स्थानीय वन्य प्रजातियों से निर्मित किये गये इस सघन वन की 7 खंड निर्मित किये जाकर अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं। इस तकनीक की विशेषता यह है कि इस विधि से 1 वर्ष में ही सघन वन निर्मित किया जा सकता है।

संस्थान द्वारा वाल्मीयावाकी पद्धति से संस्थान के प्रदर्शन प्रक्षेत्र के साथ—साथ जिला भोपाल के खजूरीकलां सड़क स्थित श्मशानघाट पर 90 वर्गमीटर क्षेत्र में तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलीटेक्निक कॉलेज भोपाल में 250 वर्गमीटर क्षेत्र में सघन वनीकरण का कार्य माह अक्टूबर 2019 में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है।

वाल्मीयावाकी पद्धति से स्मार्टसिटी भोपाल एवं स्मार्टसिटी सतना हेतु प्रस्ताव सलाहकारित द्वारा किये जाने बावत् प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।



मधुमक्खी पालन:—

प्रदर्शन प्रक्षेत्र के लगभग 700 वर्गमीटर क्षेत्र में मधुमक्खी पालन केन्द्र विकसित किया गया है, जिससे मधुमक्खी पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल 10 प्रशिक्षणों के माध्यम से 448 प्रशिक्षणार्थियों को अब तक मधुमक्खी पालन की तकनीक के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पार्क:—

तरल एवं ठोस कचरे को पुनः उपयोग में लाने हेतु विभिन्न संरचनाओं का प्रदर्शन हेतु निर्माण किया गया है, जिससे भूजल संवर्धन, गीले कचरे से बाँयो जैविक खाद का निर्माण किया जा सकता है।

वाल्मीयावाकी पद्धति से सघन वन विकास :

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) द्वारा स्वजनित वाल्मीयावाकी पद्धति से प्रक्षेत्र में सघनवनीकरण के कार्य विगत वर्ष से किये जा रहे हैं। जिनमें सघनवनीकरण की 5 मीटर X 30 मीटर आकार की सात पट्टियां विकसित की गई हैं, जिनमें विविध प्रकार के स्थानीय पेड़—पौधों को

उगाया गया है। यह सभी पेड़-पौधे लगभग एक वर्ष की अवधि में घने जंगल के रूप में विकसित हो चुके हैं। इनमें इस वर्ष बेर, शहतूत, मुनगा बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में एक स्वस्तिक आकार की सघनवनीकरण संरचना तैयार की जा रही है। यह स्वास्तिक सघनवन होगा तथा इसकी भुजाओं में फूलों की बिन्दी लगायी जा रही हैं। वाल्मी में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर वाल्मीयावाकी तकनीक से आकृतियों में सघनवन निर्मित किये जा रहे। पूर्व में इस श्रृंखला में वाल्मी द्वारा ऊपर हिल्स पर 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में डब्ल्यू आकार का सघनवन निर्मित किया गया है।

नक्षत्र उद्यान :

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) को अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपने प्रक्षेत्र में एक नक्षत्र उद्यान का निर्माण करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी नक्षत्र उद्यान में नक्षत्रों के आधार पर पौधों का चयन कर उन्हें निम्नानुसार चक्र में रोपित किया जा रहा है:-

क्र.	नक्षत्र का नाम	पौधे का नाम	ग्रह का नाम	पौधे का नाम	राशि का नाम	पौधे का नाम
1	भरणी	ऑंवला	सूर्य	अर्क	मेष	ऑंवला
2	कृतिका	गूलर	चन्द्र	पलाश	वृषभ	जमुन
3	रोहिणी	जामुन	मंगल	रकादिर	मिथुन	शीशम
4	मृगश्रा	खैर	बुध	आपामार्ग	कर्क	नागकेशर
5	आर्द्रा	शीशम	गुरु	पीपल	सिंह	पलाश
6	पुनर्वसु	बांस	शुक्र	औडंबर	कन्या	रीठा
7	पुष्य	पीपल	शनि	शमी	तुला	अंजरुन
8	अश्लेषा	नागकेशव	श्राहु	दुर्ता	वृश्चिक	भालसरी
9	मघा	बरगद	केतु	कुश	धनु	जलवेतस
10	पू०फाल्गुनी	ढांक			मकर	अकोन
11	उ०फाल्गुनी	वाकड			कुंभ	कदम्ब
12	हस्त	रीठा/चमेली			मीन	नीम
13	चित्ता	बेल				
14	श्वाति	अर्जुन				
15	विशाखा	कटाई				
16	अनुराधा	मौलश्री				
17	जैष्ठ	चीड़/सेलम				
18	मूल	साल				
19	पूर्वाषाढा	जल्वेतर				
20	उत्तराषाढा	कटहल				
21	श्रवण	शमी				
22	घनिष्ठा	मदार				
23	शतभिषक	कदम्ब				
24	पू०भाद्रपद	आम				
25	उत्तरभाद्रपद	नीम				
26	रेवती	महुआ				
27	अश्विनी	कुचिला				

इस उद्यान में राशियों एवं ग्रहों के अनुसार पौधे लगाये जायेंगे।

ईकोलोजिकल पार्क का विकास :

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) द्वारा कोरोना लॉकडाउन के कारण लगभग ढाई माह बन्द रहने के पश्चात वाल्मी ईकोलॉजिकल पार्क को फिर से आम जनता के लिए खोला जावेगा। पार्क में वाहनों, साईकिल आदि का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रखा गया है, सैलानियों को पैदल भ्रमण की ही अनुमति रहेगी। यदि वाहन की आवश्यकता है तो वाल्मी प्रबंधन की ओर से बैटरीचलित ई-रिक्शों की सशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। भ्रमण हेतु आने वाले सैलानियों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित किये गये सभी सुरक्षा उपायों/मानदण्डों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करना होगा। पार्क में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, जल संरक्षण की संरचनाओं, सघनवनीकरण, से पहाड़ी इत्यादि का वातावरण अत्यधिक रमणीक होता है। इसमें वानस्पतिक प्रजातियों में कई दुर्लभ औषधीय, सुगंधित एवं अन्य गुणवत्ता वाले पेड़-पौधे सम्मिलित हैं जो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में लुप्त होने के कगार पर हैं। इस प्रकार यहां कई जंगली जानवर जैसे – तेन्दुआ, हिरण, खरगोश, जंगली सुअर, लोमड़ी एवं मोरों के झुण्ड इत्यादि भी विचरण करते हुए पाये गये हैं। प्राकृतिक रूप से प्रदत्त यह अक्षुण्ण जैव विविधता हजारों वर्षों से संरक्षित एवं संधारित है। प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक विधियों से संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन को समझना, जैवविविधता एवं उसके महत्व को समझना तथा जल जंगल जमीन के महत्व के प्रति जागरूकता का विकास होना इस ईकोलॉजिकल पार्क के भ्रमण से सम्भव हो सकेगा। सैलानियों को प्रबंधन द्वारा निर्धारित किये गये नियमों-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। पार्क में ज्वलनशील पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, प्लास्टिक का उपयोग, तीव्र ध्वनि, अपशिष्ट फैलाना एवं धूम्रपान/मदिरापान/अन्य नशीलेपदार्थ आदि लाना एवं उपयोग करना सर्वथा वर्जित रहेगा। सामान्य जनों हेतु प्रवेश शुल्क रु. 20/- तथा छात्र-छात्राओं को (पहचान पत्र बताने पर) रु. 10/- प्रतिव्यक्ति रखा गया है। प्रतिदिन पार्क खुलने का समय: प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक एवं अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक बुधवार को अवकाश रहेगा।

नेनो वाटरशेड अवधारणा आधारित विकास कार्य :

संस्थान के प्रदर्शन प्रक्षेत्र का विकास संस्थान द्वारा ही जनित नेनो वाटरशेड विकास अवधारणा एवं परिकल्पना अन्तर्गत किया जा रहा है, जो कृषकों की भूमि के समग्र विकास एवं आजीविका में वृद्धि पर आधारित है। विगत माह इस कार्य अन्तर्गत 3 लघु तालाबों का निर्माण, 1500 स्टेगर्ड, कंटूर ट्रैन्चेस, 250 चंद्राकार ट्रैन्चेस, गेबियन संरचनाओं का डिसिल्टेशन, लूस बोल्टर संरचनाओं का निर्माण, फलोद्यानों का विकास कार्य, ढाल के विपरीत पौधरोपण द्वारा सौन्दर्यीकरण इत्यादि कार्य संपादित किये गये।

परियोजनाएँ :

- वाल्मीयावाकी पद्धति से पौधारोपण करने हेतु सतना, नगर निगम का भ्रमण कर स्थल निरीक्षण एवं चयन किया गया। तदोपरान्त लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्र में पौधारोपण हेतु सलाहकारिता कार्य की सहमति प्रदान की गई, किन्तु कोविड-19 की वजह से कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हुआ जो कि वर्षा ऋतु उपरान्त पूर्ण किया जायेगा।
- स्मार्ट सिटी, भोपाल क्षेत्र में वाल्मीयावाकी पद्धति से पौधारोपण करने हेतु भ्रमण एवं स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाहियाँ पूर्ण की गई। स्थल की मिट्टी का परीक्षण किया गया एवं पाया

गया कि मिट्टी गुणवत्ता पूर्ण नहीं है। इस संबंध में स्मार्ट सिटी को पत्र प्रेषित कर सूचित कर दिया गया है एवं लगभग रु. 6,84,72,420/- प्रभारित राशि के विरुद्ध 50 प्रतिशत राशि रु 3,42,36,210/- की मांग हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

- रवीन्द्र भवन, भोपाल के सामने नगर निगम, भोपाल के सहयोग से वाल्मीयावाकी पद्धति से पौधारोपण करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें लगातार भ्रमण कर मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। कार्य स्थल पर केबल एवं पाईप लाईन होने की वजह से कार्य में विलम्ब हो रहा है जो कि अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना है।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना का मूल्यांकन :

- आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत माह जनवरी से माह मार्च, 2020 तक कुल 12 जिलों में मूल्यांकन का कार्य किया गया।
- आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत मूल्यांकन कार्य की कुल 155 रिपोर्ट पूर्ण हो गई है।

वाटर हार्वेस्टिंग तालाब:-

प्रक्षेत्र पर रनऑफ के रूप में प्राप्त जल को सुरक्षित निकास देकर चैनल (नाले) निर्माण कर अंतिम छोर पर सम्पूर्ण जल संग्रहण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग तालाबों का निर्माण किया गया है। इससे भूजल रिचार्ज होने के साथ-साथ मछली पालन एवं मुर्गीपालन जैसी गतिविधियाँ संचालित की जा सकेंगी। लगभग 50 लाख लीटर पानी तालाब के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाने के लिये भूमि में परकोलेट हो चुका है।

नेनो वाटरशेड विकास:-

जलग्रहण क्षेत्र विकास आधारित कार्यों को अधिक प्रभावी एवं कृषि को अधिक लाभकर बनाने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा वाटरशेड के और अधिक सूक्ष्म रूप नेनो वाटरशेड की अभिकल्पना कर इस अवधारणा को प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर क्रियान्वित किया है। जिसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

जैविक बागड़:-

प्रदर्शन प्रक्षेत्र की सीमा पर कांकीट वॉल के स्थान पर जैविक बागड़ हेतु बोगन विलिया प्रजाति के पौधों से फेन्सिंग की गई है। इससे कम लागत में पशुओं के आवागमन में रोक हुई है।

भूमि सामर्थ्य वर्गीकरण आधारित भूमि उपयोग नियोजन:-

संस्थान के प्रदर्श प्रक्षेत्र पर उपलब्ध विभिन्न सामर्थ्य की भूमियों का वर्गीकरण कर उनका उपयोग नियोजन वनचर भूमि, फलों मिश्रित फलोद्यान विकास, फसल उत्पादन, उद्यानिकी इत्यादि के रूप में किया जाकर उपचार के साथ प्रदर्शित किया गया है।

सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन की स्थापना:-

महिला प्रशिक्षणार्थियों की सुविधा हेतु संस्थान के छात्रावास में 02 स्थानों पर सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित कराई गई है।

संस्थान के अमले का क्षमतावर्धन:-

संस्थान के कर्मचारियों के क्षमतावर्धन हेतु वाल्मी, गुजरात एवं वाल्मी, कर्नाटक का भ्रमण कराया गया। जिसके अन्तर्गत कृषि, सिंचाई की उन्नत तकनीकों का ज्ञान एवं उसका व्यावहारिक अवलोकन किया गया।

साथ ही कार्यालय की विभिन्न प्रणालियों की जानकारी भी प्राप्त की गई।

जल मित्रों का चिन्हांकन:—

संस्थान द्वारा प्रदेश के युवाओं को जल मित्र के रूप में चिन्हांकित कर जल आपूर्ति के प्रति आत्मनिर्भरता बढ़ाने, वर्षा जल को अधिक से अधिक संग्रहित करने, भविष्य में जल की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखना तथा वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न तकनीकों को समझने के लिये प्रशिक्षण प्रदान कर जल मित्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है।

परियोजना कार्य:—

- प्रकोष्ठ क्र. 2 द्वारा जल संसाधन विभाग की केडवम परियोजनाओं का थर्ड पार्टी कॉन्करंट मूल्यांकन का कार्य किया गया। मार्च 2020 तक 04 परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह परियोजनायें सिंहपुर जिला छतरपुर, महुअर जिला शिवपुरी, महान जिला सीधी एवं पेंच जिला सिवनी है।
- 01 परियोजना यथा बाणसागर जिला शहडोल का कार्य किया गया जो माह मार्च 2020 में अंतिम चरण में प्रगतिरत रहा।
- उक्त अवधि में जल संसाधन विभाग की स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान (SSAP) फॉर वाटर सेक्टर परियोजना का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के संबंध में विभिन्न विभागों से आवश्यक जानकारी एकत्रित करने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन माह जनवरी 2020 में किया गया। वर्तमान में यह कार्य प्रगति में है।
- खनिज विभाग, म.प्र.शासन द्वारा चुनिन्दा जिलों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माईनिंग अफेक्टेड एरिया (CEMAA) के अंतर्गत माईनिंग प्रभावित क्षेत्रों एवं हितग्राहियों के विकास हेतु योजना निर्माण एवं संबंधित गतिविधियों के निष्पादन में आवश्यक सहयोग हेतु संस्थान द्वारा यह कार्य क्लब ऑफ रोम के सहयोग से 04 जिलों अनूपपुर, बैतूल, शहडोल एवं छिन्दवाड़ा में किये जाने हैं। प्रथम चरण में जिला बैतूल में कार्य प्रारम्भ किया गया है।

परिसर को Wi-Fi करने का कार्य:—

संस्थान के कार्यालय, छात्रावास एवं व्याख्यान कक्षों को 20 MBPS स्पीड क्षमता से Wi-Fi करने का कार्य पूर्ण किया गया।

ग्रीन वॉल:—

संस्थान के मुख्य प्रवेश द्वार पर अत्यन्त न्यून लागत से संस्थान के ही कर्मचारियों के द्वारा बिना मिट्टी का उपयोग कर ग्रीन वॉल विकसित की गई है।

ग्रीनफ्रेम :—

ग्रीनवॉल की ही भांति 12"X15" आकार के पीवीसी फ्रेम में लिविंग प्लांटस् लगाकर ग्रीन फ्रेम तैयार की गई है जिन्हें संस्थान में आने वाले विशिष्ट अतिथियों को भेंट किया जाता है।

नवाचार:—

- नवीन तकनीकियों पर आधारित प्रयोगात्मक वनीकरण गतिविधियों की जल आवश्यकता पूर्ति हेतु नलकूप खनन किये गये हैं

- प्रतिभागियों के शारिरिक स्वास्थ्य गतिविधियों हेतु योग, योगासनों पर आधारित ओपन जिम, टेबल-टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कैरम, ट्रेकिंग एवं रस्साकशी इत्यादि प्रारम्भ किये गये।
- प्रतिभागियों के मानसिक स्वास्थ्य गतिविधियों हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- प्रतिभागियों तथा विशिष्ट अतिथि वक्ताओं को वाल्मी के सोवेनियर के रूप में फोटोग्राफयुक्त वाल्मी मग, बैग तथा स्टोल भेंट करना।
- छात्रावास के फल सब्जियों के छिलकों एवं अन्य सामग्री को वर्मीकल्चर द्वारा कम्पोस्ट खाद में परिवर्तित करने का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करना।
- जल एवं भूमि संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया है।
- DIY (Do it Yourself) पद्धति से प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भी संरचनाओं का निर्माण किया है।
- स्रोत व्यक्तियों के इम्पेनलमेंट कार्य हेतु सतत कार्यवाही वेबसाईट एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से की जा रही है।
- वेबसाईट का विकास इनहाउस पूर्ण किया गया।
- प्रशिक्षण की विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ्स का कोलॉज बनाकर प्रदर्शन किया।
- प्रशिक्षण शुल्क द्वारा अर्जित राशि एवं बैंक खातों में प्राप्त राशि का मेल-मिलाप का कार्य किया गया।
- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाईकर्म बनाने का आदेश जारी किया गया।
- प्रशिक्षण शाखा में पदों के रिक्त होने से प्रशासन शाखा में कार्यरत मानव संसाधन का समुचित उपयोग किया गया है। योग्य तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम समन्वयक घोषित किया गया। इस व्यवस्था के उत्तम परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है।
- कार्यालय, छात्रावास, भोजनालय एवं खुले क्षेत्र की स्वच्छता के लिये कार्यालयीन स्टॉफ को सफाई की रेण्डम चेकिंग करने के लिये अधिकृत किया गया है। आवासीय क्षेत्र में स्वच्छता दूत चिन्हांकित किये गये हैं। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुये हैं।
- प्रशिक्षणार्थियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवार जनों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये 01 योग्य चिकित्सक को सप्ताह में 02 दिन मानदेय आधार पर अनुबंधित किया गया।
- छात्रावास के नलकूप के पुनर्भरण हेतु छत से वर्षा जल एकत्रित कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीक के माध्यम से जल संचयन किया गया है, जिससे ग्रीष्मकाल में नलकूप के माध्यम से सतत जलापूर्ति संभव होगी। छत के क्षेत्रफल के अनुसार लगभग 2.2 लाख लीटर पानी नलकूप में संग्रहीत हुआ है।
- जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु परवियस पाथवे का निर्माण, आरओ एवं ए.सी. से निकलने वाले पानी का पुनर्उपयोग, सोखता गड्ढे एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया गया है।
- संस्थान की प्राकृतिक पहाड़ी में उपलब्ध जैव विविधता को अक्षुण्ण रखा गया है एवं जैव विविधता हेरिटेज के रूप में विकसित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है
- छात्रावास में प्रशिक्षणार्थियों एवं परिसर में निवास करने वाले कर्मचारियों एवं उनके परिजनो के उपयोग हेतु अत्याधुनिक ओपन जिम का निर्माण पूर्ण किया गया।
- प्रशिक्षणार्थियों द्वारा की जाने वाली प्रस्तुतियों हेतु 230 व्यक्तियों की क्षमतायुक्त ओपन एयर थियेटर का निर्माण कराया जा रहा है।
- संस्थान द्वारा दीर्घावधि प्रशिक्षणों का रुचिकर एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इन प्रशिक्षणों में नवाचार

के रूप में कुछ अवयव सम्मिलित किये गये हैं ताकि प्रतिभागियों में उत्साह, उमंग एवं ऊर्जा का स्तर बनाये रखा जा सके। इसके परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक रहे हैं। दीर्घावधि प्रशिक्षणों में मुख्य विषय के साथ-साथ निम्न घटक भी सम्मिलित किये गये हैं:

- नेतृत्व विकास
- टीम बिल्डिंग
- प्रबंधकीय कौशल
- टीम बॉन्डिंग
- खेल-कूल प्रतियोगिताएँ
- सहभागी समीक्षा/फीडबैक
- प्रशिक्षण संचालन
- सांस्कृतिक कार्यक्रम
- टास्क आधारित गतिविधियां इत्यादि

संस्थान के संसाधन/सुविधाएँ

- 30 हेक्टेयर जल, भूमि, जैव विविधता, वन संरक्षण एवं प्रबंधन प्रक्षेत्र कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला, मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएँ
- 5 हेक्टेयर प्रशिक्षण, प्रशासनिक, छात्रावास तथा आवासीय खण्ड
- 54 हेक्टेयर वन एवं जैव विविधता युक्त क्षेत्र तथा पहाड़ी
- 24 से 45 व्यक्तियों की क्षमतायुक्त 8 प्रशिक्षण कक्ष (2 एसी एवं 6 नॉन एसी)
- 60 व्यक्तियों की क्षमतायुक्त कॉन्फ्रेंस हॉल (एसी)
- 165 व्यक्तियों की क्षमतायुक्त ऑडिटोरियम (एसी)
- प्रयोगशालाएँ (कम्प्यूटर, वाटर एण्ड लैंड मेनेजमेंट लेब, जीआईएस एण्ड आरएस यूनिट, जीओपीपी यूनिट एण्ड लायब्रेरी), हाईड्रोलिक लेब (निर्माणाधीन), वाटर एण्ड सेनिटेशन टेक्नोलॉजी पार्क
- मुक्ताकाश ऑडिटोरियम सहित कम्प्युनिटी हॉल
- छात्रावास (148 बेडयुक्त) एवं भोजनालय
- आवासीय भवन : ई टाईप-2, एफ टाईप-4, जी टाईप-10, एच टाईप-20 एवं आई टाईप-50

सुविधाओं में वृद्धि:

- आवासीय क्षमता में वृद्धि हेतु 24 नये कक्ष निर्मित कराये गये। सामुदायिक प्रशिक्षण हेतु अनुपयोगी तथा कबाड़ से भरे कम्प्युनिटी हॉल को खाली कराकर 200 की सामुदायिक आवासीय सुविधायुक्त कराया गया तथा भोज परिसर क्रमांक एक, दो तथा तीन नामकरण किया गया।
- 34 आवासीय कक्षों को वातानुकूलित कराया गया है।
- म.प्र. पर्यटन विकास निगम से उनके मापदण्डों के अनुरूप भोजनालय को अत्याधुनिक सुविधायुक्त कराया गया।

- समस्त व्याख्यान कक्षों को वातानुकूलित कराया गया एवं अत्याधुनिक दृश्य-श्रव्य उपकरणों से सुसज्जित कराया गया।

पुस्तकालय की केटलॉगिंग की जा रही है एवं आधुनिक पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों की सुविधा के साथ वातानुकूलित भी कराया गया।



व्याख्यान कक्ष



पुस्तकालय



ऑडीटोरियम



छात्रावास

वर्तमान में पदस्थ अधिकारीगण

श्रीमती उर्मिला शुक्ला आई.ए.एस.

श्री विकास अवस्थी

श्री व्ही.के. भट्ट

डॉ आर. ठाकुर

श्री सुमित जैन

श्री संजय श्रीवास्तव

संचालक

अपर संचालक एवं प्रशासकीय अधिकारी

सह-प्राध्यापक, जल संसाधन प्रबंध एवं अभियांत्रिकी

सह-प्राध्यापक, कृषि

लेखाधिकारी

अनुभाग अधिकारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल से अगस्त) की प्रगति

पंचायतराज संचालनालय

म0प्र0शासन, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजनेत्तर अंतर समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपरोक्त मांग संख्या के स्थान पर मांग संख्या-62 एवं 53 के अंतर्गत प्रथम त्रेमास में बजट प्रावधान के विरुद्ध लेखानुदान में राशि विभाग को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

बजट

वर्ष 2020-21 हेतु प्रावधानित राशि आवंटित राशि एवं व्यय राशि दर्शाने वाला पत्रक					
पंचायत विभाग (2203)			(राशि रुपये लाख में)		
क्र.	योजना का नाम	योजना क्रमांक	वर्ष 2020-21 की (दिनांक 31 अगस्त 20 की स्थिति में)		
			बजट प्रावधान	प्रावधान से प्राप्त से आवंटन	व्यय/आवंटित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	केन्द्र प्रवर्तित योजनायें				
1	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आरजीएसए)	0647	10037.00	8029.60	0.00
2	प्रशासन योजना जिला स्तर	8775	6000.00	4800.00	1500.00
3	14वे वित्त आयोग की अनशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	1221	99600.03	79680.03	0.00
4	15वे वित्त आयोग की अनशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	9638	298800.00	239040.00	99600.00
	योग केन्द्र प्रवर्तित योजनायें		414437.03	331549.63	101100.00
	राज्य स्तरीय योजना				
5	एम.पी.स्टेट टेक ई-पंचायत सोसाइटी (एम.पी.स्टेप्स)	2024	0.01	0.01	0.00
6	पंचायत संचालनालय	2467	589.11	566.09	249.29
7	पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण	2468	79.58	79.56	39.20
8	पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित प्रचार	2474	19303.32	19301.58	7840.80
9	संजय गांधी युवा संस्थान पंचमढी को अनुदान	4300	55.00	44.00	19.80
10	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	4610	19999.98	15999.98	6031.35
11	राष्ट्रीय पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	5166	0.01	0.01	0.00
12	युवा शक्ति योजना	5463	0.00	0.00	0.00
13	जिला पंचायतों को सागान्य प्रयोजनों हेतु अनुदान	5847	500.00	400.00	180.00
14	अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	6086	1000.00	800.00	0.00
15	अनुक्षण हेतु अनुदान(राज्य वित्त आयोग)	6087	1000.00	800.00	0.00
16	पेयजल के लिये विद्युत व्यय पूर्ति हेतु अनुदान(राज्य वित्त आयोग)	6093	3500.01	2800.01	0.00
17	पंचायत गबन निर्माण हेतु अनुदान	6098	0.00	0.00	0.00
18	जनपद पंचायतों को सागान्य प्रयोजन हेतु अनुदान(राज्य वित्त आयोग)	6107	400.00	400.00	400.00
19	ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	6299	59738.14	59738.14	38752.55
20	स्थानीय निकायों/पंचायतों राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	6602	100.00	80.00	0.00
21	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान(राज्य करों में हिस्सा) राज्य वित्त आयोग	7668	32962.01	26369.60	320.00
22	पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें	8209	732.42	585.94	0.00
23	सचिबीय व्यवस्था	8214	17600.00	17600.00	17348.32
24	त्रिस्तरीय पुरस्कार	8391	0.03	0.03	0.00
25	जिला पंच समेलन	8392	0.00	0.00	0.00
26	पंचायत गजट	8393	89.33	71.46	0.00
27	ग्राम समाओं का सुदृढीकरण	8816	87.19	69.75	31.38
	योग राज्य स्तरीय योजनायें		157736.14	145706.16	71212.69
	महायोग		572173.17	477255.79	172312.69

संयुक्त संचालक (वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
म.प्र. भोपाल

पंच-परमेश्वर योजना

- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2020-21 से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय अनुदान की राशि के उपयोग हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा 50 प्रतिशत टाईड ग्रांट एवं 50 प्रतिशत अनटाईड ग्रांट अंतर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों को सम्मिलित करते हुए विकास योजना GPDP तैयार की है।
- 15वें वित्त आयोग योजनांतर्गत अनटाईड ग्रांट की प्रथम किश्त की राशि 996.00 करोड़ त्रि-स्तरीय पंचायतों को जारी की गई।
- ग्राम पंचायत विकास योजना 2020-21 ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने में प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी रहा है।
- भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश को "ई-पंचायत पुरस्कार 2020" से सम्मिलित किया है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा पंचायतों में पारदर्शी रूप से प्रभावी उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु तीन श्रेणियों में ई-पंचायत पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं जिसमें समस्त राज्य अपना नामांकन करते हैं। प्रदेश को द्वितीय श्रेणी अंतर्गत इस वर्ष 2020 का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदेश की पंचायतों द्वारा योजनाओं के ऑनलाईन क्रियान्वयन तथा ऑनलाईन आय-व्यय हेतु भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न ऑनलाईन एप्लीकेशन पी.एफ.एम.एस., ई-ग्राम स्वराज, लोकल गवर्मेंट डायरेक्ट्री आदि के साथ-साथ विभागीय "पंचायत दर्पण" पोर्टल का उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)

- वर्ष 2020-21 में जन योजना अभियान के अंतर्गत सभी पंचायतों में सहभागी नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से 22812 ग्राम पंचायतों की जीपीडीपी तैयार की जाकर ई ग्राम स्वराज पोर्टल में अपलोड की गई है इन गतिविधियों की प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन हेतु आरजीएसए योजना के अंतर्गत ऑनलाईन एवं आफ लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की जाती है।

अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) कम्पेंडियम का निर्माण –

- योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशन में पेसा कम्पेंडियम निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसकी मदद से पेसा क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में पेसा प्रावधानों के क्रियान्वयन को सशक्त बनाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य कार्य (स्थापना)

- वरिष्ठता सूची – पंचायत राज संचालनालय के अंतर्गत सहायक संचालक, खण्ड पंचायत अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) एवं चतुर्थ श्रेणी की वरिष्ठता सूची (01.04.2019 से 31.03.2020) जारी की गई।
- डीआरडीए (प्रशासन) के नियमित कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 272/स्था./डीआरडीए-115/2020, दिनांक 05.05.2020 के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान (सातवां वेतनमान) स्वीकृत किया गया है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

1. **योजना का नाम** — सांसद आदर्श ग्राम योजना।
2. **प्रस्तावना**— सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य मौजूदा संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गाँधी जी की ग्रामीण विकास की संकल्पना "स्वराज" को "सुराज" में बदलने के लिए आदर्श ग्रामों के विकास पर केन्द्रित है।
3. **उद्देश्य** —
 - i. निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।
 - ii. आबादी के सभी वर्गों के जीवन-स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना। यह कार्य निम्न के जरिए किया जाएगा :—
 1. उन्नत बुनियादी सुविधाएँ।
 2. अधिकतम उत्पादकता।
 3. बेहतर मानव विकास।
 4. बेहतर आजीविका के अवसर।
 5. असमानता में कमी।
 6. अधिकार और हकदारी के लिए पहुँच दिलाना।
 7. वृहत सामाजिक एकजुटता।
 8. समृद्ध सामाजिक पूंजी।
 - iii. स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके।
 - iv. निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके।
4. **कार्यक्षेत्र** — चयनित ग्राम पंचायत।
5. **भौतिक उपलब्धि** — 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक कुल 04 ग्राम पंचायतों में यह योजना क्रियान्वित की गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल से अगस्त) की संक्षिप्त प्रगति

ग्रामीण विकास विभाग

स्थापना (विकास आयुक्त कार्यालय विकास शाखा -2)

क्र	पदनाम	स्थानांतरणों की संख्या	संशोधन	निरस्त	पदस्थापना
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज. पं.	87	05	04	0
2	विकास खंड अधिकारी	17	01	02	0
3	विकास विस्तार अधिकारी	00	00	00	0
4	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	01	00	00	0

विभागीय जांच

क्र.	पदनाम	विभागीय जांच मुख्यालय स्तर	विभागीय जांच संभाग स्तर पर	कुल
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	निरंक	जानकारी अप्राप्त	—
2	विकास खंड अधिकारी	निरंक	जानकारी अप्राप्त	—

बजट शाखा (वि-1)

वर्ष 2020-21 हेतु प्रावधानित राशि आवंटित राशि एवं व्यय राशि दर्शाने वाला पत्रक ग्रामीण विकास विभाग -5802 (राशि रुपये लाख में)					
क्र.	योजना का नाम	योजना कमांक	वर्ष 2020-21 की (दिनांक 31 अगस्त 20 की स्थिति में)		
			बजट प्रावधान	प्रावधान से प्राप्त आवंटन	व्यय/आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
	केन्द्र प्रवर्तित योजनायें				
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (60:40)	6838	45500.00000	36400.00	16380.00
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (60:40)	5198	200000.00	160000.00	140178.31
3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (75:25)	6923	250000.00	200000.00	113401.89
4	स्वच्छ भारत अभियान (60:40)	5200	25000.00	20000.00	1345.38
	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (60:40)	6931	100067.00	80053.60	33911.42
	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किचिन शेड मरम्मत एवं किचिन डिवाइसेज रिप्लेसमेंट (60:40)	0658	2552.23	2041.78	0.00
	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (किचिन शेड)(60:40)	6099	6100.00	4880.00	0.00
5	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (सामग्री परिवहन)(100%)	7886	5000.00	4000.00	1800.00
	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (किचिन डिवाइजेज)(100%)	0656	447.77	358.22	0.00
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (60:40)	5772	20000.00	16000.00	9120.00
7	नीरांचल परियोजना (60:40)	7466	0.00	0.00	0.00
8	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (60:40)	7467	252500.00	202000.00	37928.33
9	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (60:40)	0662	2500.00	2000.00	0.00
	योग केन्द्र प्रवर्तित योजनायें		909667.00	727733.60	354065.33
	राज्य स्तरीय योजना				
1	मुख्य मंत्री अंत्योदय आवास योजना	5131	0.02	0.02	0.00
2	म.प्र.ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	5129	10000.00	8000.00	4000.00
3	ग्रामीण सड़क विकास प्राधि. (अनुरक्षण)	9216	25072.44	20057.95	9026.08
4	प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत निर्मित सड़को का नवीनीकरण व उन्नयन (अनुरक्षण मद)	9216	15000.00	12000.00	7295.00
5	सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1033,1166)		16726.81	16583.80	6420.93
6	राज्य स्तर का अमला	8774	0.00	0.00	0.00
7	भू-जल प्रबंधन संस्थान (वाल्मी)	8711	640.00	512.00000	211.24
8	आरजीएम परिषद	5568	211.00	168.80000	69.62
9	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम दुग्ध प्रदाय योजना	1329	4500.00	3600.00	1620.00
10	म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारण्टी परिषद	6930	198.14	158.51	95.12
11	राज्य स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार यो.	5127	500.00	400.00	0.00

लेखपिकारी
विकास संयोजक कार्यालय
विन्ध्यमाला भवन, गीतास
म.प्र.

ग्रामीण विकास विभाग -5802

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	योजना क्रमांक	वर्ष 2020-21 की (दिनांक 31 अगस्त 20 की स्थिति में)		
			बजट प्रावधान	प्रावधान से प्राप्त आवंटन	व्यय/आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
12	समन्वित आजीविका कार्यक्रम	5484	0.00	0.00	0.00
13	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	5565	160.00	128.00	52.82
14	मध्याह्न भोजन परिषद	5566	80.00	64.00	20.95
15	(बुंदेलखंड पैकेज) अति. केन्द्रीय सहायता	6109	0.01	0.01	0.00
16	मुख्यमंत्री आवास मिशन	6255	42600.00	36473.00	12969.20
17	विकास भवन	7251	1000.00	800.00	19.11
18	मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना	7571	160.00	160.00	160.00
19	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु विलंबित मजदूरी भुगतान	2368	181.87	145.50	90.94
20	राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	5129	0.03	0.02	0.00
21	रेडी-टू-ईट-टेकहोम राशन कार्यक्रम	2372	0.01	0.01	0.00
22	ग्रामीण पथ व्यवसाई उत्थान (नवीन)	9856	500.00	400.00	0.00
23	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (विदेशी सहायता)	0654	113128.00	90502.40	15925.00
योग (राज्य स्तर)			230658.33	190154.02	57975.99
महायोग			1140325.33	917887.62	412041.33
प्रमुख अभियंता ग्रा. या. सेवा- 5803					
1	मुख्यमंत्री ग्रा. सड़क एवं अवसंरचना योजना	6084	13600.00	10880.00	5105.67
2	तालाबो का उन्नयनीकरण	7252	0.01	0.01	0.00
3	मुख्य मंत्री सरोवर योजना	9674	0.01	0.01	0.00
4	ग्रामीण यात्रिकी सेवा	1208	19182.05	19163.35	7882.49
प्रमुख अभियंता ग्रामीण यात्रिकी सेवा-5803- योग			32782.07	30043.37	12988.16
महायोग (5802+5803)			1173107.40	947930.99	425029.49

लेखाधिकारी
विकास विभाग कार्यालय
विभाग, रायबरेली

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में अगस्त 2020 तक 87 सड़कें, 247.50 कि.मी. बनाई जाकर राशि रु. 52.00 करोड़ व्यय किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश

वर्ष 2020-21 के लिए प्राथमिकताएं

- कोविड-19 संक्रमणकाल में प्रवासी मजदूरों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना
- जलसंरक्षण एवं संवर्धन
- वृक्षारोपण कार्य
- गौशाला निर्माण
- हितग्राहीमूलक तथा सामुदायिक अधिकाधिक कार्यों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु पूर्ण कराया जाना।

उपलब्धि

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेकर बजट के लक्ष्य 20.50 करोड़ मानव दिवस के विरुद्ध इस अवधि में कुल 15.57 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए एवं कुल 3,40,224 कार्य पूर्ण किए गए। कुल सृजित मानव दिवस में से अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा 13.91 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा 34.85 प्रतिशत तथा कुल सृजित मानव दिवस में से महिलाओं द्वारा 40.79 प्रतिशत मानव दिवस सृजित किये गये हैं।
- इस अवधि में मजदूरी मद में राशि रु. 3269.87 करोड़ भारत शासन से स्वीकृत होकर राशि 3216.47 करोड़ हितग्राहियों के खाते जमा हुये हैं। सामग्री एवं प्रशासनिक मद में भारत शासन से केन्द्रांश राशि रु. 850.514 करोड़ प्राप्त हुई है तथा राज्य शासन से राज्यांश राशि 283.50 करोड़ कुल राशि रुपये 1134.014 करोड़ आहरण कर मनरेगा निधि के खाते में प्राप्त किये जाकर व्यय किये गये।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)

प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियाँ :-

- आधारभूत सर्वे 2012 में छोटे शौचालय विहीन परिवारों (LOB) एवं प्रदेश में कोई घर शौचालय विहीन न छोटे (NLB) अंतर्गत लगभग 22 हजार शौचालय विहीन परिवारों को स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- प्रदेश में फैल रही संक्रमित महामारी COVID-19 के रोकधाम हेतु शासन द्वारा सुझाए गए सुरक्षा नियमों एवं गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु लगभग 23014 स्वच्छग्राहियों को प्रशिक्षित कर समस्त 51 जिलों के सभी ग्रामों में जागरूकता हेतु समुदाय अभिप्रेरण की गतिविधि की गई है, जिसमें मुख्य रूप से COVID-19 से बचाव एवं सामाजिक दूरी का पालन, साबुन से हाथ धुलाई, सभी के द्वारा शौचालय का उपयोग, लोगो के लिए साबुन से हाथ धुलाई ईकाई के विकल्प के बारे में बताया गया। परिणामस्वरूप प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 13000 हाथ धुलाई ईकाई का निर्माण किया गया, लगभग 34225 माईकिंग गतिविधियाँ एवं 614443 विद्यार्थियों व 280000 घरों तक को स्वच्छता संदेश पहुँचाया गया।
- गरीब कल्याण रोजगार अभियान अंतर्गत प्रदेश के 24 जिलों अलीराजपुर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली एवं टीकमगढ़ में 4968 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के कार्य

प्रारंभ हुये हैं। साथ ही शेष 27 जिलों में भी 4385 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-1 के मुख्य लक्ष्य "देश के समस्त ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करना" को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के पश्चात वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 प्रारंभ किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य देश के समस्त ग्रामों में ODF के स्थायित्व को बनाये रखना एवं ग्रामों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन से ग्रामों को ODF+ के मानकों के अनुरूप बनाया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 के प्रमुख घटक घरेलू स्वच्छ शौचालय निर्माण, प्रत्येक ग्राम में आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य हैं। फेस-2 के प्रमुख घटक एवं बजट प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

घटक	SBM मद से प्रावधानित राशि		स्तर
	5,000 से कम जन सं.	5,000 से अधिक जन सं.	
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	पात्र हितग्राही को शौचालय निर्माण हेतु राशि रु. 12000 का प्रोत्साहन।		हितग्राही
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	रु. 3.00 लाख/सी.एस.सी. (70% एस.बी.एम. से एवं 30% 15वें वित्त आयोग से)		ग्राम पंचायत
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)	60 रु./व्यक्ति	45 रु./व्यक्ति	ग्राम स्तर
तरल अपशिष्ट प्रबंधन (LWM)	280 रु./व्यक्ति	280 रु./व्यक्ति	
जल स्थिरीकरण तालाब (WSP)	प्रावधान नहीं	660 रु./व्यक्ति	
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (PWMU)	रु. 16.00 लाख प्रति यूनिट प्रति ब्लॉक		ब्लॉक स्तर
गोबर्धन मॉडल प्रोजेक्ट	रु. 50.00 लाख प्रति जिला		जिला स्तर

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिये राशि रुपये 1256.88 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत शासन को प्रेषित की गई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

विभागीय जांच, नियुक्तियां, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक प्राधिकरण में पदस्थ कुल 4 महाप्रबंधकों के संबंध में स्थानांतरण/संशोधन/निरस्तीकरण आदेश जारी किये गये हैं।

अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक 01 विभागीय जांच संस्थित की गई एवं 30 कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं।

प्राधिकरण अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 की अवधि में कुल 12 न्यायालयीन प्रकरण लंबित है जिनमें से उच्च न्यायालय में 10 एवं जिला न्यायालय में 02 प्रकरण लंबित है।

Year 2020-21 up to August - 2020

भौतिक / वित्तीय उपलब्धियां / परिणाम

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-I :

- इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक 90 किमी. लम्बाई के 111 मार्गों एवं 45 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण करते हुए रुपये 141 करोड़ की राशि व्यय की गई, जिससे 51 बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हुई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-II :

- इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक 56 मार्ग जिनकी लंबाई 166 किमी. है, का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है साथ ही 55 वृहद पुलों का भी निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग -III :

- वर्ष 2020-21 बैच-1 के अंतर्गत 377 मार्गों, 4779 किमी लंबाई एवं 167 नग बड़े पुलों हेतु रु. 3322.92 करोड़ की स्वीकृति 29 जून, 2020 को प्राप्त हुई है, निविदा कार्यवाही प्रचलन में है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का डामरीकरण (MPRCP)

- इस वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक) में 513 किमी. के कार्य तक पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर है।

राज्य वित्त पोषित ग्रामीण सड़क संपर्कता योजना

- वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक) में 63 करोड़ व्यय करते हुए 191 किमी की 133 सड़कें पूर्ण की गई हैं।

योजनांतर्गत निर्मित सड़कों का संधारण

- वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020-अगस्त 2020) में 2200 किमी लंबाई में पुनः डामरीकरण (नवीनीकरण) किया गया है एवं वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020-अगस्त 2020) में नवीनीकरण, संधारण कार्य तथा उन्नयन कार्य में लगभग रु. 302 करोड़ व्यय किया गया है।

नवाचार/पहल :

- इस वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक) में नवीन तकनीकी का उपयोग करते हुए 208 किमी मार्गों का निर्माण किया गया जिसमें से Waste Plastic का उपयोग करते हुए 181 किमी लंबाई का कार्य किया गया।
- उपरोक्त तकनीक से मार्ग निर्माण किये जाने पर प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) के उपयोग होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिल रही है तथा शहरों/नगरों में फैलने वाले गंदगी/कचरा मुक्त किये जाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत अभियान का एक अहम भाग होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- वर्ष 2020-21 में अगस्त माह तक 2,22,477 आवासों की स्वीकृति दी गई तथा 1,30,365 आवास पूर्ण हुए एवं किश्त जारी करने की प्रक्रिया निरंतर प्रचलन में है।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM)

उपलब्धि

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह अगस्त तक 1,40,580 परिवारों को 13,213 महिला स्वसहायता समूहों से जोड़ा गया। 1,002 ग्राम संगठन एवं 50 संकुल आधारित संगठन (सीएलएफ) बनाए गए हैं। कुल 1,5737

स्व-सहायता समूहों को रु. 18.08 करोड़ की परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फण्ड) एवं 7,099 स्व-सहायता समूहों को रु. 46.71 करोड़ सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में माह अगस्त 2020 तक कुल 836 ग्राम संगठन को रु. 6.42 करोड़ वीआरएफ दिया गया है।

- महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने हेतु उन्हें मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, हैंडवॉश तथा पी.पी.ई.-किट बनाने हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित किया जाकर आय के साधन से जोड़ा गया। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन को अवसर में बदलते हुए ग्रामीण क्षेत्र में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 1 करोड़ 21 लाख से अधिक मास्क, 98,439 लीटर सैनिटाइजर, 18,331 लीटर हैंड वॉश एवं 2.26 लाख साबुन बनाये एवं विक्रय किया गया है। समूह की महिलाओं द्वारा 1.13 लाख सुरक्षा किट (पी.पी.ई.-किट) तैयार की गई है।
- बीसी सखी द्वारा जन धन खाता धारकों एवं अन्य बैंकिंग सेवाएं हेतु रु. 133 करोड़ से अधिक का व्यापार (Transaction) किया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास

भौतिक उपलब्धि :

• कुल निर्मित जल संवर्धन संरचनाओं की संख्या	—	2,204
• चेकडैम	—	149
• फार्मपाण्ड	—	1,406
• परकोलेशन टैंक	—	131
• तालाब एवं अन्य	—	518
• विकसित सिंचाई सामर्थ्य	—	9,465 हेक्टेयर
• लाभान्वित कृषक परिवार संख्या	—	11,358

वित्तीय उपलब्धि :

(राशि रु. करोड़ में)

प्रारंभिक अवशेष	केन्द्रांश	राज्यांश एवं अन्य प्राप्ति	कुल	व्यय प्रगति	अवशेष राशि
185.09	91.20	1.94	278.23	117.38	160.85

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

- वर्ष 2020-21 के लिये 47.61 छात्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- प्रदेश की 1.13 लाख लक्षित शालाओं में 47.61 लाख लक्षित बच्चों का लक्ष्य निर्धारित।
- वर्ष 2020-21 में योजनांतर्गत रु. 1100.67 करोड़ का अनुमानित बजट प्रावधान के विरुद्ध 496.15 करोड़ का व्यय किया गया है।

भोजन पकाने की राशि की दर दिनांक 01.04.2020 से प्रभावशील

क्र	शाला का स्तर	खाद्यान्न की मात्रा प्रति छात्र	भोजन पकाने की लागत राशि प्रति दिवस (राशि रुपये में)		कुल
			केन्द्रांश	राज्यांश	
1.	प्राथमिक	100 ग्राम	2.98	1.99	4.97
2.	माध्यमिक	150 ग्राम	4.47	2.98	7.45

- कोविड-19 के कारण शालाएं बंद होने से 66.27 लाख दर्ज बच्चों को 110 दिवस का खाद्य सुरक्षा भत्ता

रूपये 400.00 करोड़ की राशि एवं 93,297 मै.ट. गेहूं एवं चावल का वितरण किया गया।

- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में 2.12 लाख रसोईयों को संलग्न कर रु. 2000/- प्रतिमाह मानदेय प्रति रसोईया भुगतान किया जा रहा है।
- वर्ष 2019-20 में 8,662 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शाला पोषण उद्यान विकसित किये जा रहे हैं तथा वर्ष 2020-21 में 9012 शाला पोषण उद्यान का प्रावधान किया गया है।
- योजनांतर्गत 7,338 प्रगतिरत किचनशेडों में से 1,052 किचनशेड का कार्य पूर्ण किया गया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

क्र.	रुर्बन घटक	क्रियान्वयन एजेंसी	31 अगस्त 2021 तक	
			प्रगतिरत कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृत कार्य	प्रगतिरत कार्यों की वित्तीय प्रगति
1	पाइप द्वारा जलापूर्ति	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	114.520	966.068
2	विद्यालयों का उन्नयन	ग्राम पंचायत एवं शाला प्रबंधन/विकास समिति	319.590	432.72355
3	सार्वजनिक परिवहन	ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	0.000	13.5260
4	विशेष सामाजिक अधोसंरचना	ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	0.000	83.1499
5	स्वास्थ्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.000	43.6365
6	नालियां युक्त सी.सी सड़क	ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	54.330	88.23811
7	कृषि सेवाएं एवं प्रसंस्करण	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उद्यानिकी एवं ग्राम पंचायत	443.75	339.6762
8	कौशल विकास	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	59.200	60.339
9	डिजिटल साक्षरता	जिला ई – पंचायत समिति	0.000	0.000
कुल योग			1133.320	2027.35726

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान—म.प्र.

अधारताल, जबलपुर

संक्षिप्त प्रगति तथा उल्लेखनीय कार्य (अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक)

लॉक डाउन के दौरान शासन के दिशा-निर्देश "Work From Home" का पालन करते हुये संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा निम्नानुसार गतिविधि संचालित की गई। एनआईआरडीपीआर हैदराबाद द्वारा दिनांक 17/04/2020 को "डिजीटल प्लेटफॉर्म" के माध्यम से देश की समस्त एसआईआरडीपीआर के अधिकारियों एवं संकाय सदस्य के साथ कोविड-19 के संबंध में 90 मिनट की आनलॉइन क्लास आयोजित की गई, जिसमें एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक श्री डब्लू. आर. रेड्डी जी की उपस्थिति में कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर श्रीमति ज्ञानमुद्रा द्वारा सभी प्रतिभागियों के साथ कोविड-19 क्या है, इसके दुष्परिणाम एवं इससे कैसे बचा जा सकता है, इस संबंध में कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। इन बातों पर यूनिसेफ के प्रतिनिधि व एनआईआरडीपीआर के वक्ताओं ने व्याख्यान दिया। उपरोक्त आनलॉइन प्रशिक्षण में संचालक एवं संस्थान व ईटीसी के समस्त अधिकारी, संकाय सदस्य/प्रोग्रामर ने सहभागिता की। एनआईआरडीपीआर हैदराबाद द्वारा एनआईआरडी एप के माध्यम से भी देश की समस्त एसआईआरडीपीआर के अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों को जोड़ा गया है।

कोविड-19 के कारण "वर्क फ्रॉम होम" की कार्यपद्धति से संचालक के निर्देशन में समस्त अधिकारी एवं संकाय सदस्य/प्रोग्रामर व्यवहसम क्वारंटाइन एप के माध्यम से जुड़े रहे एवं संचालक के निर्देशन में प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों का संपादन किया।

संचालक द्वारा दिनांक 18/05/2020 एवं 20/05/2020 को संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं संकाय सदस्य, प्रोग्रामर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई जिसमें निम्न विषयों में चर्चा कर निर्देशन दिए गए।

1. कोविड-19 की विभिन्न जिलों में स्थिति।
2. कोविड-19 संबंधी विभिन्न आई.ई.सी. गतिविधि हम कैसे कर सकते हैं।
3. कोविड-19 के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है।
4. आवश्यक सावधानियाँ जैसे: मास्क पहनना, हाथों को 20 सेकेंड तक धोना, सोशल डिस्टेंसिंग
5. संस्थान के अधिकारी, संकाय सदस्य/प्रोग्रामर को अपने आवंटित जिलों में वाट्सअप ग्रुप एवं अन्य ऑनलाइन माध्यमों से विभिन्न पंचायतों के प्रतिभागियों से संपर्क कर एवं उन्हें कोविड-19 के संबंध में आवश्यक जानकारियाँ देने हेतु निर्देशित किया गया।
6. पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत के कर्मचारियों द्वारा गाँवों में पंचायत की ओर से सेनेटाइजेशन का कार्य, मास्क वितरण एवं दो गज की दूरी के नियम सभी को पालन करने हेतु संदेश पहुंचाना।

माह जून में संस्थान के संचालक के साथ समस्त अधिकारी, संकाय सदस्य, प्रोग्रामर द्वारा "आत्मनिर्भर भारत" एवं "लैंगिक हिंसा" विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार में सहभागिता दी। दिनांक 19 जून 2020 को वैश्विक महामारी कोरोना के चलते "डिजीटल प्लेटफॉर्म" Google Meet का उपयोग करते हुये संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज—म.प्र., जबलपुर की अध्यक्षता में समस्त अनुसांगिक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, नौगांव एवं सिवनी के प्राचार्यों एवं संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारी/संकाय सदस्य/प्रोग्रामर (जिला नोडल अधिकारी) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अंतर्गत चल रहे राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण, संस्थागत प्रशिक्षणों, स्थापना एवं ई-न्यूज लेटर "पहल" आदि विषयों पर समीक्षा/बातचीत की गई। जिसे "संस्थान के संचालक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन" किया गया।

संस्थान की मासिक ई-न्यूज़ पत्रिका "पहल"

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए संस्थान की मासिक ई-न्यूज़ पत्रिका "पहल" में आलेखों का शामिल करते हुए पत्रिका का प्रकाशन किया गया एवं पत्रिका को ई-मेल एवं वाट्सएप के माध्यम से प्रदेश की समस्त 52 जिला पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में भेजा गया। मासिक पत्रिका "पहल" के मार्च, अप्रैल, मई एवं जून के संस्करण में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी एवं जागरूकता हेतु विभिन्न आलेखों का प्रकाशन किया गया। इसके अतिरिक्त एन.आई.सी भोपाल से समन्वय कर प्रदेश की समस्त 22816 ग्राम पंचायतों की ई-मेल आईडी का ग्रुप निर्मित करने हेतु लेख किया गया है उपरोक्त ग्रुप के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण सामग्री, मासिक पत्रिका "पहल", एवं शासन द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देश आदि को भेजने की कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल :-

वर्ष 2020-21 की भौतिक उपलब्धियां (माह अगस्त 2020 तक की स्थिति में)

- जल संसाधन विभाग की स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान फॉर वाटर सेक्टर परियोजना का कार्य प्रगतिरत है।
- 01 परियोजना यथा बाण सागर जिला शहडोल के कार्यों की रिपोर्ट प्रिंटिंग एवं बाईंडिंग का कार्य कोविड-19 लॉकडाउन के चलते माह मार्च 2020 में नहीं हो पाया था, यह कार्य माह जून 2020 में पूर्ण हो गया।
- सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माईनिंग अफेक्टेड एरिया के अंतर्गत बैतूल जिले में कार्य प्रगतिरत है, जिसके प्रथम चरण में जानकारी संकलन का कार्य किया जा रहा है।
- संस्थान द्वारा अपनी गतिविधियों के विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार के संबंध में विभिन्न संस्थाओं से एम.ओ. यू.किये गये। इसी श्रृंखला में ओरियेंटल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल एवं वाल्मी के मध्य एम.ओ.यू.किया गया।
- संस्थान द्वारा अपने नैतिक व सामाजिक दायित्वों के निर्वहन अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों में जनमानस को जिसमें खास तौर पर युवा शक्ति सम्मिलित है, को जोड़ने की पहल की गई है। इसके अंतर्गत समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधियों जिसमें विशेष रूप से युवा प्रतिभागियों हेतु जल संरक्षण के व्यवहारिक पहलुओं पर पाँच दिवसीय ऑनलाइन क्षमता वर्धन कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इस कार्य क्रम में प्रतिभागियों को जल संग्रहण के विभिन्न सिद्धांतों, तकनीकों, उपायों व संरचनाओं के निर्माण संबंधी व्यवहारिक पहलुओं की समझ विकसित कराई जाती है। जिससे वे अपने आसपास के क्षेत्रों में उपयुक्त संरचनाओं के निर्माण में सहयोग देकर क्षेत्र में जल संकट को कम कर सकें। इसी क्रम में से तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं।

विभिन्न विभागों हेतु आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण

स.क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	विभाग	प्रशि.दिवस	प्रशि. की संख्या	मानव दिवस
1	ऑनलाईन जल मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम	22.06.2020 से 26.06.2020	वाल्मी द्वारा प्रायोजित	05	34	170

स.क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	विभाग	प्रशि.दिवस	प्रशि. की संख्या	मानव दिवस
2	ऑनलाईन जल मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम	29.06.2020 से 03.07.2020	वाल्मी द्वारा प्रायोजित	05	35	175
3	ऑनलाईन जल मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम	06.07.2020 से 10.07.2020	वाल्मी द्वारा प्रायोजित	05	36	180
4	ऑनलाईन ट्रेनिंग ऑन फण्डामेंटल आफ जी आई एस टेक्नोलाजी एंड इट्स एप्लीकेशन यूजिंग ओपन सोर्स साफ्टवेयर	10.08.2020 से 14.08.2020	म.प्र. राज्य जैव. विविधता बोर्ड	05	11	55

वित्तीय उपलब्धियां :

वर्ष 2020-21 में माह अगस्त तक की प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

सहायता अनुदान	—	रु. 211.00 लाख
प्रशिक्षण शुल्क	—	रु. 16.00 लाख

નોટ :



माननीय मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया का स्वागत करते हुए अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव।



विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में चर्चा करते हुए माननीय मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन